

तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2008-2009

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी February, 2009

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा और अंतिम बैच, 2008-2009

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे और अंतिम बैच में 83 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 4,71,718.53 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 10,765.48 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 4,60,951.89 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 116 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए साधन वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

विमानन महानिदेशक की स्थापना संबंधी

व्यय (0.20 करोड़ रुपए), नागरिक विमानन

सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और इंदिरा

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2008-2009.

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2008-2009 includes 83 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of 4,71,718.53 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 10,765.48 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 4,60,951.89 crore. Besides, token provision of Rs. 116 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न आयोजना जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan Total नकद व्यय Cash Outgo कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय (a) For Grants-in-aid to Indian Council of की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान Agricultural Research for meeting परिषद को सहायता अनुदान हेत् (i) फसल additional expenditure (i) under Crop विज्ञान के तहत (1.18 करोड़ रुपए), (ii) Science (Rs. 1.18 crore), (ii) for बागवानी हेतु (0.61 करोड़ रुपए), (iii) Horticulture (Rs. 0.61 crore), (iii) for मुख्यालय प्रशासन हेतु (67.53 करोड़ रुपए), Headquarters Administration (Rs. 67.53 (iv) कृषि संबंधी विस्तार हेतु (0.04 करोड़ crore), (iv) on Agricultural Extension रुपए), (v) कृषि शिक्षा पर (0.01 करोड़ (Rs. 0.04 crore), (v) on Agricultural रुपए), (vi) आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन Education (Rs. 0.01 crore), (vi) on (0.03 करोड़ रुपए), (vii) कृषि इंजीनियरिंग Economic Statistics and Management (0.67 करोड़ रुपए), (viii) केन्द्रीय मृदा (Rs. 0.03 crore), (vii) on Agricultural और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान (0.16 Engineering (Rs. 0.67 crore), (viii) on करोड़ रुपए), (ix) कृषि-वानिकी अनुसंधान Central Soil and Water Concervation सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान Research Institute (Rs. 0.16 crore), (ix) (0.17 करोड़ रुपए), (x) पशु पालन के Other Natural Resource Management तहत (2.62 करोड़ रुपए), और (xi) Institutes including Agro-Forestry मात्रियकी (0.05 करोड़ रुपए)। Research (Rs. 0.17 crore), (x) under Animal Husbandry (Rs. 2.62 crore), and 65.94 65.94 (xi) Fisheries (Rs. 0.05 crore). (ख) सचिवालय के प्रशासनिक व्यय हेतु। (b) For administrative expenses of the Secretariat. 0.62 0.62 नागरिक विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION नागरिक विमानन मंत्रालय **Ministry of Civil Aviation** (i) अन्य सचिवालय व्यय (1.05 करोड़ (a) For (i) other Secretariat expenditure रुपए) और (ii) वायुपत्तन आर्थिक विनियामक (Rs. 1.05 crore) and (ii) establishment प्राधिकरण की स्थापना संबंधी व्यय (1 करोड़ expenditure of Airports Economic रुपए) के लिए। Regulatory Authority (Rs. 1 crore). 2.05 2.05 (ख) (i) हज चार्टरों का परिचालन संबंधी व्यय (b) For (i) expenditure towards operation (201.65 करोड़ रुपए), (ii) नागरिक of Haj Charters (Rs. 201.65 crore), (ii)

establishment expenditure of Director

General of Civil Aviation (Rs. 0.20

crore), Bureau of Civil Aviation

				ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग)	गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) के लिए। अन्य सचिवालय व्यय के लिए।	Security (Rs. 0.07 crore) and Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs.2.95 crore). (c) For other Secretariat expenditure.	-	195.74 0.07	195.74 0.07
		(c) For other Secretariat experienture.	-	0.07	0.07
वाणिज्य ३	और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणि (क) (ख)	ाज्य विभाग निर्यातकों को रूपया निर्यात ऋण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 2 प्रतिशत ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु (200 करोड़ रुपए)। सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, पेंशन के संबंध में (i) चाय बोर्ड (3.11 करोड़ रुपए), (ii) रबड़ बोर्ड (3 करोड़ रुपए) और (iii) मसाला बोर्ड (1	 10 Department of Commerce (a) For providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Bank in respect of Rupee Export Credit to the Exporters (Rs. 200 crore). (b) For Grants-in-aid to (i) Tea Board (Rs.3.11 crore), (ii) Rubber Board (Rs.3 crore) and (iii) Spices Board (Rs. 1 crore) towards Salary, Pension for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations accepted 	-	89.47	89.47
	करने हेतु।	by the Government.	-	6.92	6.92
12. 	सामान्य प्रशासन और डाक प्रचालन के तहत न्यायालय डिक्रियों की वजह से भुगतान की पूर्ति हेतु। (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (234.87 करोड़ रुपए), पेंशन (462.30 करोड़ रुपए) (ii) "ग्रामीण डाक सेवा" समिति रिपोर्ट और अन्य प्रचालनात्मक व्यय (87.44 करोड़ रुपए) संबंधी व्यय हेतु।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 12 Department of Posts (a) For meeting payment arising out of court decrees under General Administration and Postal Operation. (b) For expenditure on (i) account of salaries (Rs. 234.87 crore), pensions (Rs. 462.30 crore) on implementation of the ons of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (ii) 'Grameen Dak Seva' committee report and other operational expenses (Rs.87.44 crore).	-	0.13 727.96	0.13 727.96
वितर 15. उपभ दलह संबंध मार्क रुपए (ग)	मामले, खाद्य और सार्वजनिक रण मंत्रालय गोक्ता मामले विभाग इनों के आयात पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के व में (क) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव टिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लि. (48.96 करोड़ हों), एमएमटीसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करोड़ रुपए) और (घ) पीईसी लिमिटेड (50 इ रुपए) को सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 15 Department of Consumer Affairs For subsidy to (a) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (Rs. 48.96 crore), MMTC Limited (Rs. 50 crore), (c) State Trading Corporation of India Limited (Rs. 50 crore), and (d) PEC Limited (Rs. 50 crore) on account of reimbursement of losses on import of pulses.	_	145.86	145.86
सरक की अति अति निक स्मार अली	मंत्रालय गृति मंत्रालय गुति मंत्रालय गुति मंत्रालय गुति मंत्रालय सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन आयोग सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी रिक्त व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थाओं/ ।यों को (32.82 करोड़ रुपए), (ख) "राष्ट्रीय ।कों के रखरखाव" योजना के तहत फखरूदीन । अहमद स्मारक समिति की आधारभूत निधि लेए (0.45 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture For Grants-in-aid (a) to various institutions/ bodies (Rs. 32.82 crore) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (b) for the Corpus Fund of Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (Rs. 0.45 cappa)			11.02

of National Memorials' (Rs. 0.45 crore).

11.93

11.93

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुद	व्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	मंत्रालय रक्षा सेवाएं - थल सेना निम्निलिखत संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी (5895.75 करोड़ रुपए) और (ख) न्यायालयी आदेश की वजह से (0.65 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF DEFENCE 21 Defence Services - Army For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 5895.75 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and (b) arising out of court decree (Rs. 0.65 crore).	-	527.42	527.42
	श मंत्रालय विदेश मंत्रालय (क) निम्नलिखित के लिए (i) विशेष राजनियक व्यय (69.75 करोड़ रुपए), (ii) क्षेत्रीय सहयोग विकास निधि के लिए दक्षिण एशियाई संघ के सामाजिक विंडो के लिए भारत के अंशदान के भुगतान संतुलन का व्यय (272.64 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 30 Ministry of External Affairs (a) For (i) Special Diplomatic Expenditure (Rs. 69.75 crore), (ii) expenses of balance payment of India's contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation Development Fund			
	(ख) अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	 (Rs.272.64 crore). (b) For meeting additional requirement of funds for Capital Outlay on Other Administrative Services. 	-	342.39 14.92	342.39 14.92
	(ग) भूटान (300 करोड़ रुपए) और मालदीव (480 करोड़ रुपए) को वैकल्पिक ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु।	(c) For standby credit facility to Bhutan (Rs. 300 crore) and Maldives (Rs. 480 crore).	-	671.00	671.00
	मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में रेलवे को अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने हेतु (27.48 करोड़ रुपए) और सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के परिचालन पर रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए (146 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF FINANCE 31 Department of Economic Affairs For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 27.48 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 146			
32.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान (क) गारंटी मोचन निधि की आधारभूत निधि को	crore). 32 Payments to Financial Institutions (a) For enhancing the corpus of Guarantee	-	149.60	149.60
	बढ़ाने हेतु। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) को रबी 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को नकदी सहायता प्रदान करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के एवज में भुगतान (130 करोड़ रुपए) (ii) वर्ष 2008-09 के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के संबंध में नाबार्ड को अतिरिक्त भुगतान (1000 करोड़ रुपए) (iii) अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (27.97 करोड़ रुपए) (iv) नाबार्ड को अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान (418.26 करोड़ रुपए)।	Redemption Fund. (b) For (i) payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs. 130 crore), against interest subvention for providing liquidity support to Regional Rural Banks and Cooperative Credit Institutions during Rabi-2008-2009, (ii) additional payment to NABARD (Rs. 1000 crore) towards interest subvention for providing short term crop loan to farmers for the year 2008-2009, (iii) meeting additional expenditure (Rs. 27.97 crore) towards contribution to International Fund for Agricultural Development, (iv) payment of additional amount (Rs. 418.26 crore) to NABARD for strengthening the short terms co-operative credit structure		1 278 30	175.00
	(ग) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी	terms co-operative credit structure. (c) For payment towards contribution to Securities Redemption Fund for	-	1,278.30	1,278.30

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान के संबंध में भुगतान हेतु।	redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity Shares of State Bank of India.		625.00	625.00
	(घ) निम्नलिखित के लिए (i) गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य देशों	(d) For (i) payment (Rs. 2.54 crore) to International Monetary Fund (IMF)		023.00	023.00
	को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (2.54 करोड़ रुपए),	towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) to Poverty Reduction and			
	(ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्यांकन प्रभारों के संबंध में विनिमय परिवर्तन के लिए भुगतान (0.12 करोड़ रुपए) और	Growth Facility (PRGF) eligible member countries, (ii) payment (Rs.0.12 crore) for exchange variation			
	(iii) अफगानिस्तान-पुनर्निमाण ट्रस्टिनिधि में अंशदान (0.04 करोड़ रुपए)। गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य	towards assessment charges to IMF, and (iii) contribution (Rs. 0.04 crore) to Afganistan Reconstruction Trust			
	देशों को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में	Fund. payment MF towards India's contribution to Emergency Natural			
	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान।	Disaster Assistance to Poverty Reduction and Growth Facility eligible member countries.	-	2.70	2.70
	(ड.) निम्नलिखित को भुगतान हेतु (i) भारत के निर्यात आयात बैंक को अपनी शेयरपूंजी के अंशदान के लिए भुगतान (200 करोड़ रुपए) और (ii) इंडिया इन्फ्रास्ट्रकचर फाइनंस	(e) For payment to (i) Export-Import Bank of India (Rs. 200 crore) towards subscription to its share Capital and (ii) India Infrastructure Finance Company			
	कम्पनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता के संबंध में भुगतान (300 करोड़ रुपए)। (च) भारत के पूंजीगत भुगतानों के कोटे के	Limited (Rs. 300 crore) towards equity support. (f) For additional payment to IMF on account of enhancement of the quote.	-	500.00	500.00
33	संवर्धन के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु। वित्तीय सेवा विभाग	account of enhancement of the quota of India's capital payments. 33 Department of Financial Services	-	156.89	156.89
	(क) अभिरक्षक कार्यालय की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional establishment expenditure of office of Custodian.	-	2.21	2.21
	(ख) निम्नलिखित के लिए (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (1.19 करोड़ रूपए) और (ii) ऋण माफी और ऋण राहत योजना के "विज्ञापन" और "प्रचार" अभियान	(b) For (i) meeting additional expenditure (Rs. 1.19 crore) on salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as accepted by the Government, and (ii) expenditure (Rs. 2.21 crore) relating			
	संबंधी व्यय (2.21 करोड़ रूपए)।	to 'advertisement' and 'publicity' campaign for Debt Waiver and Debt		2.40	2.40
	(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के कार्यालय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.13 करोड़ रूपए)।	Relief Scheme. (c) For meeting additional expenditure (Rs.3.13 crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as	-	3.40	3.40
38.	व्यय विभाग	accepted by the Government. 38 Department of Expenditure	-	2.79	2.79
	निम्नलिखित के लिए (क) अतिरिक्त स्थापना व्यय (3.61 करोड़ रुपए) और (ख) नेशनल प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड को पेंशन निधि की योजनाओं के अभिदाताओं के लिए अभिलेखन, लेखाकरण, प्रशासन और ग्राहक सेवाओं के कार्य निष्पादन हेतु सेवा प्रभार के संबंध में शुल्क भुगतान (6.31	For (a) additional establishment expenditure (Rs. 3.61 crore) and (b) payment of fee (Rs.6.31 crore) to National Securities Depository Limited, towards service charges for performing the functions of record keeping, accounting, administration			
	करोड़ रुपए)।	and customer services for subscribers to the schemes of pension fund.	-	6.92	6.92

					रोड़ रुपए Rupees	
अनुद	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
39	पें शन	39	Pensions			
	निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु		For meeting additional expenditure (a) on			
	(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन		account of pensions and other retirement			
	आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन		benefits, etc on implementation of the Sixth			
	और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में (572.24		Central Pay Commission recommendations as			
	करोड़ रुपए) और (ख) निम्नलिखित के संबंध में		accepted by the Government (Rs. 572.24			
	(i) पेंशन भोगियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (40		crore) and (b) on account of (i) medical			
	करोड़ रुपए), (ii) भविष्य निधि में अंशदान (0.15		reimbursement of Pensioners (Rs. 40 crore),			
	करोड़ रुपए) और (iii) अनुग्रह राशि का भुगतान		(ii) contribution to Provident Fund (Rs. 0.15		<12.20	<12.20
	(1 करोड़ रुपए)।	40	crore) and (iii) ex-gratia payment (Rs. 1 crore).	-	613.39	613.39
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	40				
	निम्नलिखित के लिए (क) स्थापना संबंधी व्यय		For (a) establishment related expenditure			
	(272.79 करोड़ रुपए) और (ख) मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान		(Rs. 272.79 crore) and (b) construction			
			related payments to Mumbai Mahanagar			
	और छात्रावास भवन का निर्माण संबंधी भुगतान (0.29 करोड़ रुपए)।		Regional Development Authority (Rs. 0.29 crore), in respect of Regional Training			
	(0.29 पर्राष्ट्र रूपर्)।		Institute and Hostel Building.		273.08	273.08
41	राजस्व विभाग	41		-	273.08	273.08
71	(क) निम्नलिखित के लिए (i) स्थापना संबंधी	71	(a) For (i) meeting additional establishment			
	अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (8.89 करोड़ रुपए),		expenditure (Rs. 8.89 crore), (ii)			
	(ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय		providing additional Grants-in-aid (Rs.			
	वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन		3.69 crore) to National Institute of Public			
	पर वेतन के संबंध में राष्ट्रीय लोकवित्त और		Finance and Policy towards salary on			
	नीति संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान		implementation of Sixth Central Pay			
	और अतिरिक्त भवन निर्माण अनुदान प्रदान		Commission recommendations as			
	करने हेतु (3.69 करोड़ रुपए)।		accepted by the Government and			
	,		additional building grant.	-	8.89	8.89
	(ख) सरकार द्वारा यथारचीकृत छठे केन्द्रीय वेतन		(b) For meeting additional expenditure on			
	आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर		salary on account of implementation of			
	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालयों संबंधी		Sixth Central Pay Commission			
	वेतन के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति		recommendations as accepted by the			
	हेतु।		Government in respect of offices of the			
			Central Bureau of Narcotics.	-	0.71	0.71
	(ग) मूल्य वर्धित कर आरम्भ करने के कारण		(c) For meeting additional requirement for			
	राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की		compensation to State Governments			
	क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता		(Rs. 515.37 crore) for revenue loss due		452.56	150 56
	की पूर्ति हेतु (515.37 करोड़ रुपए)।	42	to introduction of Value Added Tax.	-	473.76	473.76
42	प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित के लिए (क) आयकर विभाग का	42	Direct Taxes For mosting (a) establishment related			
	स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (204.13 करोड़		For meeting (a) establishment related expenditure of the Income Tax Department			
	रुपए) और (ख) संपदा शुल्क, धनकर और उपहार		(Rs. 204.13 crore) and (b) expenditure for			
	कर के संग्रहण हेतु व्यय (47.45 करोड़ रुपए)।		collection of Estate Duty, Taxes on Wealth			
	वर कर राष्ट्रका वर्षु व्यव (मा.मठ कराव राग्रु)।		and Gift Tax (Rs. 47.45 crore).	_	239.08	239.08
43	अप्रत्यक्ष कर	43	Indirect Taxes		237.00	237.00
	(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की स्थापना		(a) For meeting additional establishment			
	संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (393.16		related expenditure of Central Excise			
	करोड़ रुपए)।		Offices (Rs. 393.16 crore).	_	353.96	353.96
	(ख) सीमा शुल्क कार्यालयों की स्थापना संबंधी		(b) For meeting additional establishment			
	अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		related expenditure of Customs Offices.	-	113.75	113.75
स्वार	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
40	ланая этлістэ Г орги	10	WELFARE Department of Health Passageh			
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	48	Department of Health Research For Grants-in-aid to Indian Council of			
	सरकार द्वारा यथारवीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी					
	पर्ग ।सप्रभारसा के कायान्वयन पर वर्तन संबंधा		Medical Research for meeting additional			

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अतिरिक्त व्यय (64 करोड़ रुपए), की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को सहायता अनुदान हेतु।	expenditure (Rs. 64 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	35.18	35.18
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
(क) सरकारी उद्यम विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के मद पर (0.11 करोड़ रुपए) (ख) लम्बित मेडिकल बिलों के लिए (0.02 करोड़ रुपए), (ग) स्थापना से संबंधित मदों पर (0.87 करोड़ रुपए) और (घ) कार्यालय खर्चों और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए (0.21 करोड़ रुपए) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 0.11 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (b) for pending medical bills (Rs. 0.02 crore), (c) on establishment related items (Rs. 0.87 crore) and (d) towards Office Expenses and Other Administrative Expenses (Rs. 0.21 crore).	-	1.21	1.21
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पंशन और अन्य लाभों पर व्यय को पूरा करने के लिए (51.58 करोड़ रुपए)। (ख) वर्ष 2002 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में रिहायशी सम्पत्तियों की क्षति के लिए अतिरिक्त राहत (212 करोड़ रुपए) (ii) भागलपुर, बिहार में सामप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत (20 करोड़ रुपए) और पुनर्वास (iii) 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुवाअजा (20 करोड़ रुपए) और (iv) जम्मू व कश्मीर में राहत और पुनर्वास (70 करोड़ रुपए)।	 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs (a) For meeting expenditure on Pension and Other Benefits to the Freedom Fighters (Rs. 51.58 crore). (b) For providing (i) additional relief (Rs.212 crore) towards damage to residential properties in 2002 Gujarat communal riots, (ii) relief (Rs. 20 crore) and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (iii) enhanced compensation (Rs. 20 crore) to victims of 1984 riots and (iv) relief and rehabilitation (Rs. 70 crore) in Jammu and Kashmir. 	-	22.80 322.00	22.80 322.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय (क) कर्मचारी पंशन योजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (200 करोड़ रुपए) (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (14.50 करोड़ रुपए) और (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और पंशन के मद में केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 60 Ministry of Labour and Employment For (a) meeting additional expenditure towards contribution to Employees Pension Scheme (Rs. 200 crore), (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 14.50 crore) and (c) additional Grants-in-aid to Central Board for Workers Education on account of salaries and pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 3 crore).	_	134.12	134.12
विधि एवं न्याय मंत्रालय 61. निर्वाचन आयोग आयोग की वेबसाइट के रख रखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण सहित निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 61 Election Commission For meeting additional expenditure on establishment related expenditure of the Election Commission including maintenance of the Commission's website and National		1 06	1 06

Voters Awareness Campaign/Training.

1.96

1.96

					रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या अं	ौर शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विदेशी याः तहत प्रतिब मुख्य न्याय के उच्चतम	ारत का उच्चतम न्यायालय वा खर्चो और व्यावसायिक सेवाओं के द्ध देनदारियों सहित भारत के माननीय ाधीश; माननीय न्यायाधीशों तथा भारत वा न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	63	Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure on account of revision of salaries of Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Judges, officers and staff members of the Supreme Court of India including committed liabilities under Foreign Travel Expenses and Professional Services.	-	8.32	8.32
खान मंत्रालय		MI	NISTRY OF MINES			
(ख) भारती	नय य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए), य खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के तन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	65	Ministry of Mines For meeting additional expenditure on salaries in respect of (a) Geological Survey of India (Rs. 32 crore), (b) Indian Bureau of Mines (Rs. 3.36 crore).	-	15.61	15.61
राष्ट्रपति, संसद सेवा आयो उपराष्ट्रपति		TH	E PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
कारण अि प्रशासनिक रुपए) और वेतन आयो	के सभापित के वेतन में संशोधन के तेरिक्त व्यय और सभापित के अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु (0.35 करोड़ सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय गि की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर द में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु	77	Rajya Sabha For meeting additional expenditure on account of revision of salaries of the Chairman, Rajya Sabha and other Administrative Expenses of the Chairman (Rs. 0.35 crore) and for meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 7.58 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	7.93	7.93
78 विनियोग -	संघ लोक सेवा आयोग	78	Appropriation - Union Public Service Commission			
सिफारिशों अतिरिक्त व	रा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में व्यय को पूरा करने हेतु, वर्धित सीमा पर । आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का बढ़ा बकाया।		For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, bonus on enhanced ceilings and enhanced salaries/arrears to Chairman/Members of the			
	ते का सचिवालय सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा	79	Commission. Secretariat of the Vice-President For meeting additional expenditure on	-	6.34	6.34
करने हेतु।	Ç,		contractual services.	-	0.06	0.06
विज्ञान और प्रौह	द्योगिकी मंत्रालय	MI	NISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 वैज्ञानिक उ	भौर औद्योगिक अनुसंधान विभाग	84	Department of Scientific and Industrial			
आय वेतन	हार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन ोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर त के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा ते हेतु।		Research (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.		0.74	0.74
को	निक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (i) वेतन और पेंशन सहायता के मद में 2 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय		(b) For providing Grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure			

					ोड़ रुपए Rupees	
अनुद	ान संर	<u>ज्</u> या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
		प्रयोगशालाओं (202 करोड़ रुपए) के लिए	(i) on account of salaries and pension			
		अतिरिक्त व्यय के लिए सहायता अनुदान।	assistance (Rs. 142 crore) and (ii) of			
		S	National Laboratories (Rs.202 crore).	-	112.16	112.16
पोत		हन, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87	सड़क	5 परिवहन और राजमार्ग विभाग	87 Department of Road Transport and Highways			
	(ক)	(i) सड़क स्कन्ध (156.44 करोड़ रुपए) और सीमावर्ती सड़क स्कंध (30.32 करोड़ रुपए) द्वारा कराए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव और मरम्मत, (iii) अतिमहत्वपूर्ण और सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव का कार्य (0.11 करोड़ रुपए), और (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए सड़क कार्यों के लिए सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए)	(a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repair of national highways undertaken by Road Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Road Wing (Rs. 30.32 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore), and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Road Development Board in Bhutan			
	(ख)	पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित सीमाओं पर बोनस के मद में अतिरिक्त व्यय (5.72 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।	 (Rs. 26.04 crore). (b) For meeting additional expenditure (Rs.5.72 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and 	-	161.91	161.91
	(ग)	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों	bonus on enhanced ceilings. (c) For payment of compensation in Motor	-	0.72	0.72
	(ঘ)	में मुआवजे के भुगतान हेतु। (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए सड़क निर्माण कार्य (227.89 करोड़ रुपए), (ii) सड़क का रखरखाव और मरम्मत (0.84 करोड़ रुपए)। (iii) सुरक्षा कवर (11.73 करोड़ रुपए) और (iv) एयरलिफ्ट प्रभार (0.69 करोड़ रुपए)।	Accident Claims Tribunal case. (d) For meeting additional expenditure on (i) road work undertaken by Border Road Development Board (Rs. 227.89 crore), (ii) maintenance and repair of Road (Rs. 0.84 crore), (iii) security cover (Rs. 11.73 crore) and (iv) Air lift	-	0.30	0.30
	(ভ.)	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सड़क विकास कार्यों के मद में अतिरिक्त व्यय (6 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।	charges (Rs. 0.69 crore). (e) For meeting additional expenditure (Rs.6 crore) on account of Road Development Works in the North	-	241.15	241.15
	(च)	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों	Eastern Region and Sikkim. (f) For payment of compensation in Motor	5.00	-	5.00
	(छ)	में मुआवजे के भुगतान हेतु। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों पर व्यय	Accident Claims Tribunal case. (g) For expenditure on development works	-	0.20	0.20
	. ,	के लिए।	of National Highways.	-	44.50	44.50
साम	ाजिक	न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88	सामा	जिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
	की ि	ोय करारों के अंतर्गत "शुल्क मुक्त पारेषण नेकासी का संचालन" की योजना में व्यय) करोड़ रुपए) हेतु।	For expenditure (Rs. 3.80 crore) in the scheme of 'Handling Clearance of duty free consignment' under Bilateral Agreements.	-	3.28	3.28
	ड़ा मंत्र कपड़ (क)	ालय ा मंत्रालय सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान।	MINISTRY OF TEXTILES 92 Ministry of Textiles (a) For Grants-in-aid to Central Silk Board on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	_	17.45	17.45

					(क	(करोड़ रुपए Rupees i	
अनुव	द्यान संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Gra	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिः Non Plar	-
	(ख)	विद्यमान ढांचे के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पर अतिरिक्त व्यय हेतु (40 करोड़ रुपए)।	(b) For additional expenditure on National Institute of Fashion Technology towards upgradation of existing infrastructure (Rs. 40 crore).	14.76		14.76
	(ग)	संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान करने की योजना पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on the scheme for grant of special rebate on sale of accumulated handloom stock.		15.00	15.00
	(ঘ)	(i) बाजार सहायता प्रचालन पर भारतीय कपास निगम (508.90 करोड़ रुपए) और भारतीय जूट निगम (6.60 करोड़ रुपए) को सब्सिडी और (ii) ऊन अनुसंधान एसोसिएशन को सहायता अनुदान (1.71	(d) For (i) subsidy to Cotton Corporation of India (Rs. 508.90 crore) and Jute Corporation of India (Rs. 6.60 crore) on Market Support Operations and (ii) Grants-in-aid (Rs. 1.71 crore) to Wool			
	(ভ.)	करोड़ रुपए)। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को बकाया वेतन और मजदूरियों (144.99 करोड़ रुपए) के भुगतान के लिए संसाधनों में अंतराल को पूरा करने हेतु व्यय के लिए।	(Research Association. e) For expenditure towards meeting the gap-in-resources of National Textile Corporation towards payment of outstanding salaries and wages (Rs.144.99 crore).	-	517.21 107.42	517.21 107.42
				(RS.144.99 Clore).	-	107.42	107.42
गृह		य, संघ राज्य क्षेत्र ानमंडल रहित)	-	ISTRY OF HOME AFFAIRS UNION FERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
95	अंडम	ान और निकोबार द्वीप समूह		Andaman and Nicobar Islands			
	(ক)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व		a) For revenue expenditure under various			
		व्यय हेतु।		Ministries/Departments.	58.07	158.88	216.95
	(ख)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत	(b) For capital expenditure under various	102.05		102.05
06	चंडीग	व्यय हेतु।	96 (Ministries/Departments. Chandigarh	183.95	-	183.95
90	(क)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व		a) For revenue expenditure under various			
	(')	व्यय हेतु।	`	Ministries/Departments.	18.74	73.25	91.99
	(ख)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत	(b) For capital expenditure under various			
		व्यय हेतु।	05 1	Ministries/Departments.	165.26	0.25	165.51
97		ा और नागर हवेली विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व		Oadra and Nagar Haveli			
	(क)	व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	18.29	249.64	267.93
	(ख)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत	(b) For capital expenditure under various	10.2	2.5.0.	207.55
		व्यय हेतु।		Ministries/Departments.	4.00	-	4.00
98		और दीव		Daman and Diu			
	(क)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	13.22	86.90	100.12
	(ख)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत	(b) For capital expenditure under various	13.22	80.90	100.12
	()	व्यय हेतु।	`	Ministries/Departments.	8.20	-	8.20
99				Lakshadweep			
	(क)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत		a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.b) For capital expenditure under various	5.40	94.57	99.97
	(ख)	व्यय हेतु।	(Ministries/Departments.	0.57	-	0.57
शह	री विक	गस मंत्रालय	MIN	ISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
		विकास विभाग		Department of Urban Development			
		न्य पूल रिहाइशी आवास के परियोजनाओं		For expenditure in projects under General Pool			
		अन्य आवासीय परियोजनाओं में व्यय और		Residential Accommodation and Other			
		के विभिन्न स्थानों में स्थित आवासीय जिनाओं में विद्यमान मकानों के उन्नयन हेतु		Housing Projects and up-gradation of existing			
		ाजनाओं में विद्यमान मकाना के उन्नयन हतु १९ करोड़ रुपए)।		ouses in Housing Projects situated at various places in the country (Rs. 49.99 crore).	47.11	_	47.11
कुल	नकद	·		Cash Outgo		10,222.91	
J	•			<u>u</u>		,	,

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुव	ग्नन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
मंत्रा	अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 4,60,951 नीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल लयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियां/वसूलियां अथव दें निम्नलिखित हैः		ementary grants re matched	ants/appropria by additional	tions for receipts/
तक	नीकी पूरक अनुदानों की मांगे	Technical Supplementary Demands for grants			
कृष्टि	मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research			
		and Education			
	(क) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ को 'कृषि शिक्षा' योजना के अंतर्गत (22.64 करोड़ रुपए); (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को (i) कृषि प्रसार (4 करोड़ रुपए), (ii) मुख्यालय प्रशासन (11.50 करोड़ रुपए), और (iii) केन्द्रीय मृदा और जल संख्क्षण (1 करोड़ रुपए) के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid to (a) Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Rs. 22.64 crore) under the scheme 'Agriculture Education', (b) Indian Council of Agricultural Research under (i) Agricultural Extension (Rs. 4 crore), (ii) Headquarters Administration (Rs.11.50 crore), and (iii) Central Soil and Water Conservation Institute (Rs. 1 crore).	22.64	<u>-</u>	22.64
नाग	र विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8	नागर विमानन मंत्रालय (क) हज चार्टरों के प्रचालन के लिए व्यय (201.65 करोड़ रुपए), (ख) (i) महानिदेशक, नागर विमानन (0.20 करोड़ रुपए) (ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) के स्थापना व्यय हेतु।	8 Ministry of Civil Aviation For (a) expenditure towards operation of Haj Charters (Rs. 201.65 crore), (b) establishment expenditure of (i) Director General of Civil Aviation (Rs. 0.20 crore), (ii) Bureau of Civil Aviation Security (Rs.0.07 crore) and (iii) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs. 2.95 crore).	-	9.13	9.13
वापि	ाज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10	वाणिज्य विभाग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु (200 करोड़ रुपए)।	10 Department of Commerce For providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Bank in respect of Rupee Export Credit to the Exporters (Ps. 200 graps)		98.01	98.01
11	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	(Rs.200 crore).11 Department of Industrial Policy and Promotion	-	98.01	98.01
	उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निवेश आर्थिक सहायता (पुरानी) के अंतर्गत भुगतान करने	For making payment under Investment Subsidy (Old) in pursuance of Supreme			
	हेतु।	Court Judgement.	0.45	-	0.45
संच	र और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND			
40	नक विभाग	INFORMATION TECHNOLOGY 12. Department of Posts			
12	डाक विभाग (क) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (234.87 करोड़ रुपए), पेंशन (462.30 करोड़ रुपए) के मद में, (ii) 'ग्रामीण डाक सेवा' समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रचालनात्मक खर्चों (87.44 करोड़ रुपए) पर व्यय हेतु।	12 Department of Posts (a) For expenditure on (i) account of salaries (Rs. 234.87 crore), pensions (Rs. 462.30 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (ii) 'Grameen Dak Seva' committee report and other operational		56.65	57.65
	(ख) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले	expenses (Rs. 87.44 crore). (b) For meeting expenditure arising out of	-	56.65	56.65
	व्यय को पूरा करने हेतु।	court decree.	0.59	-	0.59
	3.		J.57		0.07

_			्रायोजना आयोजना	रोड़ रुपए Rupee. आयोजना-भिन्न	
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	Total
13	दूर संचार विभाग (क) रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (345.24 करोड़ रुपए) और इसी प्रयोजन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान में वृद्धि हेतु (37.68 करोड़ रुपए)।	13 Department of Telecommunications (a) For meeting additional expenditure towards OFC based network for Defence Services (Rs. 345.24 crore) and for augmentation of lumpsum provision towards North Eastern States (Rs. 37.68 crore) for the same purpose.	382.92	-	382.92
	(ख) मैसर्स भारतीय टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) For providing interest free loan to M/s Indian Telephone Industries Limited.	-	125.00	125.00
उपः	गेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
15	उपभोक्ता मामले विभाग (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (48.96 करोड़ रुपए), एमएमटीसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) को आर्थिक सहायता हेतु, और (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) और (घ) पीईसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) को दालों के आयात पर हानियों की प्रतिपूर्ति	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 15 Department of Consumer Affairs For subsidy to (a) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (Rs. 48.96 crore), MMTC Limited (Rs. 50 crore), (c) State Trading Corporation of India Limited (Rs. 50 crore), and (d) PEC Limited (Rs. 50 crore) on account of			
16	के मद में। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	reimbursement of losses on import of pulses. 16 Department of Food and Public Distribution	-	2.54	2.54
	(क) केन्द्रीय सतर्कता समिति पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (10.45 करोड़ रुपए)।	 (a) For meeting additional expenses on Central Vigilance Committee. (b) For meeting additional expenditure (Rs.10.45 crore) for construction of storage facility by Food Corporation of 	-	0.68	0.68
	(ग) चीनी मिलों को (i) उनकी पुनर्स्थापना/ आधुनिकीकरण (30 करोड़ रुपए), (ii) खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना (106.96 करोड़ रुपए) और (iii) एल्कोहल से निर्जलीय एल्कोहल या एथानोल के उत्पादन (30 करोड़ रुपए) के लिए ऋण।	India. (c) For loan to sugar factories for (i) Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills (Rs. 30 crore), (ii) bagasse based cogeneration power project (Rs. 106.96 crore), and (iii) production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (Rs. 30 crore).	9.55	150.96	9.55 150.96
रक्षा	मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19	रक्षा मंत्रालय (क) (i) भंडारों की खरीद (239.21 करोड़ रुपए), (ii) निवल लाभ से सशस्त्र सेनाओं के हिस्से का उच्चतर योगदान (22.40 करोड़ रुपए) और विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रम, कैंटीन स्टोर्स विभाग के भुगतान (6.13 करोड़ रुपए) के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	19 Ministry of Defence (a) For meeting additional expenditure on account of (i) purchase of stores (Rs.239.21 crore), (ii) higher contribution of Services' share from net profit (Rs.22.40 crore) and (iii) payment of interest on capital employed (Rs. 6.13 crore) by Canteen Stores Department, a departmentally-run			
	(ख) विशाखापटनम में तटरक्षक संगठन के विवाहित आवास के निर्माण के संबंध में अदालती आदेश के अनुपालन में भुगतान के लिए।	commercial undertaking. (b) For payment in satisfaction of Court decree in connection with construction of married accommodation of Coast	-	251.86	251.86
21	रक्षा सेवाएं- थल सेना (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय (5895.75 करोड़ रुपए) और न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.65 करोड़ रुपए)।	Guard Organisation at Vishakapatnam. 21 Defence Services - Army For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 5895.75 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and (b) arising out of	-	1.66	1.66
		court decree (Rs. 0.65 crore).	-	5,368.98	5,368.98

					(करोड़ रुपए Rupees in Cr आयोजना आयोजना-भिन्न जं		
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total	
22.	रक्षा सेवाएं - नौ सेना अदालती आदेश से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	22	Defence Services - Navy For meeting additional expenditure arising out of court decree.		0.26	0.26	
23	रक्षा सेवाएं - वायु सेना सरकार द्वारा यथारवीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वायुसेना के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	23	Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure on account of Air Force on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.		224.60	224.60	
24	रक्षा आयुध कारखाने सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर और टी-90 टैंकों की खरीद के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	24	Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and stores			1,615.76	
25	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	25	For meeting additional expenditure on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted	-	,	201.64	
26	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय अदालती आदेश से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	26	by the Government. Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	2.06	2.06	
ूर्वो	तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION				
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (क) अरुणाचल प्रदेश में तेजू में नए हवाई अड्डे का अवसंरचना विकास (10 करोड़ रुपए), (ख) अरुणाचल प्रदेश में खुप्पी से तमांग तक 132 कि.वा. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन (10 करोड़ रुपए) (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों में 200 पेडेस्ट्रियन टाइप वायर रोप सस्पेंशन पुलों का निर्माण (10 करोड़ रुपए), (घ) ब्रु जनजातियों के पुर्नस्थापन हेतु मिजोरम के पश्चिमी बेल्ट का विकास (10 करोड़ रुपए) (ड) नागालैण्ड के मोन, तुएनसांग, किफायर और लोंगलेंग जिलों का विकास (5 करोड़ रुपए), (च) कर्बी, आंगलांग और उत्तरी कछार जिला परिषद (5 करोड़ रुपए) (छ) सेना द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सीमावर्ती क्षेत्र (10 करोड़ रुपए)।	27	Ministry of Development of North Eastern Region For meeting the expenditure towards the schemes of (a) Infrastructure Development of a new airport at Teju in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore), (b) 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore), (c) construction of 200 pedestrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States (Rs. 10 crore), (d) Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals (Rs. 10 crore), (e) Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng Districts of Nagaland (Rs. 5 crore), (f) Karbi Anglong and North Kachar District Councils (Rs. 5 crore), (g) Border areas to be implemented by Army (Rs. 10 crore).	60.00	-	60.00	
_	तिश्चान मंत्रालय पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय (क) समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (49.75 करोड़ रुपए)। (ख) भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान (6.57 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय मध्याविधक मौसम पूर्वानुमान केन्द्र को (2 करोड़ रुपए)		Ministry of Earth Sciences (a) For providing Grants-in-aid (Rs. 49.75 crore) under various schemes relating to Oceanographic research. (b) For providing Grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management (Rs.6.57 crore) and National Centre for	10.22	-	10.22	
	को लघु कार्यों के लिए सहायता अनुदान		Medium Range Weather Forecasting				

	जिनुसाना यम यूर्यम् नान, म	.008-2009 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO			(X111)
				ङ रुपए Rupees	
अनुदान	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान (1.53 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मौसम विज्ञान विभाग के लिए वेतन के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 (c) For providing Grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management (Rs. 1.53 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. (d) For meeting additional expenditure on account of Salaries for Meterology on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. 	- -	1.29 7.81	1.29 7.81
पर्यावर	रण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND			
7	पर्यावरण और वन मंत्रालय त्यायालय के आदेश के अनुसरण में केरल और तमिलनाडु में हाथी गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 'हाथी परियोजना' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए।	FORESTS 29 Ministry of Environment and Forests For Grants-in-aid under the Scheme 'Project Elephant' for acquiring land for Elephant Corridors in Kerala and Tamil Nadu in pursuant of court order.	1.50	-	1.50
30 f	मंत्रालय वेदेश मंत्रालय भूटान (300 करोड़ रुपए) और मालदीव (480 करोड़ रुपए) को वैकल्पिक ऋण सहायता के लिए।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 30 Ministry of External Affairs For standby credit facility to Bhutan (Rs.300 crore) and Maldives (Rs. 480 crore).	-	109.00	109.00
वित्त म	नंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
f f 32 f	आर्थिक कार्य विभाग सिक्युरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए (385.20 करोड़ रुपए)। वित्तीय संस्थाओं को भुगतान (क) प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (1500 करोड़ रुपए)	 31 Department of Economic Affairs For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (Rs. 385.20 crore). 32 Payments to Financial Institutions For meeting expenditure towards (a) redemption of securities issued to Stressed 	-	376.60	376.60
3 f	और (ख) सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड के गठन (3 करोड़ रुपए) का व्यय पूरा करने के लिए। वित्तीय सेवा विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग	Asset Stabilisation Fund (Rs. 1500 crore) and (b) setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited (Rs. 3 crore). 33 Department of Financial Services For meeting additional expenditure (Rs. 3.13	-	1,062.08	1,062.08
ō ₹	की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (3.13 करोड़ रुपए)।	crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as accepted by the Government.	-	0.01	0.01
	(क) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (500 करोड़ रुपए), (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1429.50 करोड़ रुपए), (iii) अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (200 करोड़ रुपए), (iv) बाढ़ में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुननिर्माण (561.63 करोड़ रुपए) और (v) सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम (125.97 करोड़ रुपए) के लिए।	Governments (a) For (i) Normal Central Assistance (Rs.500 crore), (ii) Additional Central Assistance for Externally Aided Project (Rs. 1429.50 crore), (iii) Additional Central Assistance for other Projects (Rs. 200 crore), (iv) reconstruction of assets damaged in floods (Rs. 561.63 crore), and (v) Tsunami Rehabilitation Programme (Rs. 125.97 crore).	2,817.10) -	2,817.10

अन						
	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को सहायता-अनुदान		(b) For Grants-in-aid to Government of			
	हेतु।		Arunachal Pradesh.	-	100.00	100.00
	(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए		(c) For Additional Central Assistance for			
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु।		Externally Aided Project.	1,161.50	-	1,161.50
37		37	Appropriation-Repayment of Debt			
	(क) (i) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों		(a) Towards discharge of (i) 91 day			
	(58,831.45 करोड़ रुपए), (ii) 182		Treasury Bills (Rs. 58,831.45 crore),			
	दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (5308 करोड़		(ii) 182 day Treasury Bills (Rs. 5,308			
	रुपए), (iii) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों		crore), (iii) 14 day Treasury Bills			
	(3,23,769 करोड़ रुपए, (iv) अर्थोपाय		(Rs.3,23,769 crore), (iv) Ways and			
	अग्रिम (1,43,026 करोड़ रुपए) सामान्य		Means Advances (Rs. 1,43,026 crore)			
	बाजार उधारों के अंतर्गत, (v) बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत दिनांकित		under normal market borrowings, (v) Dated Securities under Market			
	प्रतिभूतियां (59,544.22 करोड़ रुपए), (vi)		Stabilisation Scheme (Rs. 59,544.22			
	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक		crore), (vi) International Bank for			
	(12 करोड़ रुपए), (vii) अफ्रीकी विकास		Reconstruction and Development			
	निधि (2.03 करोड़ रुपए), (viii) अंतरराष्ट्रीय		(Rs.12 crore), (vii) African Development			
	मुद्रा कोष (5315.23 करोड़ रुपए), (ix)		Fund (Rs. 2.03 crore), (viii) International			
	10% राहत बांड, 1993 (0.20 करोड़ रुपए),		Monetory Fund (Rs. 5315.23 crore),			
	(x) 10% राहत बांड, 1995 (5.24 करोड़		(ix) 10% Relief Bond, 1993 (Rs. 0.20			
	रुपए), (xi) 9% राहत बांड, 1987 (1.92		crore), (x) 10% Relief Bond, 1995			
	करोड़ रुपए), (xii) 9% राहत बांड, 1993		(Rs.5.24 crore), (xi) 9% Relief Bond,			
	(14.31 करोड़ रुपए), (xiii) 9% राहत		1987 (Rs. 1.92 crore), (xii) 9% Relief			
	बांड, 1999 (14.31 करोड़ रुपए), (xiv)		Bond, 1993 (Rs. 0.81 crore), (xiii) 9%			
	6.50% बचत बांड, 2003 (कर योग्य-भिन्न)		Relief Bond, 1999 (Rs. 14.31 crore),			
	(777.45 करोड़ रुपए) की चुकौती के लिए।		(xiv) 6.50% Savings Bonds, 2003			
			(Non-taxable) (Rs. 777.45 crore).	- 4	4,32,216.15 4,	
	(ख) विदेशी ऋण की वापसी-अदायगी के लिए	• •	(b) Towards repayment of external debt.	-	1,754.49	1,754.49
38.	व्यय विभाग	38				
	(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (3.61 करोड़		For (a) additional establishment expenditure			
	रुपए) और (ख) नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी		(Rs. 3.61 crore) and (b) payment of fee			
	लिमिटेड को अभिलेखपाल, लेखाकरण, प्रशासन और पेंशन निधि की स्कीमों के अभिदाताओं के		(Rs.6.31 crore) to National Securities			
	लिए ग्राहक सेवा के कार्य निष्पादन हेतु सेवा		Depository Limited, towards service charges for performing the functions of			
	प्रभारों (6.31 करोड़ रुपए) के लिए।		record keeping, accounting, administration			
	प्रमास (७.३१ कराङ् रवर्) क लिए।		and customer services for subscribers to the			
			schemes of pension fund.	_	3.00	3.00
41	राजस्व विभाग	41	Department of Revenue		3.00	3.00
71	मूल्य वर्धित कर लागू होने से राज्य सरकारों को	• • •	For meeting additional requirement for			
	हुई राजस्व हानि (515.37 करोड़ रुपए) की भरपाई		compensation to State Governments			
	हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।		(Rs.515.37 crore) for revenue loss due to			
			introduction of Value Added Tax.	_	0.12	0.12
42	प्रत्यक्ष कर	42	Direct Taxes			
	संपदा शुल्क, धन कर और उपहार कर के संग्रहण		For meeting expenditure for collection of			
	हेतु व्यय (47.45 करोड़ रुपए) पूरे करने के लिए।		Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax			
			(Rs. 47.45 crore).	-	12.50	12.50
43	अप्रत्यक्ष कर	43	Indirect Taxes			
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के स्थापना संबंधी		For meeting additional establishment related			
	अतिरिक्त व्यय (393.16 करोड़ रुपए) को पूरा		expenditure of Central Excise Offices			
	करने के लिए।		(Rs.393.16 crore).	-	39.20	39.20
स्वा	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46	Department of Health and Family			
	(-) - 0 - · · · · · · · ·		Welfare			
	(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान		For (a) Grants-in-aid to National Institute of			
	को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन		Health and Family Welfare (Rs. 1.35 crore)			

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन (1.35 करोड़ रुपए) और (ख) 'मिशन फ्लेक्सी पूल' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (8.75 करोड़ रुपए) पूरी करने के लिए सहायता अनुदान।	towards salary on implementation of VI Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and (b) meeting additional requirement (Rs. 8.75 crore) under the scheme of 'Mission Flexi Pool'.	8.75	-	8.75
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
(क) निम्नलिखित से सम्बद्ध लेखांकन समायोजन निष्पादित करने के लिए (i) एचएमटी लि. (2.14 करोड़ रुपए), एंडू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड से सम्बद्ध गारंटी शुल्क की माफी (0.35 करोड़ रुपए), भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड (1.50 करोड़ रुपए) और भारतीय टायर निगम लिमिटेड (1.82 करोड़ रुपए), (ii) ब्याज माफी (547.09 करोड़ रुपए) और भारतीय टायर निगम लि. की इक्विटी को कम करना, (266.68 करोड़ रुपए) और (iii) ऋण को बट्टे खाते डालना (30.97 करोड़ रुपए) और नागालैंड लुग्दी तथा कागज निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज माफी (13.52 करोड़ रुपए)।	PUBLIC ENTERPRISES 49 Department of Heavy Industry (a) For carrying out accounting adjustment relating to (i) Waiver of Guarantee Fee relating to Andrew Yule and Company Limited (Rs. 0.35 crore), HMT Ltd. (Rs.2.14 crore), Heavy Engineering Corporation Limited (Rs.1.50 crore) and Tyre Corporation of India Limited (Rs.1.82 crore), (ii) waiver of interest (Rs. 547.09 crore) and write down of equity (Rs. 266.68 crore) of Tyre Corporation of India Limited and (iii) write off of loan (Rs. 30.97 crore) and waiver of interest (Rs. 13.52 crore) in respect of Nagaland Pulp and Paper Corporation Limited.	_	864.07	864.07
(ख) भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में बकाया तथा दांडिक ब्याज को इक्विटी में बदलने के संबंध में लेखांकन समायोजनों को निष्पन्न करना।	(b) For carrying out accounting adjustments relating to conversion of outstanding and penal interest into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Limited.	-	56.48	56.48
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
 पुलिस (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु। (ख) निम्नलिखित के सुरक्षा सम्बन्धी व्यय हेतु (i) जम्मू तथा कश्मीर (232 करोड़ रुपए) 	 For establishment expenditure of Central Para Military Forces. (b) For security related expenditure in (i) Jammu and Kashmir (Rs. 232 crore), 	-	34.00	34.00
(ii) नक्सल प्रभावित राज्यों (12 करोड़ रुपए), और (iii) पूर्वोत्तर (78 करोड़ रुपए)। 54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	(ii) Naxal affected States (Rs. 12 crore), and (iii) North East (Rs. 78 crore).54 Other Expenditure of the Ministry of	-	40.09	40.09
स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में व्यय (51.58 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	Home Affairs For meeting expenditure (Rs. 51.58 crore) on Pension and Other Benefits to the Freedom Fighters.	-	9.40	9.40
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE			
57 स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग (क) निम्नलिखित के लिए (i) नवोदय विद्यालय समिति निर्माण गतिविधियों पर व्यय (336 करोड़ रुपए), (ख) 'वयस्क शिक्षा तथा दक्षता विकास' पर अतिरिक्त व्यय (19.71 करोड़ रुपए), (ग) स्वैच्छिक संगठनों के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति मामलों का भुगतान (0.05 करोड़ रुपए), (घ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन-योजना पर व्यय (1 करोड़ रुपए),	DEVELOPMENT 57 Department of School Education and Literacy For (a) expenditure on construction activities of Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 336 crore), (b) additional expenditure on 'Adult Education and Skill Development' (Rs. 19.71 crore), (c) payment of reimbursement cases to the voluntary organisations (Rs. 0.05 crore),			

			(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुव	ग्नन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ङ) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (11.54 करोड़ रुपए)।		(d) expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 1 crore), (e) National Means cum Merit Scholarship Scheme (Rs. 11.54 crore).	11.54	-	11.54
श्रम	तथा रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (क) निम्नलिखित के लिए (i) कर्मचारी पेंशन योजना को अंशदान देने हेतु, अतिरिक्त व्यय (200 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए), और (iii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा पेंशन के कारण केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए)। (ख) सम्बद्ध आईटीआई की प्रबन्ध समिति संस्थान को प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में 2.50 करोड़ रुपए तक ब्याज	60 Ministry of Labour and Employment (a) For (i) meeting additional expenditure towards contribution to Employees Pension Scheme (Rs. 200 crore), (ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs. 14.50 crore) and (iii) additional Grants-in-aid to Central Board for Workers Education on account of salaries and pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 3 crore). (b) For providing interest free loan upto Rs.2.50 crore per Industrial Training Institute (ITI) to Institute Management	-	14.50	14.50
	मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु।	Committee of the concerned ITI.	2.50	-	2.50
खा न् 65	न मंत्रालय खान मंत्रालय (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए), (ख) भारतीय खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में व्ययों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF MINES 65 Ministry of Mines For meeting additional expenditure on salaries in respect of (a) Geological Survey of India (Rs. 32 crore), (b) Indian Bureau of Mines (Rs. 3.36 crore).	-	11.00	11.00
कार्रि	र्मेक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विज्ञापन तथा प्रचार संबंधी स्थापना व्यय हेतु।	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For establishment expenditure relating to Advertising and Publicity of Central Vigilance Commission.	-	0.18	0.18
पेट्रो	लियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
72	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय निम्नलिखित के लिए (i) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जिरए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना (10,000 करोड़ रुपए), (ख) एपीएम अविध से सम्बद्ध तेल विपणन कम्पनियों के आकस्मिक देयता दावों का निपटान (10.30 करोड़ रुपए) और (ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (242.47 करोड़ रुपए)।	NATURAL GAS 72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (a) providing compensation (Rs. 10,000 crore) through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products, (b) settlement of contingent liability claims of Oil Marketing Companies pertaining to APM period (Rs. 10.30 crore) and (c) additional equity investment in the bonus shares issued by Gas Authority of India Limited (Rs. 242.47 crore).	-	10,242.47 10),242.47

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय 74 विद्युत मंत्रालय निम्नलिखित के लिए (क) टिहरी पन बिजली विकास निगम को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की प्रतिपूर्ति (2.04 करोड़ रुपए) और (ख) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता पुरस्कार तथा चित्रकला प्रतियोगिता की योजना के तहत व्यय (18.70 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF POWER 74 Ministry of Power For (a) reimbursement of aid received from World Bank (Rs. 2.04 crore), to Tehri Hydro Development Corporation and (b) expenditure (Rs. 18.70 crore) under the scheme of Energy Conservation Awareness Awards and Painting Competition.	2.04	-	2.04
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय 76 लोक सभा अतिरिक्त घरेलू यात्रा व्यय की पूर्ति हेतु।	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT 76 Lok Sabha For meeting additional domestic travel expenditure.	-	0.20	0.20
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
84 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग अतिरिक्त व्यय हेतु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त व्यय (क) वेतनों तथा पेंशन सहायता के कारण (142 करोड़ रुपए) और (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं (202 करोड़ रुपए)।	TECHNOLOGY 84 Department of Scientific and Industrial Research For providing Grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure (a) on account of salaries and pension assistance (Rs. 142 crore) and (b) of National Laboratories (Rs.202 crore).	-	2.00	2.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय 87 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क स्कन्ध द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव तथा मरम्मत (156.44 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क स्कन्ध (30.32 करोड़ रुपए), (ii) सामरिक तथा सीमा सड़क रख खाव कार्य (0.11 करोड़ रुपए), और (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित सड़क निर्माण कार्यों हेतु सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए)। (ख) वाराणसी मुगलसराय बाइपास के सम्बन्ध में पंचाट फैसले के भुगतान हेतु। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	TRANSPORT AND HIGHWAYS 7 Department of Road Transport and Highways (a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repair of national highways undertaken by Road Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Road Wing (Rs. 30.32 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore), and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Road Development Board in Bhutan (Rs. 26.04 crore). (b) For payment of arbitral award in respect of Varanasi Mughalsarai Bypass. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	3.64	50.50	50.50 3.64
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम में इक्विटी निवेश हेतु।	EMPOWERMENT 88 Ministry of Social Justice and Empowerment For equity investments in National Handicapped Finance and Development Corporation.	9.00	-	9.00
इस्पात मंत्रालय 91 इस्पात मंत्रालय (क) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के सम्बन्ध में इसके भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	MINISTRY OF STEEL 91 Ministry of Steel (a) For carrying out necessary accounting adjustments relating to write-off of			

		(कर	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
में विलयन होने पर आयोजना-भिन्न ऋण (175.46 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना और इक्विटी के मूल्यहास (226.04 करोड़ रुपए) से सम्बन्ध आवश्यक लेखांकन समायोजनों का निष्पादन। (ख) एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी निवेश हेतु (260.04 करोड़ रुपए)।	Non-Plan loan (Rs. 175.46 crore) and write down of equity (Rs. 226.04 crore) in respect of Bharat Refractories Limited, following its merger with Steel Authority of India Limited. (b) For equity investment (Rs. 260.04 crore) issued by NMDC Limited in the	-	400.20	400.20
कराङ् रुपए)।	form of bonus shares.	-	252.04	232.04
कपड़ा मंत्रालय 92 कपड़ा मंत्रालय ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज माफी के सम्बन्ध में लेखांकन समायोजन का निष्पादन।	MINISTRY OF TEXTILES 92 Ministry of Textiles For carrying out accounting adjustments relating to waiver of interest in respect of British India Corporation Limited.	-	390.80	390.80
पर्यटन मंत्रालय 93 पर्यटन मंत्रालय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों की परियोजना/ढांचागत विकास के अंतर्गत चालू योजनाएं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु (23.32 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF TOURISM 93 Ministry of Tourism For meeting the expenditure for ongoing schemes/projects under Project/Infrastructure Development for Destination and Circuits (Rs. 23.32 crore).	12.00	-	12.00
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
95 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु। 96 चंडीगढ	95 Andaman and Nicobar Islands For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	27.03	27.03
 96 चडीगढ़ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु। 97 दादर तथा नगर हवेली 	 96 Chandigarh For revenue expenditure under various Ministries/Departments. 97 Dadra and Nagar Haveli 	-	47.00	47.00
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु। 98 दमन और दीव	For revenue expenditure under various Ministries/Departments. 98 Daman and Diu	-	93.13	93.13
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु। 99 लक्षद्वीप	For revenue expenditure under various Ministries/Departments. 99 Lakshadweep	-	41.60	41.60
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	3.04	3.04
शहरी विकास मंत्रालय 100 शहरी विकास विभाग (क) राष्ट्रपति सम्पदा में स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु। (ख) सामान्य पूल के आवासीय स्थानों के अंतर्गत परियोजनाओं और अन्य आवासीय परियोजनाओं तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित आवासीय परियोजनाओं में विद्यमान मकानों के उन्नयन पर होने वाले व्यय के लिए (49.99 करोड़ रुपये)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 100 Department of Urban Development (a) For establishment related expenses in President's Estate. (b) For expenditure in projects under General Pool Residential Accommodation and Other Housing Projects and upgradation of existing houses in Housing Projects situated at various places in the	2.00	9.85	9.85
101 लोक निर्माण कार्य	country (Rs. 49.99 crore). 101 Public Works	2.00	-	
स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	For establishment related expenditure.	-	8.41	8.41

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा कार्य और खेल मंत्रालय (क) यूवा छात्रावासों के निर्माण हेतु व्यय के लिए। (ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति को ऋण देने के लिए।	 105 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For expenditure towards construction of Youth Hostel. (b) For providing loan to the Organising Committee for Commonwealth Games, 	1.50	-	1.50
जोड़ तकनीकी	2010. Total Technical	4,526.86	35.00 4,56,425.03 4,	35.00 60,951.89

- 4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोजन से की जाएगी।
- 4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें कृषि मंत्रालय

1. कृषि और सहकारिता विभाग

- (क) राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (0.10 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय बांस मिशन (20 करोड़ रुपये) के लिए सहायता-अनुदान।
- (ख) राष्ट्रीय बांस मिशन को सहायता-अनुदान।
- (ग) बाजार अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास (20 करोड़ रुपये) और ग्रामीण गोदामों के निर्माण (10 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए।

2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(क) कृषि विस्तार (10 करोड़ रुपये) (ख) कृषि शिक्षा (30 करोड़ रुपये), और (ग) बाह्य परियोजनाएं/ स्कीम-कृषि शिक्षा (4 करोड़ रुपये) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता-अनुदान के लिए।

3. पशुपालन, डेरी कार्य और मात्सियकी विभाग

- (क) 'पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य' योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को सहायता-अन्दान।
- (ख) कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात विभिन्न दुग्ध संघों/दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाले संघों और 'सघन डेरी विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन को सहायता-अनुदान के लिए।
- (ग) 'पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए मछली पकड़ने के जहाजों के बदले में पैकेज' के अंतर्गत मछुआरों को सहायता-अनुदान के लिए।

Token Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

- (a) For Grants-in-aid for National Institute of Plant Health Management (Rs. 0.10 crore) and National Bamboo Mission (Rs. 20 crore).
- (b) For Grants-in-aid to National Bamboo Misison.
- (c) For Grants-in-aid under Development of Market Infrastructure, Grading and Standardisation (Rs. 20 crore) and Construction of Rural Godowns (Rs. 10 crore).

Department of Agricultural Research and Education

2

For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research under (a) Agricultural Extension (Rs. 10 crore), (b) Agricultural Education (Rs. 30 crore), and (c) Externally Aided Projects/Scheme-Agricultural Education (Rs. 4 crore).

Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

- (a) For Grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Corporation under the scheme 'Veterinary Services and Animal Health'.
- (b) For Grants-in-aid to the implementing agency i.e. various milk unions/ federations for increasing milk production and generation of additional of additional employment opportunities under the scheme 'Intensive Dairy Development Programme'.
- (c) For Grants-in-aid to fishermen under 'Package for Replacement of Fishing Vessels seized by Pakistan'.

nd

20.10 - 20.10

20.00 - 20.00

30.00 - 30.00

44.00 - 44.00

0.68 - 0.68

2.50 - 2.50

- 1.00 1.00

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (6.15 करोड़ रुपए) और (ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2 करोड़ रुपये) को	6 Department of Chemicals and Petrochemicals For providing Grants to (a) Hindustan Antibiotics Limited (Rs. 6.15 crore), and (b) Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited			
	अपनी सहायता कंपनियों में इक्विटी निवेश करने हेतु अनुदान देने के लिए।	(Rs. 2 crore) for equity investments in their respective subsidiary companies.	8.15	-	8.15
वापि	गज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10.	वाणिज्य विभाग (क) (i) चाय बोर्ड को सब्सिडी का भुगतान (8 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु कॉफी बोर्ड को सहायता अनुदान (13 करोड़ रुपए), (iii) इलायची बागानों के पुनःपौधारोपण और पुनरुद्धार के लिए मसाला बोर्ड (3 करोड़ रुपये) को सब्सिडी के भुगतान हेतु।	10 Department of Commerce (a) For (i) payment of subsidy to Tea Board (Rs. 8 crore), (ii) Grants-in-aid to Coffee Board for implementation of Sixth Central Pay Commission recommednations accepted by the Government (Rs. 13 crore), (iii) payment of subsidy to Spices Board for replantation and rejuvenation of			
	(ख) (i) परिवहन सहायता योजना के अंतर्गत निर्यातकों को दावों का भुगतान (12.52 करोड़ रुपये) और (ii) भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान को सहायता-अनुदान (0.75 करोड़	cardamom plantations (Rs. 3 crore). (b) For (i) payment of claims of exporters under Transport Assistance Scheme (Rs. 12.52 crore) and (ii) Grants-in-aid to Indian Institute of Plantation	24.00	-	24.00
11.	रुपये) के लिए। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	Management (Rs. 0.75 crore). 11 Department of Industrial Policy and Promotion	13.27	-	13.27
	(क) (i) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (1.50 करोड़ रुपये), (iii) केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (4.50 करोड़ रुपये) और (iv) लुगदी और कागज संबद्ध उद्योग विकास परिषद (0.46 करोड़ रुपये) को सहायता-अनुदान देने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid to (i) Indian Leather Development Programme (Rs.10 crore), (ii) National Council for Cement and Building Material (Rs.1.50 crore), (iii) Central Manufacturing Technology Institute (Rs. 4.50 crore) and (iv) Development Council for Pulp and Paper Allied Industries (Rs. 0.46 crore).	_	16.46	16.46
	(ख) 'अभिवृद्धि केंद्र' योजना के अंतर्गत (11 करोड़ रुपये) और (ii) विशेष श्रेणी वाले राज्यों को अतिरिक्त निधियां (10 करोड़ रुपये) जारी करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting additional expenditure (i) under the scheme 'Growth Centre' (Rs.11 crore) and (ii) towards releasing additional funds to Special Catergory States (Rs. 10 crore).	21.00	10.40	21.00
संच	ार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND	21.00		21.00
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (क) (i) स्वास्थ्य के लिए इलैक्ट्रानिकी की योजना (0.87 करोड़ रुपये), (ii) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (0.85 करोड़ रुपये), और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (1.48 करोड़ रुपये) में व्यय के लिए।	INFORMATION TECHNOLOGY 14 Department of Information Technology (a) For expenditure (i) under the scheme of Electronics in Health (Rs. 0.87 crore), (ii) in Standardisation Testing and Quality Certification Directorate (Rs. 0.85 crore) and (iii) in National Informatics Centre (Rs. 1.48 crore) for projects in North Eastern Region and Sikkim.	3.20	_	3.20

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
· (ख)	(i) अग्रिम संगणना विकास केन्द्र (24 करोड़ रुपये), (ii) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (3.50 करोड़ रुपये) और (iii) घटक और सामग्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र (2.50 करोड़ रुपये) पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 (b) For meeting additional expenditure on (i) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 24 crore), (ii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 3.50 crore) and (iii) Centre for Materials for Electronic Technology under Components and Material Development Programme (Rs. 2.50 crore). 	30.00	<u>-</u>	30.00
उपभोक्ता	मामले, खाद्य और सार्वजनिक	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
	रण मंत्रालय गेक्ता मामले विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थः परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रचार और प्रसार पर व्यय के लिए।	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 15 Department of Consumer Affairs (a) For expenditure on Advertising and Publicity under Consumer Protection Cell for the projects and schemes for the benefit of North Eastern Region and			
(ख)	परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रभार	Sikkim. (b) For expenditure on Advertising and Publicity under Consumer Protection	3.00	-	3.00
(ग)	और प्रसार पर व्यय के लिए। तौल और माप अवसंरचना मजबूत करने के लिए मशीनरी व उपस्करों की खरीद के	Cell for the projects and schemes. (c) For procurement of machinery and equipments for strenghtening of	14.50	-	14.50
16. खाद्य	लिए। ा और सार्वजनिक वितरण विभाग	Weights and Measures Infrastructure. 16 Department of Food and Public Distribution	5.40	-	5.40
(ক)	खाद्यान्नों की विकेंद्रित खरीद करने पर राज्य सरकारों को सब्सिडी के भुगतान के लिए।	(a) For payment of Subsidy to State Governments on decentralised procurement of food grains.	-	460.00	460.00
(ख)	व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को	(b) For meeting additional expenditure on professional services.(c) For Create in oid to State Trading	-	0.05	0.05
(ग)	सहायता-अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to State Trading Corporation of India Limited.	-	0.18	0.18
17. कार	मामले मंत्रालय पोरेट मामले मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 Ministry of Corporate Affairs			
	ीय कारपोरेट मामले संस्थान को विभिन्न जनात्मक खर्चों के लिए सहायता-अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid to Indian Institute of Corporate Affairs for various operational expenses.	2.70	-	2.70
	iत्रालय oति मंत्रालय कला और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और योजनाओं के लिए सहायता-अनुदान	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture (a) For Grants-in-aid to various institutions and schemes relating to Art and			
(ख)	हेतु। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सामान्य पूल के कार्यालय भवन के निर्माण का व्यय	Culture. (b) For expenditure towards construction of General Pool Office Accommodation	36.40	-	36.40
	पूरा करने के लिए।	for Archaeological Survey of India.	10.00	-	10.00
रक्षा मंत्रात 19. रक्षा (क)		MINISTRY OF DEFENCE 19 Ministry of Defence (a) For meeting additional expenditure on (i) construction of new office accommodation for Defence Accounts Department (Rs. 5.44 crore)			

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(13.90 करोड़ रुपये) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	and (ii) infrastructure development for newly setup of Armed Forces Tribunal and its branches (Rs. 13.90		10.24	10.24
(ख) मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड के इक्विटी निवेश के लिए।	crore). (b) For equity investment of M/s Mishra Dhaty Nigom Limited	-	9.00	9.00
(ग) मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड को ऋण निवेश के लिए।	Dhatu Nigam Limited. (c) For loan investment of M/s Mishra Dhatu Nigam Limited.	_	9.00	9.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF		7.00	7.00
•	NORTH EASTERN REGION			
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	27 Ministry of Development of North Eastern Region			
एशियाई विकास बैंक से सहायताप्राप्त पूर्वीत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबंधक एकक के स्थापना	For meeting establishment related expenditure of the Asian Development Bank			
संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	assisted North East State Road Project Management Unit.	1.00	-	1.00
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय 28. पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय भूकंपीय और भूकंप पूर्वगामी कार्यक्रमों के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करने	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 28 Ministry of Earth Sciences For providing Grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity			
के लिए।	and Earthquake Precursors programmes.	4.00	-	4.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय (क) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.30 करोड़ रुपये), (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (23.28 करोड़ रुपये), (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.55 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय बाघ संस्थाण प्राधिकरण (1.87 करोड़ रुपये) और (v) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (2.90 करोड़ रुपये) को सहायता-अनुदान के लिए।	29 Ministry of Environment and Forests (a) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.30 crore), (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs. 23.28 crore), (iii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 0.55 crore), (iv) National Tiger Conservation Authority (Rs. 1.87 crore) and (v) Wildlife Institute of India (Rs. 2.90 crore).	28.90	_	28.90
(ख) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.20 करोड़ रुपये) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (1 करोड़ रुपये) को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन के कारण सहायता-अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.20 crore) and (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs.1 crore) on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as		1.20	1.20
(ग) (क) गांवों के पुनर्वास और महत्वपूर्ण सामरिक बाघों के प्राकृतिक आवासों के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 'बाघ परियोजना' की स्कीम के अंतर्गत (10.80 करोड़ रुपए), और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों के विकास एकीकृत विकास के लिए सहायता" की योजना (1.50 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सहायता अनुदान।	accepted by the Government. (c) For Grants-in-aid (a) under the scheme of 'Project Tiger' for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger habitats (Rs. 10.80 crore) and (b) under the scheme of "Assistance of Development of National Park and Sanctuaries/Integrated Development (Rs.1.50 crore) in North Eastern Region and Sikkim.	12.30	1.20	1.20

							रोड़ रुपए Rupees	
21.72		ना और मीर्थक नथा पनों का विकास	C	ant l	No. Petitle and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	
अनुद	ान सर	<u>ज्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण</u>	Gr	ant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	(ঘ)	(i) हिमालय अनुसंधान और विकास को		(d)	For meeting additional expenditure on			
		सहायता-अनुदान (2.75 करोड़ रुपये). (ii)			account of (i) Grants-in-aid to			
		पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग			Himalayan Research and Development			
		व न्यायाधिकरण की स्थापना (1.56 करोड़			(Rs. 2.75 crore), (ii) Establishment of			
		रुपए), (iii) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम			Environment Authorities and			
		(1.28 करोड़ रुपए), (iv) खतरनाक पदार्थ			Environment Commission and			
		प्रबंधन (0.40 करोड़ रुपये), (v) भारत			Tribunal (Rs. 1.56 crore), (iii) National			
		सरकार-यूएनडीपी पर्यावरण सहायता कार्यक्रम			Coastal Management Programme (Rs.			
		को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केंद्रीय			1.28 crore), (iv) Hazarduous			
		वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन			Substances Management (Rs. 0.40			
		से वेतनों के कारण (0.60 करोड़ रुपये)			crore), (v) GOI-UNDP Enviornment			
		और (vi) गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी			Support Programme (Rs. 0.60 crore) on			
		करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम को			account of salaries on implementation			
		सहायता-अनुदान (22 करोड़ रुपये) के			of Sixth Central Pay Commission			
		अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।			recommendations as accepted by the Government and (vi) Grants-in-aid to			
		जातारक्त व्यय का पूरा करन के लिए।			National River Conservation			
					Programme for meeting additional			
					requirement for setting up of Ganga			
					River Basin Authority (Rs. 22 crore).	28.59	_	28.59
	(ভ)	सरकार द्वारा यथा स्वीकृति छठे केंद्रीय वेतन		(e)	For Grants-in-aid to Central Pollution	20.39	_	20.59
	(0)	आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से		(0)	Control Board on account of Salaries			
		वेतन व पेंशन के कारण केन्द्रीय प्रदूषण			and Pensions on implementation of			
		नियंत्रण बोर्ड को सहायता-अनुदान हेतु।			Sixth Central Pay Commission			
		Trans are detail organices.			recommendations as accepted by the			
					Government.	_	5.04	5.04
	(च)	गांवों के पुनर्वास और महत्वपूर्ण सामरिक		(f)	For Grants-in-aid under the scheme of			
	()	बाघों के प्राकृतिक आवासों के लिए "राष्ट्रीय		(-)	'Project Tiger' for additional requirement			
		बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त			of National Tiger Conservation Authority			
		आवश्यकता हेतु 'बाघ परियोजना' की स्कीम			for rehabilitation of villages and for core			
		के अंतर्गत।			critical tiger habitats.	56.00	-	56.00
	मंत्राल				TRY OF FINANCE			
31.		क कार्य विभाग	31		partment of Economic Affairs		0.10	0.10
	(क)	स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।			For meeting establishment expenditure.	-	0.10	0.10
	(ख)	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में		(b)	For payment towards membership fee for			
		शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क का			joining the Organisation for Economic		0.12	0.12
	()	भुगतान करने हेतु।		()	Cooperation and Development.	-	0.13	0.13
	(ग)	श्रीलंका सरकार को विस्तारित भारत सरकार		(c)	For making advances under			
		की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत अग्रिम देने के			Government of India Line of Credit		10.51	10.51
	0.0	लिए।	22	ъ	extended to Government of Sri Lanka.	-	10.51	10.51
32.		य संस्थाओं को भुगतान	32		ments to Financial Institutions			
	(क)	C		(a)	For payment to NABARD towards			
		के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक			reimbursement of interest paid by them			
		को की गई ब्याज की अदायगी की पुनःपूर्ति			to Reserve Bank of India, under			
		के भुगतान के लिए।			Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme.		149.79	149.79
	(ਹਰ)	राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी पूंजीगत निधियों		(b)		-	149.79	149./9
	(ख)	के सुदृढ़ीकरण के लिए टियर-i लिखतों में		(0)	For subscribing to Tier-1 Instruments			
		अभिदान हेतु।			of Nationalised Banks to augment their capital funds.	_	1,900.00	1,900.00
खार	थ्य अं	ोर परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NIS	TRY OF HEALTH AND FAMILY		,	,
			.,111		CLFARE			
l6.	स्वास	थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46		partment of Health and Family Ifare			
	(ক)	(i) बल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई			For Grants-in-aid to (i) Vallabhbhai			
	()	दिल्ली (23.30करोड़ रुपये), (ii) अखिल		()	Patel Chest Institute, New Delhi			

				<i>(कर</i> आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ान संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (80 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (12 करोड़ रुपये), (iv) रनातकोत्तर चिकित्सा स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (10 करोड़ रुपये), (v) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.15 करोड़ रुपये), (vi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (4 करोड़ रुपये), और (vii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (75 करोड़ रुपये) को सहायता-अनुदान के लिए।		(Rs.23.30 crore), (ii) All India Institute of Medical Sciences (Rs. 80 crore), (iii) National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore (Rs. 12 crore), (iv) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 10 crore), (v) National Academy of Medical Sciences (Rs.0.15 crore), (vi) National Vector Borne Diesease Control Programme (Rs. 4 crore), and (vii) Rashtriya Arogya			
(ख)	(1) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली (1.09 करोड़ रुपये), (2) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (2.77 करोड़ रुपये), (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (130 करोड़ रुपये), (4) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (9 करोड़ रुपये), (5) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (36.96 करोड़ रुपये) और (6) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.24 करोड़ रुपये), (ii) गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह को परिक्रामी निधि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए (1 करोड़ रुपये), (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान (2 करोड़ रुपये) की सहायता-अनुदान के लिए।	(b)	Nidhi (Rs. 75 crore). For (i) Grants-in-aid to (1) Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi (Rs.1.09 crore), (2) Chitaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 2.77 crore), (3) All India Institute of Medical Sciences (Rs. 130 crore), (4) National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore (Rs. 9 crore), (5) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 36.96 crore) and (6) National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.24 crore), (ii) providing financial assistance to patients below poverty line and to Union Territory of Andaman and Nicobar Islands towards revolving fund (Rs. 1 crore), (iii) contribution to World Health Organisation (Rs. 2 crore).	204.45	183.06	204.4: 183.00
(ग)	(i) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल (35.63 करोड़ रुपये), और (ii) क्षेत्रीय पराचिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आईजोल (2.24 करोड़ रुपये) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन के लिए सहायता-अनुदान हेतु।	(c)	For Grants-in-aid to (i) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs. 35.63 crore) and (ii) Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizwal (Rs. 2.24 crore) towards salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the		183.06	
(ਬ)	गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान हेतु।	(d)	Government. For Grants-in-aid to State Governments to provide financial assistance to patients below poverty line.	37.87	1.35	37.8° 1.3°
(ঙ)	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एंबूलेंस की खरीद (1.23 करोड़ रुपये), (ii) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के चालू बड़े निर्माण कार्य (16.07 करोड़ रुपये) (iii) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची को चालू निर्माण कार्यों की देनदारी (2.98 करोड़ रुपये), (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंघान संस्थान, पुडुचेरी की चालू निर्माण परियोजनाएं (62.07 करोड़ रुपये) और (v) बारह चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों के लिए कीमती मशीनरी और उपस्करों की केंद्रीकृत खरीद के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के	(e)	for meeting expenditure towards (i) procurement of ambulance under Central Government Health Scheme (Rs. 1.23 crore), (ii) ongoing major works of Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs. 16.07 crore), (iii) liability of ongoing works of Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Rs. 2.98 crore), (iv) ongoing construction projects of Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs. 62.07 crore) and (v) establishment of All India Institute of			

					आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुव	शन संर	<u>ब्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण</u>	Grant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
		सुपर स्पेशलिटी हस्पतालों की स्थापना (198 करोड़ रुपये) का व्यय पूरा करने के लिए।		Medical Sciences type Super-speciality Hospitals towards centralised procurement of high-end machinery and equipments for twelve Medical			
47		र्वद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,		College Institutions (Rs. 198 crore). epartment of Ayurveda, Yoga &	280.35	=	280.35
	ासद्ध	एवं होम्योपेथी (आयुष)		aturopathy, Unani, Siddha and			
	(क)	(i) 'सूचना शिक्षा व संचार पर व्यय' स्कीम के लिए (1 करोड़ रुपये), (ii) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को सहायता-अनुदान (0.02 करोड़ रुपये), (iii) 'आयुष अस्पताल' योजना (25 करोड़ रुपये), (iv) 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायता' योजना (1.46 करोड़ रुपये), (v) केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद' योजना (7.95 करोड़ रुपये), (vi) 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद' योजना (5.60 करोड़ रुपये), (vii) 'केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली', योजना (8.46 करोड़ रुपये), (viii) 'केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली योजना (5.05 करोड़ रुपये), (ix) राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नें (2.61 करोड़ रुपये), (x) 'आयुष का पुनः विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम और 'चिकित्सा शिक्षा जारी रखने' की स्कीमें (1 करोड़ रुपये), और (xi) आयुष शिक्षा/ दवा विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधि आदि में लगे गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र में अधिकृत आयुष उत्कृष्टता के केंद्रों को सहायता' योजना (6.02 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		For additional expenditure (i) for the scheme 'Expenditure on Information Education and Communication' (Rs. 1 crore), (ii) towards Grants-in-aid to Central Council of Homoeopathy (Rs.0.02 crore), (iii) for the scheme 'AYUSH Hospitals' (Rs. 25 crore), (iv) for the scheme 'Assistance for International Co-operation' (Rs. 1.46 crore), (v) for the scheme 'Central Council for Research in Ayurveda and Siddha' (Rs. 7.95 crore), (vi) for the scheme 'Central Council for Research in Homoeopathy' (Rs. 5.60 crore), (vii) for the scheme 'Central Council for Research in Unani Medicines, New Delhi' (Rs. 8.46 crore), (viii) for the scheme 'Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi' (Rs. 5.05 crore), (ix) for National Institute of Siddha, Chennai (Rs. 2.61 crore), (x) for the schemes 'Reorientation Training Programme of AYUSH' and 'Continuing Medical Education' (Rs. 1 crore), and (xi) for the scheme 'Assistance to accredited			
	(ख)	(i) मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद के चुनाव कराने के लिए (0.10 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (0.95 करोड़ रुपये), केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (7.43 करोड़ रुपये), केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (3.95 करोड़ रुपये) और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (0.03 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b)	AYUSH Centres of Excellence in non-government/private sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine, etc.' (Rs. 6.02 crore). For additional expenditure for (i) conducting Central Council of Indian Medicine election in the States of Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu (Rs. 0.10 crore), (ii) payments of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.95 crore), Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi (Rs. 7.43 crore), Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi (Rs. 3.95 crore) and Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi (Rs. 0.03 crore).	64.17	12.46	64.17 12.46

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सहायता-अनुदान के लिए।	48 Department of Health Research For Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	104.18	-	104.18
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मन्त्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग (क) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में इक्विटी को ऋण में अंतरण के लिए। (ख) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के	49 Department of Heavy Industry (a) For conversion of loan into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Limited. (b) For conversion of loan into equity in	108.04	-	108.04
संबंध में इक्विटी को ऋण में अंतरण के लिए। (ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण देने के लिए।	respect of Tyre Corporation of India Limited. (c) For providing loan to Heavy Engineering Corporation Limited.	202.86	60.00	202.86
गृह मन्त्रालय 51 गृह मन्त्रालय (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मोटर वाहनों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नव स्थापित कार्यालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 51 Ministry of Home Affairs (a) For meeting the expenditure on Motor Vehicles of Narcotics Control Bureau. (b) For meeting the establishment related	-	1.50	1.50
पर स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। 53 पुलिस केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाल के अन्य प्रशासनिक	expenditure on the newly established office of National Investigation Agency. 53 Police For expenditure on Other Administrative	-	0.50	0.50
खर्च पूरे करने के लिए। 55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	Expenses of Central Forensic Science Laboratory. 55 Transfers to Union Territory Governments	0.10	-	0.10
केंद्रीय बिक्री कर संग्रहणों की पुनःपूर्ति हेतु पुडुचेरी सरकार को अनुदान देने के लिए।	For providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections.	-	128.89	128.89
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) नवोदय विद्यालय समिति (15.74 करोड़ रुपए) और (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (188.53 करोड़ रुपए) को वेतन/पेंशन, मानदेय के संशोधन के कारण व्यय।	(a) For expenditure on account of revision of salary/pension/bonus to (i) Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 15.74 crore) and (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (Rs. 188.53 crore).	_	204.27	204.27
(ख) (i) नवोदय विद्यालय समिति के क्रिया कलापे की संरचना (59 करोड़ रुपए) और (ii) बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजन (24.53 करोड़ रुपए) के व्यय हेतु।	(b) For expenditure on (i) construction activities of Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 59 crore) and (ii) National Scheme for Incentive to Girl Child	0.0	201.27	
(ग) बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजन हेतु राज्य सरकारों को अनुदान सहायता।	(Rs.24.53 crore).(c) For Grants-in-aid to State Governments on National Scheme for Incentive to	83.53	-	83.53
(घ) बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजन हेतु संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान सहायता।	Girl Child. (d) For Grants-in-aid to Union Territory Governments on National Scheme for Incentive to Girl Child.	169.59 5.43	-	169.59 5.43

						रोड़ रुपए Rupees	
अनुद	ान संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
58	उच्च (क)	तर शिक्षा विभाग (i) मुम्बई विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए), कोलकाता विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए) और मद्रास विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए)		Department of Higher Education a) For Grants-in-aid under the scheme of (i) Institutions of Excellence to the University of Mumbai (Rs. 20 crore),			
		वेत उत्वृत्ष्ट संस्थानों, (ii) ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना (0.25 करोड़ रुपए), (iii) हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा (0.60 करोड़ रुपए और (iv) लघुकार्यों और रखरखाव हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी प्रौद्योगिकी शुरू करने की योजनाओं के तहत अनुदान सहायता।		University of Calcutta (Rs. 20 crore) and University of Madras (Rs. 20 crore), (ii) establishment of Rural University (Rs. 0.25 crore), (iii) Hindi Shiksha Mandal, Agra (Rs. 0.60 crore) and (iv) Commission for Scientific and Technical Technology for minor works and maintenance (Rs. 0.30 crore).	61.15	<u>-</u>	61.15
	(অ)	(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (29.97 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिक संस्थान (39.54 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा अनुसंघान संस्थान (25 करोड़ रुपए और (iv) तीन नए आईआईटीज की स्थापना (10 करोड़ रुपए) हेतु अनुदान सहायता।	(b) For Grants-in-aid under the scheme of (i) All India Council for Technical Education (Rs. 29.97 crore), (ii) National Institute of Technology (Rs.39.54 crore), (iii) Indian Institute of Science for Education Research (Rs.25 crore) and (iv) Setting of three new IITs (Rs. 10 crore).	104.51	_	104.51
	(ग)	क्षेत्र विशिष्ट और मद्रास आधुनिकीकरण कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत मद्रास को अनुदान सहायता।	(c) For Grants-in-aid to Madrasa under the scheme 'Area Intensive and Madrasa Modernisation Programme'.	2.00	_	2.00
	(ঘ)	क्षेत्र विशिष्ट और मद्रास आधुनिकीकरण कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनुदान सहायता।	(d) For Grants-in-aid to State Governments under the scheme 'Area Intensive and Madrasa Modernisation Programme'.	18.00	_	18.00
	(इ)	(i) सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर व्यय (376.75 करोड़ रुपए), (ii) भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा फाऊंडेशन को आयकर और सीमाशुक्क की वापसी' की योजना के अन्तर्गत (0.92 करोड़ रुपए), (iii) विदेशों के शिक्षा संस्थानों के स्थापना संबंधी व्ययों की योजना के अन्तर्गत (1.13 करोड़ रुपए) और (iv) विदेशी सरकारों/ संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति, ब्रिटेन के एवज में विदेश जा रहे भारतीय स्कोलरों की योजना के अन्तर्गत (0.11 करोड़ रुपए)।		e) For Grants-in-aid (i) to various institutions for meeting additional expenditure (Rs. 376.75 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government, (ii) under the scheme 'Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India' (Rs. 0.92 crore), (iii) under the scheme 'Education Institutions Abroad for establishment related expenditure (Rs. 1.13 crore) and (iv) under the scheme 'Indian Scholars going abroad' against scholarships offered by Foreign Government/ Organisations for Commonwealth Scholarship, UK (Rs. 0.11 crore).	-	378.91	378.91
	(च)	सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर व्यय के लिए सहायता-अनुदान।	(f) For Grants-in-aid to various institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the			
	(ਬ)	पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इटानगर को सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर हुए व्यय के लिए सहायता अनुदान।	(Government. g) For Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations	-	282.73	282.73
		-		as accepted by the Government.	-	6.50	6.50

					रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ज)	(i) सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में सुधार की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में सहायता-अनुदान।		(h) For Grants-in-aid under the scheme 'Improvement in the Scale of University and College Teachers' to meet Government of India's share of liability payable to States on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	59.53	59.53
सूचना औ	र प्रसारण मंत्रालय	MI	NISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचन	ना और प्रसारण मंत्रालय	59	Ministry of Information and			
(ক)	"भारत निर्माण" संचार अभियान विकास के अन्तर्गत अतिरक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		Broadcasting (a) For meeting additional expenditure under Development Communication			
(ख)	प्रसार भारती को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना सुविधाओं में सुधार हेतु अतिरिक्त अनुदान		Campaign for "Bharat Nirman". (b) For providing additional Grants-in-aid to Prasar Bharati for improvement in	27.42	-	27.42
(ग)	सहायता प्रदान करना। साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीयकता बढ़ावे के लिए मल्टीमीडिया अभियान के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		Network facility in North East Areas. (c) For meeting additional expenditure for multimedia campaign on Communal Harmony and National Integration	15.64	-	15.64
	व्यव पर्रा भूति हतु।		enhancement.	-	15.00	15.00
विधि और	ः न्याय मंत्रालय	MI	NISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62 বিधি (ক) (ख)	ा और न्याय अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगठन को अनुदान सहायता। (i) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (0.15 करोड़ रुपए) और (ii) विधायी विभाग	62	 Law and Justice (a) For Grants-in-aid to the International Law Association. (b) For(i) Grants-in-aid to the Institute of Constitutional and Parliamentary 	-	1.50	1.50
	की भाषायी विंग के अतिरिक्त व्यय (0.18 करोड़ रुपए) हेतु अनुदान सहायता।		Studies (Rs. 0.15 crore) and (ii) additional expenditure (Rs. 0.18 crore) of Official Language Wing of the Legislative Department.	-	0.33	0.33
सूक्ष्म, लघ्	यु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म	ा, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(ক)	(i) प्रौद्योगिकी की गुणता सहायता संस्थान कार्यक्रम (1.64 करोड़ रुपए), (ii) सब्सिडी पर पूंजीगत सब्सिडी योजना से संबंधित ऋण (16.85 करोड़ रुपए), (iii) ऋण सहायता कार्यक्रम (32.18 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को सब्सिडियों पर विपणन सहायता योजना (1.60 करोड़ रुपए)।		(a) To meet the additional expenditure under the schemes of (i) Quality of Technology Support Institution Programme (Rs. 1.64 crore), (ii) Credit Linked Capital Subsidy Scheme on subsidies (Rs. 16.85 crore), (iii) Credit Support Programme (Rs. 32.18 crore) and (iv) Marketing Assistance Schemes on Subsidies (Rs. 1.60 crore) to National Small Industries Corporation Limited.	52.27		52.27
(ख)	एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम तथा एमएसएमई विकास पोल्स के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधानों में वृद्धि (1.55 करोड़ रुपए) और अंशदान के सम्बन्ध में ऋण सहायता कार्यक्रम (6.73 करोड़ रुपए)।		(b) For augmentation of provisions for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in respect of MSME Clusters Development Programme and MSME Growth Poles (Rs. 1.55 crore) and Credit Support	32.21	-	32.21
	पराष्ट्र रपर्)।		Programme towards contribution (Rs.6.73 crore).	8.28	-	8.28

त्रवान संख्या और सीकरणीय उर्जा मंत्रालय (क) बायोगेस तथा राष्ट्रीय विकास निविष्ठ के तहत प्रस्कर के तहत उपस्करों की विवर्ण हों। (ख) निम्नितिखत के सम्बन्ध में व्यय हेतु (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्र (0.15 करोड़ रुपए), (ii) सौर फजों केन्द्र के तहत उपस्करों की अधिप्रापित और अन्य अनुसंधान तथा विकास निर्माण कार्य (0.20 करोड़ रुपए), (ii) फोटोवॉल्टिक केमों तथा टेक्नों के तहत पुरानी वचनबद्ध देवताएं (0.65 करोड़ रुपए), (ii) फोटोवॉल्टिक केमों तथा टेक्नों के तहत पुरानी वचनबद्ध देवताएं (0.85 करोड़ रुपए), (iv) पवन प्रथम कार्यक्रम की सहायवा अपनर्यत पुरानी वचनबद्ध देवताएं (0.85 करोड़ रुपए), (v) शहरी तथा कृषि अपशिष्टों से प्राप्त कर्जा के तहत अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं (0.30 करोड़ रुपए)) और (vi) सौर विद्युत तथा लघा पु पन विज्ञाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत उपलब्ध कराना (25 करोड़ रुपए)) विराहण कराये कार्याच्या पत्र विद्युत तथा लघा पु पन विज्ञाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत उपलब्ध कराना (25 करोड़ रुपए)) (ii) सौरति के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) (त्र) अत्र योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) कोरस्तिम सिटिजनशिय ऑक इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (ii) वोत्रस्कि सिटिजनशिय जोंक इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (ii) आंतरसीक सिटजनशिय जोंक होंक परण्य), (ii) आंतरसीक सिटजनशिय जोंक होंक परण्य), (ii) आंतरसान (0.10 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर परण्य), (ii) आंतरको को जोंन कर्कक रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) आंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) जोरक्की के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) आंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (ii) अंतरको के तर अनुति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (करोड़ रुपए Rupees	
कर नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रात्वय (क) बायोगेस तथा राष्ट्रीय विकास निधि के तहत पिछले वर्षों के लेखों के निपटान हेतु व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यय हेतु (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्र (0.15 करोड़ रुपए), (ii) सौर उज्जों केन्द्र के तहत उपस्करों की अधिप्राप्ति और अन्य अनुसंधान तथा विकास निर्माण कार्य (0.20 करोड़ रुपए), (iii) फोटोवॉल्टिक डेमो तथा टेक्नों के तहत पुरानी वयनबद्धताएं (0.05 करोड़ रुपए), (iv) पवन प्रपा कार्यक्रम को सहायता अन्यनंत पुरानी वयनबद्धताएं (0.35 करोड़ रुपए), (iv) सारे विद्युत तथा क्षण्च प्रमा विकास परियोजनाएं (0.30 करोड़ रुपए) और (vi) सौर विद्युत तथा काष्ट्र प्रमा विकास परियोजनाएं (0.30 करोड़ रुपए) और (vi) सर्राप्त विद्युत तथा काष्ट्र प्रमा विकास परियोजनाथं कि स्वाय के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ग) सरकार द्वारा प्रमा विकास परियोजनाय के सम्बन्ध में विद्युत उपालब्ध करमा (25 करोड़ रुपए) । (ग) सरकार द्वारा प्रमा प्रमा विकास परियोजनाय के सिर्माय का मारे कि स्वाय के पूर्ति हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) जोतरसीज विदिजनिय व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) जोतरसीज विदिजनिय व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) जोतरसीज विदिजनिय व्याव के रुपए), (v) डाइसपोग बच्चों के ताथ प्रमान (0.02 करोड़ रुपए), (v) जाइसपोग बच्चों के ताथ प्रमान (0.03 करोड़ रुपए), (v) जाइसपोग बच्चों के साथ पारकृतिक सम्बन्धों को प्रोतगान (0.05 करोड़ रुपए), (vi) जासरसोग विज्ञान (0.10 करोड़ रुपए), (vi) जासरसोग वाला (7.23 करोड़ रुपए), (vi) जासरसोग विकास पारकृत परिवाग-प्रतिहिता (त्र. 3.08 ट्वर), (vi) मारताच विकास पारकृतिक रुपए), (vi) जासरसोग विकास पारकृति	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(क) वायोगंच तथा राष्ट्रीय विकास निवि के तहत पिछले वर्षों के लेखों के नियदान हेतु व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यय हेतु (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्र के तहत उपरक्तें की अध्याप्रति और अन्य अनुसंचान तथा विकास निर्माण कार्य (0.20 करोड़ रुपए), (ii) फोटोवॉल्टिक डेमो तथा टेक्नो के तहत उपरक्तें की अध्याप्रति और अन्य अनुसंचान तथा विकास निर्माण कार्य (0.20 करोड़ रुपए), (iv) यवन पप्प कार्यक्रम को सहायता अन्तर्गत पुरानी वयनबद्धताएं (0.05 करोड़ रुपए), (v) शहरी तथा कृषि अपरिषटों से प्राप्त अर्जी के तहत अनुसंचान तथा विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत तथा तथा प्रप्त विकास कराना (25 करोड़ रुपए) और से विद्युत तथा तथा प्रप्त विकास कराना (25 करोड़ रुपए), (ii) सौर विद्युत तथा तथा व्यव प्रप्त व्यव कराना (25 करोड़ रुपए) कहि करोड़ कराए) अर्वि रिक्त व्यव कर्मा (25 करोड़ रुपए) कहि रुपण कर्मा करायोग्वय कराना (25 करोड़ रुपए) कहि रुपण करायोग्वय कराना (25 करोड़ रुपए) कहि रुपण करायोग्वय करायोग्य करायोग्वय करायोग्य करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय करायोग्यय			
परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत उपलब्ध कराना (25 करोड़ रुपए)। (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्धित वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (द) For additional expenditure on account of enhanced salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. (क) 'महा उद्ययासन संरक्षक' के नवस्पित अधीनस्थ कार्यालय की संस्थापना (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्यों (0.01 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (iii) 'भारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) डाइसपोरा बच्चों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन (0.02 करोड़ रुपए), (vi) जामरक्रता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii)	7.00) -	7.00
श्रि भारतीय अप्रवासी कार्य मंत्रालय (क) 'महा उत्प्रवासन संस्क्षक' के नवसृजित अधीनस्थ कार्यालय की संस्थापना (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्यों (0.01 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (iii) 'भारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) जानरुकता अभियान/भीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii)	26.55		26.55
श्रि भारतीय अप्रवासी कार्य मंत्रालय (क) 'महा उत्प्रवासन संरक्षक' के नवसृजित अधीनस्थ कार्यालय की संस्थापना (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्यों (0.01 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) ओवरसीज सिटिजनिशप ऑफ इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (iii) 'भारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (vi) जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii)	1.00		1.00
(क) 'महा उत्प्रवासन संरक्षक' के नवसृजित अधीनस्थ कार्यालय की संस्थापना (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्यों (0.01 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय हेतु। (ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) अंवरसीज सिटिजनिशप ऑफ इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (iii) 'मारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) डाइसपोरा बच्चों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन (0.02 करोड़ रुपए), (vi) जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii) (a) For expenditure on establishment (Rs.3.57 crore), Minor Works (Rs. 0.01 crore) and Information Technology (Rs. 0.78 crore) of the newly formed Subordinate Office of 'Protector General of Emigrants. (b) For expenditure under the schemes of (i) Other Schemes (Rs. 0.10 crore), (ii) Overseas Citizenship of India (Rs.1.60 crore), (iii) Know India Programme (Rs. 0.80 crore), (v) Promotion of Cultural ties with Diaspora Children (Rs. 0.02 crore), (vi) Awareness Campaign/Media Plan (Rs. 7.23 crore),			
अोवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (1.60 (i) Other Schemes (Rs. 0.10 crore), करोड़ रुपए), (iii) 'भारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) डाइसपोरा बच्चों के साथ Scholarship Schemes for Diaspora सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन (0.02 करोड़ रिपए), (vi) जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास (Rs. 0.02 crore), (vi) Awareness फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii)	-	- 4.36	4.36
समुद्रपारीय भारतीय सूचना और सुविधा केन्द्र (0.95 करोड़ रुपए), (ix) समुद्रपारीय कामगार (Rs. 0.10 crore), (viii) Overseas Indian संसाधन केन्द्र (0.25 करोड़ रुपए), (x) उत्प्रवासन कामगार के प्री-डिपार्टर ऑरिएंटेशन और दक्षता उन्नयन (5 करोड़ रुपए), (xi) समुद्रपारीय भारतीय केन्द्र (0.50 करोड़ रुपए), (xi) (0.50 करोड़ रुपए) और (xiii) एनआरआई विवाह सम्बन्धी समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता (0.02 करोड़ रुपए)। अर्थ (एंii) Indian Development Foundation (Rs. 0.10 crore), (viii) Overseas Indian Centre (Rs. 0.95 crore), (ix) Overseas Workers Resource Centre (Rs. 0.25 crore), (x) Pre-Departure Orientation and Skill Upgradation of Emigrant Worker (Rs. 5 crore), (xi) Overseas Indian Centres (Rs. 0.50 crore), (xii) for Promotion of Overseas Employment (Rs. 0.50 crore) and (xiii) legal assistance to women facing problems in NRI marriage (Rs. 0.02 crore).		- 20.15	20.15

		आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i></i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
पंचायती राज मंत्रालय 69 पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (11.85 करोड़ रुपए) और कार्रवाई अनुसंधान तथा अनुसंधान अध्ययन (1 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 69 Ministry of Panchayati Raj For meeting the additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana (Rs. 11.85 crore) and Action Research and Research Studies (Rs. 1 crore).	12.85	-	12.85
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 71 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय की भूमि खरीद हेतु।	For purchase of land for North Eastern Region Office of the Staff Selection Commission.	-	0.72	0.72
विद्युत मंत्रालय 74 विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER 74 Ministry of Power			
 (क) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान हेतु। (ख) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन को ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के पूर्व अविध 	(a) For Grants-in-aid to the National Power Training Institute.(b) For carrying out prior period adjustment of conversion of loan into equity of North	-	2.22	2.22
समायोजना के निष्पादन हेतु।	Eastern Electric Power Corporation.	361.10	-	361.10
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप राष्ट्रपति का सचिवालय 75 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते जरूरतमंद व्यक्तियों को अनुदानों पर अतिरिक्त	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT 75 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional expenditure on			
व्यय की पूर्ति हेतु।	grants to needy persons.	-	0.30	0.30
ग्रामीण विकास मंत्रालय 80 ग्रामीण विकास विभाग निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) इन्दिरा आवास योजना। (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 80 Department of Rural Development For meeting additional expenditure on:- (a) Indira Awaas Yojana. (b) National Rural Employment Guarantee	1.67	-	1.67
(ग) डीआरडी प्रशासन	Schemes. (c) DRDA Administration.	194.84 42.00	-	194.84 42.00
(E)	(d) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	232.64	-	232.64
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 83 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 83 Department of Science and Technology			
(क) (i) मान 1:10000 (10 करोड़ रुपए) में न्यू मैप सीरीज के लिए भारत का सर्वेक्षण (ii) प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायित्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायित्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम कार्यक्रम (6 करोड़ रुपए) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास (iii) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली, उपकरण विकास कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (8 करोड़ रुपए), (iv) राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य परिषद (4 करोड़ रुपए) और (v)	(a) For Grants-in-aid support to (i) Survey of India for new map series in the scale 1:10000 (Rs. 10 crore), (ii) Science and Technology Entrepreneurship Development for Technology Business Incubators and Science and Technology Entrepreneurship Programmes (Rs. 6 crore), (iii) Technology Development Programme for Natural Resources Data Management System, Instrument Development Programme and Disaster			

			(कर	in Crore)	
अनुद	न्न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	इलेक्ट्रोनिक ट्रांसएकशन और सिक्युरिटी सोसाइटी चेन्नई के अधीन इन्फोरमेशन सिक्युरिटी एंड क्रिप्टोलॉजी और सीनर्जी परियोजनाओं के तहत क्वैन्टम वेल इन्फ्रार्ड फोटो डिटेक्टर्स के विकास के लिए सहायता अनुदान हेतु (8 करोड़ रुपए)।	Management (Rs. 8 crore), (iv) various State Councils for Science and Technology Programme (Rs. 4 crore) and (v) the Advanced Facility for Information Security and Cryptology under the Society for Electronics Transactions and Security, Chennai and development of Quantum Well Infrared Photo detectors array under Synergy Projects (Rs. 8 crore).	36.00		36.00
	(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भारतीय सर्वेक्षण के लिए सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid to Survey of India for two Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad.	-	1.10	1.10
	(ग) मरम्मत सहित मुख्य निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण को सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to Survey of India for	2.00	1.10	
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	major works including repairs. 84 Department of Scientific and Industrial Research	3.00	-	3.00
85	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। जैव प्रौद्योगिकी विभाग निम्नलिखित के तहत सहायता अनुदान हेतु (i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी शौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन और विभिन्न विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण (6 करोड़ रुपए) और (ii) अनुमोदित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पर्यावरण संबंधी	For providing Grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research. 85 Department of Biotechnology For Grants-in-aid under (i) Biotechnology Education and Training Programme for Post Graduation Techning Programme, Implementation of Biotechnology Industrial Training Programe and strengthening of various Universities (Rs. 6 crore) and (ii) Environmental Biotechnology Programme	43.00	-	43.00
पोत	जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए)। परिवहन, सड़क परिवहन	for funding approved projects (Rs. 3 crore). MINISTRY OF SHIPPING, ROAD	9.00	-	9.00
86	और राजमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन विभाग (क) कम्प्यूटरीकरण संबंधी व्यय हेतु।	TRANSPORT AND HIGHWAYS 86 Department of Shipping (a) For expenditure on account of			
	(ख) कोलकाता पत्तन ट्रस्ट को अतिरिक्त तलकर्षण	computerisation. (b) For additional dredging subsidy to	0.50	-	0.50
	सब्सिडी। (ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान (1.90 करोड़ रुपए) और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	Kolkata Port Trust. (c) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Maritime Studies (Rs. 1.90 crore) and Indian Maritime University (Rs. 1	-	31.19	31.19
	(1 करोड़ रुपए)। (घ) न्यायालय मामले के प्रतिवाद के लिए व्यावसायिक सेवाओं संबंधी व्यय हेतु।	crore).(d) For expenditure towards professional services for defending court case.	-	2.90 2.00	2.90
	(ङ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निवेश हेतु।	(e) For investment in Hindustan Shipyard Limited.	10.90	-	10.90
	(च) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय संबंधी सिविल निर्माण कार्य संबंधी व्यय हेतु।	(f) For expenditure on civil works in respect of Indian Maritime University.	9.00	-	9.00
	ाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
	(क) राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to Rajiv Gandhi National Fellowship scheme.	12.94	-	12.94
	(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान	(b) For Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes.	-	0.31	0.31

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 90 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहार अनुदान।	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 90 Ministry of Statistics and Programme Implementation For Grants-in-aid to Indian Statistical Institute, Kolkata.	-	4.78	4.78
इस्पात मंत्रालय 91 इस्पात मंत्रालय भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के अनुमोदित पूँ पुनर्निर्माण के भाग के रूप में 7% गैर संच अधिमानी शेयर के मोचन के संबंध में ऋण इक्विटी में रूपांतरण (16.50 करोड़) और इक्वि के नए निर्गम (12.05 करोड़ रुपए) संबंधी आवश्य लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु।	adjustments relating to conversion of loan into equity (Rs. 16.50 crore) and fresh issue of equity (Rs. 12.05 crore) towards	28.55	-	28.55
कपड़ा मंत्रालय (क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय के वि (i) हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योज (5.17 करोड़ रुपए), (ii) विविधिवृ हस्तकरघा विकास योजना (0.85 कर रुपए)। (iii) कल्याण और अन्य योज (11.93 करोड़ रुपए) (iv) रेशम उद्य का विकास (6 करोड़ रुपए) और (v) राष्ट्र फेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (6 करोड़ रुपए (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय के वि (i) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन (2. करोड़ रुपए), (ii)मिल गेट प्राइस स्क्री (4.59 करोड़ रुपए) और (iv) विद्युतकर उद्योग (2 करोड़ रुपए)। (ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के सं में ऋण को इक्विटी में बदलने संब लेखाकरण समायोजन करने के लिए।	Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (Rs. 5.17 crore), (ii) Diversified Handloom Development Scheme (Rs. 0.85 crore), (iii) Welfare and other Scheme (Rs. 11.93 crore), (iv) Development of Silk Industries (Rs. 6 crore), and (v) National Institute of Fashion Technology (Rs. 6 crore). (b) For additional expenditure on (i) Design and Technical Upgradation (Rs.2.77 crore), (ii) Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.59 crore), (iii) Central Silk Board (Rs. 10 crore) and (iv) Powerloom Industries (Rs. 2 crore).	29.95	- - 249.62	29.95 19.36 249.62
पर्यटन मंत्रालय 93 पर्यटन मंत्रालय होटेल प्रबंधन संस्थान, फुड क्राफ्ट संस्थान, पर्य और यात्रा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय होते प्रबंधन केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद के तहत च स्कीमों/परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय प	ল additional expenditure for the on-going schemes/projects under assistance to	12.00	-	12.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय 94 जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान अनुसूचित जनजाति के कल्याण के वि विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन (3.50 कर	various schemes for the Welfare of			

(ii) conducting evaluation studies under

the scheme 'Monotoring and

रुपए) और (ii) मानीटरिंग और मूल्यांकन

स्कीम के तहत मूल्यांकन अध्ययन करना

				गेड़ रुपए Rupees	
अनुदान संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख)	(0.25 करोड़ रुपए) तथा सूचना और मास मीडिया स्कीम के तहत (0.25 करोड़ रुपए)। निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) आदि जनजाति समूह का विकास योजना के अधीन (16 करोड़ रुपए) और (ii) जनजाति के कल्याण के लिए कोचिंग और	Evaluation' (Rs. 0.25 crore) and under the scheme of information and Mass Media (Rs. 0.25 crore). (b) For meeting expenditure (i) under the scheme of 'Development of Primitive Tribal Groups' (Rs. 16 crore) and (ii) under Coaching and Allied Schemes for	4.00	-	4.00
	संबद्ध स्कीमों के तहत (0.01 करोड़ रुपए)।	the welfare of Scheduled Tribes (Rs.0.01 crore).	16.01	-	16.01
-	ास मंत्रालय ो विकास विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड को	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 100 Department of Urban Development (a) For Grants-in-aid to National Capital			
(ख)	सहायता अनुदान के लिए। बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन में निवेश के लिए।	Regional Planning Board. (b) Towards investment in Bangalore Metro Rail Corporation.	21.99	0.25	0.25 21.99
103 जल लघु	धन मंत्रालय संसाधन मंत्रालय सिंचाई जनगणना कार्य पूरा करने हेतु राज्य गरों को सहायता अनुदान के लिए।	MINISTRY OF WATER RESOURCES 103 Ministry of Water Resources For Grants-in-aid to State Governments to complete the Minor Irrigation Census Work.	3.00	-	3.00
ाहिला एवं	ां बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
(ক) (ख)	निम्नलिखित के सहायता अनुदान के लिए (i) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत योजना के तहत (2.50 करोड़ रुपए) और (ii) कार्यरत बच्चों और देखभाल एवं रक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के तहत (1.50 करोड़ रुपए)। निम्नलिखित हेतु सहायता अनुदान के लिए (i) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (0.88 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.16 करोड़ रुपए) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर वेतन/पेंशन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	104 Ministry of Women and Child Development (a) For Grants-in-aid (i) under the "Integrated Scheme for Street Children" (Rs. 2.50 crore) and (ii) under the "Scheme for the Welfare of working Children and Children in need of Care and Protection" (Rs. 1.50 crore). (b) For Grants-in-aid to (i) National Institute of Public Cooperation and Child Development (Rs. 0.88 crore), and (ii) National Commission for Women (Rs.0.16 crore) for meeting the additional requirement of salaries/ pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations, as accepted by the Government.	4.00	1.04	4.00
•	मामले और खेल मंत्रालय निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) भारतीय खेल प्राधिकरण/सीपीडब्ल्यूडी को कॉमन वेल्थ खेल 2010 के लिए (105 करोड़ रुपए), (ii) दिल्ली विश्वविद्यालय (50 करोड़ रुपए) और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (2 करोड़ रुपए) में कॉमन वेल्थ खेल 2010 के लिए प्रतियोगिता स्थान और प्रशिक्षण स्थान का विकास एवं उन्नयन/पुनरुद्धार (iii) अखिल	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 105 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For meeting additional requirement for (i) Sports Authority of India/CPWD for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 105 crore), (ii) development and upgradation/renovation of competition venues and training venues for Commonwealth Games, 2010 at Delhi University (Rs. 50 crore) and Jamia Millia Islamia University (Rs. 2 crore), (iii) upgradation/renovation of P. K. Khanna Stadium for			

renovation of R.K. Khanna Stadium for

Lawn Tennis under All India Association

भारतीय कॉमन वेल्थ खेल 2010 संघ के

तहत लॉन टेनिस के लिए आर.के. खन्ना

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore,				
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total			
	स्टेडियम का उन्नयन/पुनरूद्धार (10 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि योजना के तहत (40.76 करोड़ रुपए)।		for Commonwealth Games, 2010 (Rs.10 crore), and (iv) under the scheme of 'National Sports Development Funds' (Rs. 40.76 crore).	207.76	_	207.76			
(ख)	निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (13.24 करोड़ रुपए) (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (0.25 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (1.74 करोड़ रुपए) और	(b)	For Grants-in-aid to (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (Rs. 13.24 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Rs. 0.25 crore), (iii) Sports Authority of India (Rs. 1.74						
(ग)	(iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)। सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(c)	crore), and (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs.0.25 crore). For meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the	-	15.48	15.48			
		70. / 1.7T	Government.		0.59	0.59			
जोड़ सांके	गतक	Total T	oken	0.70	0.46	1.16			
कुल जोड़	r	GRANI	D TOTAL	5,070.13	4,66,648.40 4,7	1,718.53			
निवल नव	नद व्यय	Net Ca	sh Outgo	542.57	10,222.91 1	0,765.48			
तकनीकी पूरक अनुदान		Techni	cal Supplementary	4,526.86	4,56,425.03 4,6	0,951.89			
सांकेतिक पूरक अनुदान		Token	Supplementary	0.70	0.46	1.16			

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए 1	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता	_	1. Department of Agriculture					
विभाग	स्वीकृत	and Cooperation	Voted	0.03		0.03	
2. कृषि अनुसंधान और	0	2. Department of Agricultural Research					
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	89.21	•••	89.21	
3. पशुपालन और डेरी कार्य		3. Department of Animal Husbandry,					
मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.03		0.03	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	ī	MINISTRY OF CHEMICALS AND					
A A A		FERTILISERS					
6. रसायन और पैट्रोरसायन		6. Department of Chemicals and					
विभाग	स्वीकृत	Petrochemicals	Voted	0.01		0.01	
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	206.99		206.99	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	ſ	MINISTRY OF COMMERCE					
		AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	194.42		194.42	
11. औद्योगिक नीति तथा सं	iवर्ध न	11. Department of Industrial Policy and					
विभाग	भारित	Promotion	Charged	0.45		0.45	
	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	t	MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
मंत्रालय		AND INFORMATION TECHNOLO	GY				
12. डाक विभाग	भारित	12. Department of Posts	Charged	0.13	0.59	0.72	
	स्वीकृत		Voted	784.61		784.61	
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted		507.92	507.92	
14. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	ग स्वीकृत	14. Department of Information Technology	Voted	0.02		0.02	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रा	ालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	ON				
15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	148.43		148.43	
16. खाद्य और सार्वजनिक वि	वेतरण	16. Department of Food and Public					
विभाग	भारित	Distribution	Charged	0.68		0.68	
	स्वीकृत		Voted	0.03	160.51	160.54	
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	प्र स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01		0.01	
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय		18. Ministry of Culture	Voted	11.94	0.01	11.95	
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय	भारित	19. Ministry of Defence	Charged		1.66	1.66	
	 स्वीकृत		Voted	251.86	0.03	251.89	
	۱٬۰۰۰ خ۱۱		roted	231.00	0.05	201.07	

				(करोड़ रुपए	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
21. रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	21. Defence Services - Army	Charged	0.65		0.65	
	स्वीकृत		Voted	5895.75		5895.75	
22. रक्षा सेवा-नौसेना	भारित	22. Defence Services - Navy	Charged	0.26		0.26	
23. रक्षा सेवा-वायु सेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Air Force	Voted	224.60		224.60	
24. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	स्वीकृत	24. Defence Ordnance Factories	Voted	1615.76		1615.76	
25. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान		25. Defence Services - Research					
एवं विकास	स्वीकृत	and Development	Voted	201.64		201.64	
26. रक्षा सेवाएं पर पूंजी परिव्यय	भारित	26. Capital Outlay on Defence Services	Charged		2.06	2.06	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		27. Ministry of Development of North					
मंत्रालय	स्वीकृत	Eastern Region	Voted	0.01	60.00	60.01	
	C						
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	0	MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
28. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Earth Sciences	Voted	26.75		26.75	
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	भारित	29. Ministry of Environment and Forests	Charged	1.50		1.50	
	स्वीकृत		Voted	0.06		0.06	
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
30. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of External Affairs	Voted	342.39	794.92	1137.31	
50. 1990 TAICI9	रवावट्टरा	50. Willistry of External Artalis	voica	342.37	174.72	1137.31	
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
31. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	31. Department of Economic Affairs	Voted	149.62	376.61	526.23	
32. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	32. Payments to Financial Institutions	Voted	3143.09	656.90	3799.99	
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	8.41		8.41	
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	C	35. Transfers to State and Union					
की सरकारों को अन्तरण	भारित	Territory Governments	Charged		1161.50	1161.50	
	स्वीकृत		Voted	2917.10		2917.10	
37. विनियोग-ऋण की अदायगी	भारित	37. Appropriation - Repayment of Debt	Charged		433970.64	433970.64	
38. व्यय विभाग	स्वीकृत	38. Department of Expenditure	Voted	9.92		9.92	
39. पेंशन	भारित	39. Pensions	Charged	28.22		28.22	
	स्वीकृत		Voted	585.17		585.17	
40. भारतीय लेखा परीक्षा और		40. Indian Audit and Accounts					
लेखा विभाग	भारित	Department	Charged	7.51		7.51	
	स्वीकृत		Voted	265.28	0.29	265.57	
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	483.48		483.48	
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	251.58		251.58	
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	506.91		506.91	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY					
मंत्रालय		WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		46. Department of Health and					
विभाग	स्वीकृत	Family Welfare	Voted	8.79	0.01	8.80	
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		47. Department of Ayurveda, Yoga &					
चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा		Naturopathy, Unani, Siddha and					
होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	35.19		35.19	

				(ব	न्रोड़ रुपए I	_	
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ट Page
—————————————————————————————————————		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
उद्यम मंत्रालय		AND PUBLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49. Department of Heavy Industry	Voted	864.07	56.51	920.58	
50. सरकारी उद्यम विभाग	स्वीकृत	50. Department of Public Enterprises	Voted	1.21		1.21	
		MINIGERY OF HOME A FEATING					
गृह मंत्रालय 51. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	MINISTRY OF HOME AFFAIRS	37-4-1	0.02		0.02	
53. पुलिस	स्वाकृत स्वीकृत	51. Ministry of Home Affairs53. Police	Voted Voted	74.10	•••	74.10	
54. गृह मंत्रालय के अन्य	रपापरूरा	54. Other Expenditure of the Ministry of	voted	74.10	•••	74.10	
व्यय	स्वीकृत	Home Affairs	Voted	354.20		354.20	
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	रवावटूरा	55. Transfers to Union Territory	voicu	334.20	•••	334.20	
को अंतरण	स्वीकृत	Governments	Voted	0.01		0.01	
मानव संसाधन विकास		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE					
मंत्रालय		DEVELOPMENT					
57. बुनियादी शिक्षा और साक्षरता		57. Department of School Education					
विभाग	स्वीकृत	and Literacy	Voted	11.58		11.58	
58. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.08		0.08	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.03		0.03	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	57. William of the original of the broad of the	10104	0.03	•••	0.03	
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	148.62	2.50	151.12	
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	61. Election Commission	Voted	1.96		1.96	
62. विधि और न्याय	स्वीकृत	62. Law and Justice	Voted	0.02		0.02	
63. विनियोग- भारत का उच्चतम		63. Appropriation - Supreme Court					
न्यायालय	भारित	of India	Charged	8.32		8.32	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम		MEDIUM ENTERPRISES 64. Ministry of Micro, Small and					
उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	26.61		26.61	
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE					
मंत्रालय		ENERGY					
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		67. Ministry of New and Renewable					
मंत्रालय	स्वीकृत	Energy	Voted	0.03	•••	0.03	
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFA	IRS				
68. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	0.02		0.02	
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
69. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01		0.01	
55. THE WEST PRICES	113-11	57. Infilingary of Lanchagan Raj	Total	0.01	•••	0.01	

				•	रोड़ रुपए	-	
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष् Page
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLI	ıC				
पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS					
71. कार्मिक, लोक शिकायत और		71. Ministry of Personnel, Public Grieva	ances				
पेंशन मंत्रालय	भारित	and Pensions	Charged	0.18		0.18	
	स्वीकृत		Voted		0.01	0.01	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		MINISTRY OF PETROLEUM AND					
मंत्रालय		NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		72. Ministry of Petroleum and					
गैस मंत्रालय	स्वीकृत	Natural Gas	Voted	10000.00	242.47	10242.47	
वेद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	2.05	0.01	2.06	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, U PUBLIC SERVICE COMMISSIO AND THE SECRETARIAT OF TO VICE-PRESIDENT	ON				
75. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारी	वृंद,	75. Appropriation - Staff, Household an	d				
आवास और भत्ते	भारित	Allowances of the President	Charged	0.01		0.01	
'6. लोकसभा	भारित	76. Lok Sabha	Charged	0.20		0.20	
7. राज्यसभा	भारित	77. Rajya Sabha	Charged	0.35		0.35	
	स्वीकृत		Voted	7.58		7.58	
78. विनियोग - संघ लोक		78. Appropriation - Union Public Service	ce				
सेवा आयोग	भारित	Commission	Charged	6.34		6.34	
79. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	79. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.06		0.06	
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPM	ENT				
30. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	80. Department of Rural Development	Voted	0.04		0.04	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECH	INOLOGY				
33. विज्ञान और प्रौद्योगिकी		83. Department of Science and					
विभाग	स्वीकृत	Technology	Voted	0.02	0.01	0.03	
34. वैज्ञानिक और औद्योगिक	_	84. Department of Scientific and					
अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	Industrial Research	Voted	114.91	•••	114.91	
35. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	0.01		0.01	
नौवहन, सड़क परिवहन और		MINISTRY OF SHIPPING, ROAD					
राजमार्ग मंत्रालय		TRANSPORT AND HIGHWAYS					
36. नौवहन विभाग	स्वीकृत	86. Department of Shipping	Voted	0.04	0.02	0.06	
37. सड़क परिवहन और राजमार्ग	0	87. Department of Road Transport and					
विभाग	भारित	Highways	Charged	0.30	3.84	4.14	
	स्वीकृत		Voted	454.28	49.50	503.78	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
38. सामाजिक न्याय और	-0-	88. Ministry of Social Justice and	.			4.4	
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	Empowerment	Voted	3.30	9.00	12.30	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन 	Ŧ	MINISTRY OF STATISTICS AND					
मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTAT					
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम		90. Ministry of Statistics and Programm					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Implementation	Voted	0.01		0.01	

				<i>(</i> राजस्व	करोड़ रुपए पूंजी	•	<i>crore</i> पृष
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital		Pag
		MINISTRY OF STEEL					
91. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Steel	Voted	400.20	252.05	652.25	
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	955.24	107.43	1062.67	
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	0.01	12.00	12.01	
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	94. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01		0.01	
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
संघ राज्य क्षेत्र		UNION TERRITORIES (WITHOUT					
(विधान-मंडल रहित)		LEGISLATURE)					
95. अंडमान और निकोबार	-	95. Andaman and Nicobar	** . 1	242.00	102.05	127.02	
द्वीपसमूह 96. चंडीगढ़	स्वीकृत <i>भारित</i>	Islands	Voted	243.98	183.95	427.93	
७. यडागढ़	मारत स्वीकृत	96. Chandigarh	Charged Voted	8.57 130.42	165.51	8.57 295.93	
o7. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	97. Dadra and Nagar Haveli	Voted	361.06	4.00	365.06	
98. दमन और दीव	स्वीकृत	98. Daman and Diu	Voted	141.72	8.20	149.92	
99. लक्षद्वीप	स्वीकृत	99. Lakshwadweep	Voted	103.01	0.57	103.58	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	7				
100.शहरी विकास विभाग	भारित	100. Department of Urban Development	Charged	9.85		9.85	
	स्वीकृत		Voted	0.01	49.12	49.13	
101.लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	101. Public Works	Voted	8.41	•••	8.41	
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103.जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01		0.01	
महिला और बाल विकास		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD					
मंत्रालय		DEVELOPMENT					
104.महिला और बाल विकास मंत्रालय		104. Ministry of Women and Child	37.4.1	0.02		0.02	
विकास मंत्रालय	स्वीकृत	Development	Voted	0.02		0.02	
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105.युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.03	36.50	36.53	
कुल जोड़		GRAND TOTAL		37 <u>8</u> /1 60	438876.85	<i>4</i> 7171 <u>8</u> 52	
3 4	भारित	GMHD IOIGE	Charged		435140.29		
	स्वीकृत		Voted	32768.15		36504.71	

कृषि और सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)। (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		188.80	188.80
	स्वीकृत	Voted:	10455.20	90.45	10545.65
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	280.39	65.68	346.07
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	•••	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	10735.62	344.93	11080.55
	भारित	Charged.	:	188.80	188.80
	स्वीकृत	Voted	: 10735.62	156.13	10891.75

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-फसल		2401-Crop				
कार्य	स्वीकृत	Husbandry	Voted:	0.01 (কa)		0.01
2552-पूर्वोत्तर		2552-North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
2435-अन्य कृषि संबंधी		2435-Other Agricultural				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (0.10 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय बाँस मिशन (20 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान।
- (ख) राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत सहायता अनुदान (20 करोड़ कारा)।
- (ग) बाजार अवसंरचना विकास, ग्रेड निर्धारण और मानकीकरण (20 करोड़ रुपए) और ग्रामीण गोदामों का निर्माण (10 करोड़ रुपए) के तहत सहायता अनुदान।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid for National Institute of Plant Health Management (Rs. 0.10 crore) and National Bamboo Mission (Rs. 20 crore).
- (b) Grants-in-aid under National Bamboo Mission (Rs.20 crore).
- (c) Grants-in-aid under Development of Market Infrastructure, Grading and Standardization (Rs. 20 crore) and Construction of Rural Godowns (Rs. 10 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2680.00		2680.00
पूरक अनुदान	0	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	213.44		213.44
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	89.21		89.21
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	-			
			Voted:	2982.65	•••	2982.65

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान		2415- Agricultural Research				
तथा शिक्षा	स्वीकृत	and Education	Voted:	22.64 (कa)	65.94(खb)	88.58
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गट)		0.01
3451-संचिवालय - आर्थिक		3451-Secretariat - Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.62 (ਬd)	0.62
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	22.65	66.56	89.21

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2415-कृषि अनुसंधान 2415-Agricultural Research

तथा शिक्षा and Education (-)22.64 ... (-)22.64

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हैः

- (क) (i) कृषि शिक्षा योजना के तहत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, महाराष्ट्र को सहायता अनुदान (22.64 करोड़ रुपए); और
 - (ii) कृषि विस्तार के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) (4.00 करोड़ रुपए) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन जिसमें कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, कृषि स्थापना तथा प्रचार निदेशालय और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबन्धन (11.50 करोड़ रुपए), केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण संस्थान (1.00 करोड़ रुपए) शामिल है, को सहायता अनुदान।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (MPKV), Rahuri, Maharashtra under the scheme Agricultural Education(Rs. 22.64 crore); and
 - (ii) Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for meeting additional expenditure under Agricultural Extension (Rs. 4.00 crore), ICAR Hqrs. Admn. including Agricultural Scientists Recruitment Board, Directorate of Information & Publication in Agriculture and Intellectual Property Rights Management (Rs. 11.50 crore), Central Soil & Water Conservation Institute (Rs. 1.00 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 16.50 करोड़ रुपए की बचतों और भारत के लोक लेखे में सामाजिक तथा ढांचागत विकास निधि से पूर्ति की गयी 22.64 करोड़ रुपए की राशि को ध्यान में रखने के बाद इसमें कोई निवल नगद व्यय नहीं होगा।

(ख) फसल विज्ञान (1.18 करोड़ रुपए), बागवानी (0.61 करोड़ रुपए), डीआईपीए, आईपीआर प्रबन्धन (67.53 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (0.04 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (0.01 करोड़ रुपए), आर्थिक सांख्यिकी और प्रबन्धन (0.03करोड़ रुपए), कृषि इन्जीनियरिंग (0.67 करोड़ रुपए), केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, (0.16 करोड़ रुपए), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान जिसमें कृषि वानिकी अनुसंधान (0.17 करोड़ रुपए), पशुपालन (2.62 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी (0.05 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत 73.07 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु आईसीएआर को सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 7.13 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 65.94 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(ग) कृषि विस्तार (10.00 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (30.00 करोड़ रुपए) और विदेशी सहयाता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं - कृषि शिक्षा (4.00 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(घ) सचिवालय के प्रशासनिक खर्चें के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा। Taking into account the savings of Rs.16.50 crore available in the same section of the Grant and also a sum of Rs. 22.64 crore met from the Social and Infrastructure Development Fund in the Public Account of India, there will be no net cash outgo.

(b) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Crop Science (Rs. 1.18 crore), Horticulture (Rs. 0.61 crore), ICAR Headquarters Admn. including ASRB & DIPA, IPR Management (Rs. 67.53 crore), Agricultural Extension (Rs. 0.04 crore), Agricultural Education (Rs. 0.01 crore), Economic Statistics and Management (Rs. 0.03 crore), Agricultural Engineering (Rs. 0.67 crore), Central Soil & Water Conservation Research Institute (Rs. 0.16 crore), Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 0.17 crore), Animal Husbandry (Rs. 2.62 crore) and Fisheries (Rs. 0.05 crore), amounting to Rs. 73.07 crore.

As savings of Rs. 7.13 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 65.94 crore.

(c) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Agricultural Extension (Rs. 10.00 crore), Agricultural Education (Rs. 30.00 crore) and Externally Aided Projects/ Schemes-Agricultural Education (Rs. 4.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) To meet additional requirements under administrative expenses of the Secretariat. This will entail cash outgo.

पशुपालन, डेयरी (कार्य) एवं मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	1357.97	16.00	1373.97
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.43	•••	0.43
	स्वीकृत	Voted:	24.66	0.01	24.67
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1383.09	16.01	1399.10
	भारित	Charged:	0.43		0.43
	स्वीकृत	Voted:	1382.66	16.01	1398.67

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403- Animal Husbandry	Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2404-डेयरी विकास	स्वीकृत	2404-Dairy Development	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	•••	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत के चालू कार्यालय भवन के निर्माण हेतु "पशु सेवा एवं पशु स्वास्थ्य" योजना के तहत सहायता अनुदान (0.68 करोड़ रुपए)।
- (ख) कार्यान्वयनकारी एजेन्सी अर्थात् "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना के तहत दुग्ध उत्पादन एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन में वृद्धि करने वाले विभिन्न दुग्ध युनियनों/संघों को सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
- (ग) मछुआरों को "पाकिस्तान द्वारा जब्त मत्स्य पोतों के स्थानापन्न सम्बन्धी पैकेज" योजना के तहत सहायता अनुदान (1 करोड़ रुगार)।
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (a) Grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Corporation under the scheme "Veterinary Services and Animal Health" for construction of ongoing Office Building of National Institute of Animal Health, Baghpat (Rs. 0.68 crore).
- (b) Grants-in-aid to the implementing agency i.e. various milk unions/federations for increasing milk production and generation of additional employment opportunities under the scheme "Intensive Dairy Development Programme" (Rs. 2.50 crore).
- (c) Grants-in-aid to fishermen under the scheme "Package for Replacement of Fishing Vessels seized by Pakistan" (Rs. 1 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	296.80	50.20	347.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	7.11		7.11
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)Voted:	303.92	50.20	354.12

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (6.15 करोड़ रुपए) और इंडिया ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2.00 करोड़ रुपए) को अपनी सहायक कम्पनियों क्रमशः कर्नाटक एंटीबायोटिक्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को आगे अपनी इक्विटी निवेशों हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary is sought for grants to Hindustan Antibiotic Limited (Rs.6.15 crore) and Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (Rs.2.00 crore) for further equity investment in their subsidiary companies Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited respectively. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)। (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 11 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	_	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	476.06	171.98	648.04
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
नूरक अनुवानः	स्वीकृत	SUITEMENTARI GRANT.	Voted:	10.14		10.14
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	206.99	•••	206.99
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)Voted:	693.19	171.98	865.17

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-		3451-Secretariat-				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:		2.05 (কa)	2.05
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:		204.87 (खb)	204.87
3075-अन्य परिवहन		3075-Other Transport				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.07 (गc)	0.07
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	206.99	206.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

- (क) अन्य सचिवालय व्यय(1.05 करोड़ रुपए) और विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लि. को हज चार्टरों के प्रचालन (201.65 करोड़ रुपए) और महानिदेशक, नागर विमानन का स्थापना संबंधी व्यय (0.20 करोड़ रुपए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) का भुगतान। चूँकि 9.13 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः 195.74 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) अन्य सचिवालय व्यय संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) Other Secretariat Expenditure (Rs.1.05 crore) and establishment expenditure of Airports Economic Regulatory Authority (AERA) (Rs. 1.00 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) Payment to National Aviation Company of India Ltd. towards operation of Haj Charters (Rs. 201.65 crore) and establishment expenditure of Director General of Civil Aviation (Rs.0.20 crore), Bureau of Civil Aviation Security (Rs. 0.07 crore) and Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs. 2.95 crore). As an amount of Rs. 9.13 crore will be met from savings in the Capital Section of the Grant, the balance of Rs. 195.74 crore will entail net cash outgo.
- (c) For meeting expenditure on account of Other Secretariat Expenditure. This will entail net cash outgo.

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 13 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 6 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.50	•••	0.50
	स्वीकृत	Voted:	2823.74	711.00	3534.74
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.01		0.01
	स्वीकृत	Voted:	1317.35	0.01	1317.36
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	194.42		194.42
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4336.02	711.01	5047.03
	भारित	Charged:	0.51		0.51
	स्वीकृत	Voted:	4335.51	711.01	5046.52

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
₹ 2407-Plantations	Voted:	0.01 (কa)	6.92 (खb)	6.93
3453-Foreign Trade and				
Export Promotion	Voted:	0.01 (गc)	187.48 (ਬd)	187.49
Total (Supplementary)		0.02	194.40	194.42
	MAJOR HEAD 2407-Plantations 3453-Foreign Trade and Export Promotion	MAJOR HEAD 2407-Plantations Voted: 3453-Foreign Trade and Export Promotion Voted:	Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD ব 2407- Plantations Voted: 0.01 (কa) 3453- Foreign Trade and ব Export Promotion Voted: 0.01 (মেচ)	Plan Non-Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD ব 2407- Plantations Voted: 0.01 (কa) 6.92 (ছab) 3453- Foreign Trade and ব Export Promotion Voted: 0.01 (গc) 187.48 (ঘd)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

उपलब्ध है; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(क) (i) चाय संवर्धन विकास योजना/विशेष प्रयोजन चाय निधि योजना के लिए चाय बोर्ड को सब्सिडी का भुगतान (8 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कॉफी बोर्ड में पेंशनभोगियों को सहायता अनुदान (13 करोड़ रुपए) और (iii) इलायची के पुनः वृक्षारोपण और सुधार के लिए मसाला बोर्ड को अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान (3 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चाय बोर्ड (3.11 करोड़ रुपए), रबड़ बोर्ड (3 करोड़ रुपए) और मसाला बोर्ड (1 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन सहायता संबंधी सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के उसी भाग में 0.19 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें 6.92 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

- (a) (i) payment of subsidy to Tea Board for Tea Promotion Development Scheme/Special Purpose Tea Fund Scheme (Rs.8 crore), (ii) grants-in-aid towards payment of pension in the Coffee Board on implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.13 crore) and (iii) payment of additional subsidy to Spices Board for replantation and rejuvenation of Cardamom Plantations (Rs.3 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Tea Board (Rs.3.11 crore), Rubber Board (Rs.3 crore) and Spices Board (Rs.1 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. After utilizing the savings of Rs.0.19 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.6.92 crore.

- (ग) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को परिवहन सहायता योजना के तहत निर्यातकों के दावों का भुगतान (12.52 करोड़ रुपए) और (ii) बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन के निर्माण हेतु भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान (0.75 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण प्रदान करने के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 2% ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु (200 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूँजी भाग से 98.01 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित किए जाने और फिर अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 12.52 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने पर इसमें 89.47 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (c) payment of claims of the exporters under Transport Assistance Scheme to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Rs.12.52 crore) and (ii) grants-in-aid to Indian Institute of Plantation Management for construction of hostel building for girls (Rs.0.75 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) for providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to the exporters (Rs.200 crore). As an amount of Rs.98.01 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant, and further utilizing savings of Rs.12.52 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.89.47 crore.

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)। (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 15 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
•	स्वीकृत		Voted:	673.45	50.00	723.45
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
•	स्वीकृत		Voted:	27.89		27.89
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित		Charged:	0.45	•••	0.45
•	स्वीकृत		Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)	701.81	50.00	751.81
	भारित		Charged:	0.45	•••	0.45
•	स्वीकृत		Voted:	701.36	50.00	751.36

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	•••	0.01 (কa)	0.01
2885-उद्योगों और खनिजों		2885-Other Outlays on				
पर अन्य परिव्यय	भारित	Industries and Minerals	Charged:	0.45 (खb)	•••	0.45
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.46	0.01	0.47
	भारित		Charged:	0.45	•••	0.45
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में: (i) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रुपए) को तिमलनाडु में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स उन्नयन हेतु; (ii) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद को (1.50 करोड़ रुपए); (iii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (4.50 करोड़ रुपए); और (iv) तथा लुग्दी एवं कागज अनुप्रयुक्त उद्योग विकास परिषद (0.46 करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में निवेश सब्सिडी के (पुरानी) तहत भुगतान हेतु (0.45 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध है, अतः तकनीकी पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) Towards providing additional grants-in-aid to (i) Indian Leather Development Programme (Rs.10 crore) for upgradation of Common Effluent Treatment Plants in Tamil Nadu (ii) National Council for Cement and Building Material (Rs.1.50 crore) (iii) Central Manufacturing Technology Institute (Rs.4.50 crore); and (iv) Development Council for Pulp and Paper Allied Industries (Rs.0.46 crore) for meeting the additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government. As equivalent savings are available within the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) For making payment under Investment Subsidy (Old) in pursuance of Supreme Court Judgment (Rs.0.45 crore). As savings are available in Voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

- (ग) 'विकास केन्द्र' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (11 करोड़ रुपए) तथा विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी राज्य पैकेज के तहत अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु (10 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (c) For meeting additional expenditure under the scheme 'Growth Centre' (Rs.11 crore) and releasing additional funds to Special Category States viz. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand under Package for Special Category States (Rs.10 crore). As savings are available within the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)। (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 16 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस	व पूंजी	जोड़
			Reven	ue Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Chargea	d: 0.24	4	0.24
₹	वीकृत	Voted	d: 7562.10	6 426.61	7988.77
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
₹	वीकृत	Voted	d: 1945.2:	5	1945.25
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Chargea	d: 0.1.	3 0.59	0.72
₹	वीकृत	Voted	d: 784.6	1	784.61
जोड़ (मूल और पूरक)	_	Total (Original plus Supplementary)	10292.39	9 427.20	10719.59
	भारित	Charge	d: 0.3	7 0.59	0.96
₹	चीकृत	Vote	d: 10292.02	2 426.61	10718.63

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षौ/विनियोग के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवा	भारित	3201-Postal Services	Charged:		0.13 (কa)	0.13
	स्वीकृत		Voted:		784.61 (खb)	784.61
पूंजी भाग	C	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर		5201-Capital Outlay on				
परिव्यय	भारित	Postal Services	Charged:	0.59 (गc)		0.59
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		0.59	784.74	785.33
	भारित		Charged:	0.59	0.13	0.72
	स्वीकृत		Voted:		784.61	784.61
	-	टिप्पणीः उपरोक्त अनुमानों में नी किया जाता है।	वे दर्शाई गई वसूलिय	ां शामिल नहीं हैं, ि	जेन्हें व्यय में से घट	ाकर समायोजित
		Note: The above estimates reduction of expendit		recoveries show	n below, which a	re adjusted in
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं		3201-Postal Services			(-)56.65	(-)56.65

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (क) सामान्य प्रशासन और डाक संचालन के अंतर्गत न्यायालय डिक्रियों की वजह से होने वाले भुगतान की पूर्ति हेतु (0.13 करोड़ रुपए); इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (ii) ग्रामीण डाक सेवा सिमति पर रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से वेतनों (234.87 करोड़ रुपए) और पेंशनों (462.30 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय और अन्य परिचालन संबंधी
- (a) for meeting payment arising out of court decrees under General Administration and Postal Operation (Rs. 0.13 crore). This entails cash outgo;
- (b) for meeting additional expenditure, mainly, on account of salaries (Rs.234.87 crore), pensions (Rs.462.30 crore) on implementation of the recommendations of the (i) Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government

- व्यय (87.44 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। 56.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूलियों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में 727.96 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
- (ग) न्यायालय डिक्रियों के परिणामस्वरूप डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों और स्टाफ क्वांटरों के निर्माण संबंधी 0.59 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) 'Grameen Dak Seva' Committee report and other operational expenses (Rs.87.44 crore). After taking into account the additional recoveries of Rs.56.65 crore, this supplementary entails cash outgo of Rs.727.96 crore.
- (c) for meeting additional expenditure of Rs.0.59 crore arising out of court decrees in construction of Post Offices, Administrative Offices and Staff Quarters. As matching savings are available in the Capital voted section of the grant, this supplementary will not entail cash outgo.

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:			
स्वीकृत	Voted:	5939.25	200.75	6140.00
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित	Charged:	0.07		0.07
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:		507.92	507.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5939.32	708.67	6647.99
भारित	Charged:	0.07		0.07
स्वीकृत	Voted:	5939.25	708.67	6647.92

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5275-अन्य संचार सेवाओं पर		5275-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय		Other Communication				
	स्वीकृत	Services	Voted:	345.24 (कa)		345.24
6859-दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिव	7	6859-Loans for Telecommun	ication			
उद्योगों हेतु ऋण		and Electronic Industrie	es			
	स्वीकृत		Voted:		125.00 (खb)	125.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी		4552-Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	North Eastern Areas	Voted:	37.68 (ਸc)		37.68
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		382.92	125.00	507.92
	भारित		Charged:			
	स्वीकृत		Voted:	382.92	125.00	507.92

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) और (ग) रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए अतिरिक्त व्यय (345.24 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा इसी प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक मुश्त प्रावधान बढ़ाने हेतु (37.68 करोड़ रुपए)।
- (ख) मैसर्स इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को 31.3.2009 (b) तक इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु (125 करोड़ रुपए)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a)&(c) For meeting additional expenditure towards OFC based network for Defence Services (Rs.345.24 crore) and for augmentation of lumpsum provision towards North Eastern States (Rs.37.68 crore) for the same purpose.
- (b) For providing interest free loan to M/s. Indian Telephone Industries Limited towards payment of salaries to its employees upto 31.3.2009 (Rs.125 crore).

Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this supplementary does not entail cash outgo.

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)। (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 18 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1616.50	99.50	1716.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	100.00	•••	100.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ıry)			
	स्वीकृत		Voted:	1716.52	99.50	1816.02

- II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)		0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैः

- (क) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में स्वास्थ्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉानिक्स से संबंधित योजनाएं (0.87 करोड़ रुपए), (ii) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (0.85 करोड़ रुपए) तथा (iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (1.48 करोड़ रुपए) हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।
- (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (24 करोड़ रुपए) (ii) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉानिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान सोसाइटी (3.50 करोड़ रुपए) और (iii) संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (2.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक प्रक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) (i) meeting additional expenditure for the schemes in North Eastern Region and Sikkim on Electronics in Health (Rs.0.87 crore), (ii) Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Rs. 0.85 crore) and (iii) National Informatics Centre (Rs. 1.48 crore).
- (b) meeting additional expenditure on (i) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 24 crore), (ii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 3.50 crore) and (iii) Centre for Materials for Electronic Technology under Components and Material Development Programme (Rs. 2.50 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought, in each case.

उपभोक्ता मामले विभाग DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2008-2009 अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 19 देखिए)। (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

					(4) (19 to 15 Temp	in crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			-	
a 3	स्वीकृत		Voted:	231.99	32.04	264.03
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	8.66	•••	8.66
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
ι, σ	स्वीकृत	-	Voted:	148.43		148.43
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	389.08	32.04	421.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निग	नलिखित मुख्य १	ग़ीर्षो के अन्तर्गत दि	खाया जाएगाः	
		II. This Supplementary Grant	will be accoun	ted for under the	following Majo	or Heads:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)	•••	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted:	0.01 (खb)	148.40 (чс)	148.41
3475-अन्य सामान्य आर्थिक	C	3475-Other General Economic		, ,		
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (ਬd)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	0.03	148.40	148.43

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:
- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ-हेतु परियोजनाओं और योजनाओं के प्रवधानों के संवर्धन और उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए) है; और
- (ख) उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गए हैं।

- (ग) दालों के 198.96 करोड़ रुपए के आयात पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लि., (48.96 करोड़ रुपए), एमएमटीसी ली. (50 करोड़ रुपए), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (50 करोड़ रुपए) तथा पीईसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) का सब्सिडी। 50.56 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद इसे अनुदान के राजस्व भाग से पूरा काया जाएगा और अनुदान के पूंजी भाग से 2.54 करोड़ रुपए की बचतों जिन्हें अभ्पर्पित किया जाएगा, इस पूरक अनुदान में 145.86 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर तोल एवं माप अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र स्तर पर मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु (5.40 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- The supplementary grants are sought for the following purposes:
- (a) Augmentation of provisions meant for projects and schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim for additional expenditure on Advertising and Publicity (Rs.3 crore) under Consumer Protection Cell; and
- (b) To meet the requirements of additional expenditure on Advertising and Publicity (Rs. 14.50 crore) under Consumer Protection Cell.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

- (c) Subsidy to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd.(Rs.48.96 crore), MMTC Ltd. (Rs.50 crore), State Trading Corporation of India Ltd. (Rs.50 crore) and PEC Ltd. (Rs.50 crore) on account of reimbursement of losses on import of pulses amounting to Rs. 198.96 crore. After taking into account savings of Rs.50.56 crore which will be met from within the Revenue Section of the Grant and savings of Rs.2.54 crore from the Capital Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary Grant will entail a net cash outgo of Rs. 145.86 crore.
- (d) Procurement of machinery and equipments (Rs.5.40 crore) centrally, for strengthening of Weights and Measures Infrastructure at States/Union Territories level. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16, केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	33735.55	375.45	34111.00
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	1.64		1.64
	स्वीकृत	Voted:	11609.45	•••	11609.45
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
-	भारित	Charged:	0.68		0.68
	स्वीकृत	Voted:	0.03	160.51	160.54
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	45347.35	535.96	45883.31
	भारित	Charged:	2.32		2.32
	स्वीकृत	Voted:	45345.03	535.96	45880.99

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भण्डारण		2408-Food, Storage and				
तथा भाण्डागार	स्वीकृत	Warehousing	Voted:	•••	0.01 (कa)	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	0.01 (खb)	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति		3456-Civil Supplies				
	भारित		Charged :		0.68 (गc)	0.68
	स्वीकृत		Voted:		0.01 (ਬd)	0.01
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section		•••	0.71	0.71
	भारित		Charged :		0.68	0.68
	स्वीकृत		Voted:		0.03	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर	_	4552-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	North Eastern Areas	Voted:	9.55 (se)		9.55
6860-उपभोक्ता उद्योगों	_	6860-Loans for Consumer				
हेतु ऋण	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	150.96 (ਬ f)	150.96
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	9.55	150.96	160.51
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		9.55	151.67	161.22
	भारित		Charged:		0.68	0.68
	स्वीकृत		Voted:	9.55	150.99	160.54

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में वे वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों	6860-Loans for Consumer			
हेतु ऋण	Industries		(-)150.96	(-)150.96

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्योगों हेतु अपेक्षित है :

- (क) खाद्यान्नों की विकेन्द्रित अधिप्राप्ति पर राज्य सरकारों को सब्सिडी (460.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ख) सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क बिलों आदि के सम्बन्ध में भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाओं की अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.05 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपबलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति पर अतिरिक्त व्यय (0.68 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सरकारी लेखें में अपने व्यापार प्रचालन में वित्तीय वर्ष 2001-02 के सरकारी लेखें पर खाद्य तेल प्रचालन पर घाटे का भुगतान करने हेतु हानियों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (0.18 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफसीआई द्वारा भण्डारण सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (10.45 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.90 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के राजस्व (स्वीकृत भाग) में उपलब्ध बचतों (9.55 करोड़ रुपए) जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) चीनी फैक्ट्रियों को (i) चीनी मिलों को पुर्नस्थापित/ आधुनिकीकरण के लिए (30 करोड़ रुपए) (ii) खोई आधारित सहनिर्माण विद्युत परियोजना (106.96 करोड़ रुपए) और (iii) अल्कोहल से एनहाईड्रस अल्कोहल अथवा इथानोल अल्कोहल उत्पादन के लिए (30 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 16.00 करोड़ रुपए की बचतों और चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों से 150.96 करोड़ रुपए के व्यय को पूरा करने के पश्चात पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) Subsidy to State Governments on decentralized procurement of food grains (Rs. 460.00 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For meeting additional expenditure of professional services for making payment in respect of fee bills etc. of the Government advocates (Rs. 0.05 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For meeting additional expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India (Rs. 0.68 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (d) For providing Grants-in-Aid (Rs. 0.18 crore) towards reimbursement of losses to State Trading Corporation of India Ltd. (STC) in its Trading operation on Government Account for making payment for deficit on Edible Oil operation on Government Account for the financial year 2001-02. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) For meeting additional expenditure for construction of storage by FCI in North Eastern Areas (Rs.10.45 crore). Taking into account savings of Rs. 0.90 crore available within the same Section of the Grant and savings of Rs. 9.55 crore available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, which will be surrendered, the supplementary will not entail cash outgo.
- (f) Additional loans to sugar factories for (i) Rehabilitation/ Modernisation of Sugar Mills (Rs. 30.00 crore), (ii) bagasse based cogeneration power project (Rs. 106.96 crore) and (iii) production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (Rs. 30.00 crore). After taking into account savings of Rs. 16.00 crore available in the same Section of the Grant and the expenditure of Rs. 150.96 crore matched by recoveries from the Sugar Development Fund, the supplementary will not entail cash outgo.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)। (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 22 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	158.00	45.00	203.00
		CURRIE HENT ARY OR AND			
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:	1.4.40	20.00	4.4.40
	स्वीकृत	Voted:	14.48	30.00	44.48
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	0	the amount now required:			
	स्वीकृत			•••	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	172.49	75.00	247.49
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted: Total (Original plus Supplementary)	0.01 172.49	 75 .00	0.01 247.49

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3475-अन्य सामान्य आर्थिक	3475-Other General				
सेवाएं	Economic Services				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को विभिन्न प्रचालनात्मक खर्चों (2.70 करोड़ रुपए) के संबंध में सहायता अनुदान जारी करने हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है। यह संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। The supplementary grant is required for meeting expenditure for release of Grants-in-aid to Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), a society registered under the Societies Act, 1860 under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs, for various operational expenses (Rs.2.70 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 23 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	978.68	46.32	1025.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	98.89		98.89
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	11.94	0.01	11.95
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	1089.51	46.33	1135.84

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.01 (कa)	11.93 (खb)	11.94
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	11.93	11.94
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on				
और संस्कृति पर पूंजी		Education, Sports,				
परिव्यय		Art and Culture	Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	11.93	11.95

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजकों हेतु हैः

- (क) (i) नेशनल म्यूजियम ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स के लिए संगीत नाटक अकादमी को भूमि प्राप्त करने, कत्थक केन्द्रों की भवन परियोजनाओं और मेघदूत थियेटर कम्प्लेक्स के पुनरूद्धार आदि के लिए सहायता अनुदान (9.34 करोड़ रुपए)।
 - (ii) साहित्यिक उत्सव और कार्यक्रम के निष्पादन हेतु साहित्य अकादमी को सहायता अनुदान (3.90 करोड़ रुपए)।
 - (iii) अकादमी के चालू पुनरुद्धार कार्य के कारण ललित कला अकादमी को सहायता अनुदान।
 - (iv) सामग्री की बढ़ती लागत और अनियत कलाकार/थियेटर विशेषज्ञों की वेतन बढ़ोतरी के कारण राष्ट्रीय नाट्य स्कूल को सहायता अनुदान (2.30 करोड़ रुपए)।
 - (v) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता अनुदान (0.71 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) Grant-in-aid to Sangeet Natak Akademi for acquiring land for National Museum of Performing Arts, building projects of Kathak Kendras and renovation of Meghdoot Theatre Complex etc. (Rs. 9.34 crore).
 - (ii) Grant-in-aid to Sahitya Akademi for carrying out literary function and programme (Rs. 3.90 crore).
 - (iii) Grant-in-aid to Lalit Kala Akademy on account of ongoing renovation work of the Akademy (Rs. 8.00 crore).
 - (iv) Grant-in-aid to National School of Drama on account of rising cost of material and hike in salary of casual artist/ theatre experts (Rs.2.30 crore).
 - (v) Grant-in-aid to Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.71 crore).

- (vi) अग्नि संरक्षण प्रणाली के संस्थापन हेतु भुगतान के कारण रामपुर राजा लाइब्रेरी को सहायता अनुदान (0.55 करोड़ रुपए)।
- (vii) पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा डा. सी. राजगोपालाचारी से सम्बन्धित विशेष प्रकाशन परियोजनाओं के लिए नेहरू मैमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को सहायता अनुदान, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ फैलोशिप को वेतन, म्यूजिम का विकास तथा सीसीटीवी प्रणाली का संस्थापन आदि (5.00 करोड़ रुपए)।
- (viii) राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, मुम्बई में लार्ज फार्मेट फिल्म प्रोजेक्शन सिस्टम (एलएफएफपी) के संस्थापन हेतु राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद को सहायता अनुदान; विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजिम बंगलौर पर इलेक्ट्रो-टेक्निक गैलरी, वीआईटीएम पर पोपुलर साइंस गैलरी, कोलकाता का पुनरुद्धार तथा जिला विज्ञान केन्द्र दीघा में जुरासिक पार्क में भवनों का पुनरुद्धार (3.50 करोड़ रुपए)।
- (ix) फरवरी 2009 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव (लोक तरंग) के आयोजन हेतु जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों को सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
- (x) विभिन्न राज्यों में योजना की चालू परियोजनाओं की वचनबद्ध देयताओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की योजना हेतु सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सहायता अनुदानः
 - (i) संगीत नाटक अकादमी (3.68 करोड़ रुपए)।
 - (ii) साहित्य अकादमी (2.72 करोड़ रुपए)।
 - (iii) ललित कला अकादमी (2.71 करोड़ रुपए)।
 - (iv) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल (1.43 करोड़ रुपए)।
 - (v) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी (0.85 करोड़ रुपए)।
 - (vi) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (1.25 करोड़ रुपए)।
 - (vii) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (2.70 करोड़ रुपए)।
 - (viii) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र (0.18 करोड़ रुपए)।
 - (ix) गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, नई दिल्ली (1.60 करोड़ रुपए)।
 - (x) नव नालन्दा, महावीर तथा हवेनन्सांग मेमोरियल हॉल (0.10 करोड़ रुपए)।
 - (xi) कलाक्षेम, चेन्नई (0.70 करोड़ रुपए)।
 - (xii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली (2.60 करोड़ रुपए)।
 - (xiii) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता (1.10 करोड रुपए)।

- (vi) Grant-in-aid to Rampur Raja Library on account of making payment for installation of Fire Protection System (Rs.0.55 crore).
- (vii) Grant-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for undertaking the special publication projects on Pandit Jawahar Lal Nehru and Dr. C. Rajgopalachari, salary to junior and senior fellowship, development of museum and installation of CCTV system etc. (Rs.5.00 crore).
- (viii) Grant-in-aid to National Council of Science Museum for installation of Large Format Film Projections System (LFFP) at National Science Centre, Mumbai, renovation of Electro-Technique Gallery at Visvesvaraya Industrial and Technical Museum (VITM), Bangalore, Popular Science Gallery at VITM, Kolkata and renovation of buildings at Jurassic Park in District Science Centre, Digha (Rs. 3.50 crore).
- (ix) Grant-in-aid to Zonal Cultural Centres for organizing National Folk Dance Festival (Lok Tarang) scheduled to be held in the month of February 2009 (Rs.2.50 crore).
- (x) Grant-in-aid for the scheme Multipurpose Cultural Complexes (MPCC) to meet the additional expenditure on committed liabilities of ongoing projects of the scheme in various States (0.60 crore).

As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.

- (b) (1) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:
 - (i) Sangeet Natak Akademy (Rs. 3.68 crore).
 - (ii) Sahitya Akademy (Rs. 2.72 crore).
 - (iii) Lalit Kala Akademy (Rs. 2.71 crore).
 - (iv) National School of Drama (Rs. 1.43 crore).
 - (v) Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi (Rs.0.85 crore).
 - (vi) Central Institute of Buddhist Studies, Leh (Rs. 1.25 crore).
 - (vii) The Asiatic Society, Kolkata (Rs. 2.70 crore).
 - (viii) Centre for Cultural Resources and Training (Rs. 0.18 crore).
 - (ix) Gandhi Samriti and Darshan Samiti, New Delhi (Rs. 1.60 crore).
 - (x) Nav Nalanda Mahavira and Huen Tsang Memorial Hall (Rs. 0.10 crore).
 - (xi) Kalakshetra, Chennai (Rs. 0.70 crore).
 - (xii) Delhi Public Library, Delhi (Rs. 2.60 crore).
 - (xiii) Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata (Rs. 1.10 crore).

- (xiv) खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना (1.25 करोड़ रुपए)।
- (xv) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर (0.25 करोड़ रुपए)।
- (xvi) सलारजंग म्यूजियम (2.60 करोड़ रुपए)।
- (xvii) विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता (1.45 करोड़ रुपए)।
- (xviii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल (0.65 करोड रुपए)।
- (xix) इलाहाबाद म्यूजियम (0.65 करोड़ रुपए)।
- (xx) नेहरू मैमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए)।
- (xxi) भारतीय म्यूजियम, कोलकाता (0.90 करोड़ रुपए)।
- (xxii) राष्ट्रीय विज्ञान म्युजियम, कोलकाता (2.00 करोड़ रुपए)।
- (xxiii) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कनजरवेशन एंड म्यूसिओलॉजी (0.05 करोड़ रुपए)।
- (2) 'राष्ट्रीय मैमोरियल का रखरखाव' योजना के तहत फखरूद्दीन अली अहमद मैमोरियल कमेटी की आधारभूत निधि के लिए सहायता अनुदान (0.45 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 21.34 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 11.93 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ग) नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामान्य पूल आफिस स्थान के निर्माण हेतु पूंजी भाग के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (xiv) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (Rs. 1.25 crore).
- (xv) Rampur Raza Library, Rampur (Rs. 0.25 crore).
- (xvi) Salarjung Museum (Rs. 2.60 crore).
- (xvii) Victoria Memorial Hall, Kolkata (Rs. 1.45 crore).
- (xviii) Indira Gandhi Rastriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (Rs. 0.65 crore).
- (xix) Allahabad Museum (Rs. 0.65 crore).
- (xx) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (Rs. 1.40 crore).
- (xxi) Indian Museum, Kolkata (Rs. 0.90 crore).
- (xxii) National Council of Science Museum, Kolkata (Rs. 2.00 crore).
- (xxiii) National Museum Institute of History of Arts Conservation and Museology (Rs. 0.05 crore).
- (2) Grant-in-aid for the Corpus Fund of Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (Rs. 0.45 crore).

As savings of Rs.21.34 crore are available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs. 11.93 crore.

(c) Additional expenditure is required under Capital section for construction of General Pool office accommodation for Archaeological Survey of India in New Delhi (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)। (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 24 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.24		0.24
स्वीकृत	Voted:	7756.97	1006.68	8763.65
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	354.39	9.81	364.20
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
भारित	Charged:		1.66	1.66
स्वीकृत	Voted:	251.86	0.03	251.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8363.46	1018.18	9381.64
भारित	Charged:	0.24	1.66	1.90
स्वीकृत	Voted:	8363.22	1016.52	9379.74

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 lan	Non-1 lan	Iotai
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य		2075-Miscellaneous				
सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:		251.86 (कa)	251.86
पूंजी भाग	·	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं		4047-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	भारित	Other Fiscal Services	Charged:		1.66 (खb)	1.66
4059-लोक निर्माण कार्यों		4059-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:	•••	0.01 (गट)	0.01
4853-अलौह खनन एवं		4853-Capital Outlay on Non-				
धातुकर्मीय उद्योगों		Ferrous Mining &				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Metallurgical Industries	Voted:	•••	0.01 (ঘd)	0.01
6853-अलौह खनन एवं		6853-Loans for Non-Ferrous				
धातुकर्मीय उद्योगों		Mining & Metallurgical				
के लिए ऋण	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	0.01 (ਵe)	0.01
जोड़- पूंजी भाग	स्वीकृत	Total-Capital Section	Voted:	•••	1.69	1.69
	भारित		Charged:		1.66	1.66
	स्वीकृत		Voted:		0.03	0.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	253.55	253.55
	भारित		Charged:		1.66	1.66
	स्वीकृत		Voted:		251.89	251.89

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) स्टोरों की खरीद (239.21 करोड़ रुपए), (ii) निवल लाभ से सेवाओं के हिस्से का उच्च योगदान (22.40 करोड़ रुपए) और (iii) कैंटीन स्टोर विभाग, जो विभाग द्वारा चलाया जाने वाला वाणिज्यिक उपक्रम है, द्वारा प्रयुक्त पूँजी पर ब्याज का भुगतान (6.13

The Supplementary Appropriation/Grant is sought for the following purposes:

(a) Towards meeting additional expenditure on account of (i) purchase of stores (Rs.239.21crore), (ii) higher contribution of Services' share from net profit (Rs.22.40 crore) and (iii) payment of interest on capital employed (Rs.6.13 crore) by Canteen Stores Department, a करोड़ रुपए)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 15.88 करोड़ रुपए की बचतों को देखते हुए 251.86 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। इस पूरक अनुदान के नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति अतिरिक्त प्राप्तियों द्वारा की जाएगी;

- (ख) विशाखापट्टनम में तटरक्षक संगठन के विवाहित कर्मचारियों के आवास के निर्माण संबंधी न्यायालय डिक्री के निर्णय की अनुपालना में भुगतान (1.66 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) रक्षा लेखा विभाग के नए कार्यालय भवन के निर्माण (5.44 करोड़ रुपए) और नवनिर्मित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और इसकी शाखाओं के ढ़ाँचागत विकास पर (13.90 करोड़ रुपए) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूँकि अनुदान के पूँजी भाग में पर्याप्त बचतें उलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) मिश्र धातु निगम लिमिटेड में इक्विटी के रूप में (9 करोड़ और रुपए) निवेश और मशीन और उपस्करों के आधुनिकीकरण के जिए क्षमता उपयोग को बढाने हेतु ऋण (9 करोड़ रुपए) चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगे गए हैं।

- departmentally-run commercial undertaking. Taking the savings of Rs. 15.88 crore available within Revenue section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs.251.86 crore is sought. This supplementary does not entail cash outgo as the same is matched by additional receipts;
- (b) Payment in satisfaction of a Court decree in connection with construction of married accommodation of Coast Guard Organization at Vishakhapatnam (Rs.l.66 crore). A technical supplementary is sought as equivalent savings are available in the voted section of the Grant;
- (c) Towards meeting additional expenditure on construction of new office accommodation for Defence Accounts Department (Rs.5.44 crore) and on infrastructure development for newly set up of Armed Forces Tribunal and its branches (Rs.13.90 crore). As sufficient savings are available within the capital section of the grant, a token supplementary is sought;
- (d) Towards investment in Mishra Dhatu Nigam Limited as
- (e) equity (Rs.9 crore) and loan (Rs.9 crore) for enhancement of their capacity utilization through modernization of machinery and equipments. As matching savings are available within the capital section of the Grant, token supplementaries are sought.

रक्षा सेवाएं - थल सेना DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)। (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	16.48		16.48
स्वीकृत	Voted:	37661.77	•••	37661.77
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	6303.26		6303.26
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
भारित	Charged:	0.65		0.65
स्वीकृत	Voted:	5895.75		5895.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	49877.91	•••	49877.91
भारित	Charged:	17.13		17.13
स्वीकृत	Voted:	49860.78		49860.78

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2076-रक्षा सेवाएं -		2076-Defence Services -				
थल सेना	भारित	Army	Charged:		0.65 (कa)	0.65
	स्वीकृत	•	Voted:	•••	5895.75 (खb)	5895.75
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	5896.40	5896.40
			Charged:		0.65	0.65
			Voted:		5895.75	5895.75
		टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में नी किया जाता है।	चे दर्शाई गई वसूलिय	गं शामिल नहीं हैं,	जिन्हें व्यय में से घर	टाकर समायोजित
		Note: The above estimates reduction of expendit		recoveries show	wn below, which	are adjusted in
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2076-रक्षा सेवाएं -		2076-Defence Services -				
थलसेना		Army			(-)4.34	(-)4.34

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) न्यायालय डिक्रियों से होने वाले के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 0.65 करोड़ रुपए।
- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए थल सेना के वेतन एवं भत्तों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 5895.75 करोड़ रुपए।

रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियां/प्राप्तियां और बचतें जिन्हे अभ्यर्पित किया जाएगा, को देखते हुए इस पूरक में 527.42 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा। The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

- (a) Rs.0.65 crore to meet additional expenditure arising out of Court decrees.
- (b) Rs.5895.75 crore for meeting additional expenditure under pay and allowances of Army on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

After taking into account the additional recoveries/receipts and savings available in the Capital Grant of Defence Services, which shall be surrendered, this Supplementary entails a cash outgo of Rs. 527.42 crore.

रक्षा सेवाएं - नौसेना DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)। (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charg	ged:	1.37		1.37
	स्वीकृत	Vo	ted:	7501.68	•••	7501.68
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Vo	ted:	688.88		688.88
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित	Charg	ged:	0.26		0.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8192.19	•••	8192.19
	भारित	Charg	ged:	1.63		1.63
	स्वीकृत	Vo	ted:	8190.56	•••	8190.56

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	1	REVENUE SECTIO	0N			
मुख्य शीर्ष	ľ	MAJOR HEAD				
2077-रक्षा सेवाएं -	2	2077-Defence Service	ces -			
नौसेना	भारित	Navy	Charged:		0.26	0.26

0.26 करोड़ रुपए के इस पूरक विनियोग की आवश्यकता न्यायालय की डिकियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation of Rs.0.26 crore is required to meet additional expenditure arising out of Court decree. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings are available in the voted section of the Grant.

रक्षा सेवाएं - वायुसेना DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)। (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	2.04		2.04
	स्वीकृत	Voted:	11286.82	•••	11286.82
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1120.79	•••	1120.79
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Voted:	224.60		224.60
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	12634.25	•••	12634.25
	भारित	Charged:	2.04		2.04
	स्वीकृत	Voted:	12632.21		12632.21

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2078-रक्षा सेवाएं -		2078-Defence Services -				
वायुसेना	स्वीकृत	Air Force	Voted:		224.60	224.60

यह पूरक अनुदान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वायु सेना के वेतन और भत्तों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य राशि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से अभ्यर्पित की जाएगी।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure under pay and allowances of Air Force on account of implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

रक्षा आयुध कारखाने DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)। (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारि	त Charged:	1.00		1.00
स्वीकृ	T Voted:	1108.99		1108.99
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृ	T Voted:	100.00		100.00
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृ	T Voted:	1615.76		1615.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2825.75	•••	2825.75
भारि	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.00		1.00
स्वीकृ	T Voted:	2824.75		2824.75

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2079-रक्षा सेवाएं -		2079-Defence Services -				
आयुध कारखाने	स्वीकृत	Ordnance Factories	Voted:	•••	1615.76	1615.76

इस पूरक अनुदान की मांग छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय तथा टी-90 टैंकों के कारण भंडारों की पूर्ति हेतु की गयी है। चूंकी रक्षा सेवाओं के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure under pay and allowances on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission and stores on account of T-90 Tanks. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

रक्षा सेवाए - अनुसंधान तथा विकास DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)। (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

	राजस्व	पूंजी	जोड़
	Revenue	Capital	Total
I. ORIGINAL GRANT:			
Charged:	0.64		0.64
Voted:	3412.95		3412.95
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Voted:	259.65		259.65
Supplementary Estimate of			
the amount now required:			
Voted:	201.64		201.64
Total (Original plus Supplementary)	3874.88	•••	3874.88
Charged:	0.64		0.64
Voted:	3874.24		3874.24
	Charged: Voted: SUPPLEMENTARY GRANT: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: Voted: Voted: Total (Original plus Supplementary) Charged:	Revenue C. ORIGINAL GRANT: Charged: 0.64 Voted: 3412.95 SUPPLEMENTARY GRANT: Voted: 259.65 Supplementary Estimate of the amount now required: Voted: 201.64 Total (Original plus Supplementary) Charged: 0.64	Charged: 0.64 Voted: 3412.95 Supplementary Estimate of he amount now required: Voted: Voted: 201.64 Voted: 201.64 Voted: 201.64 Voted: 0.64 Voted: 3874.88 Charged: 0.64 Voted: 3874.24

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2080-रक्षा सेवाएं -		2080-Defence Services -				
अनुसंधान तथा विकास	स्वीकृत	Research & Development	Voted:	•••	201.64	201.64

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required to meet additional expenditure towards pay and allowances on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)। (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		30.90	30.90
	स्वीकृत	Voted:		47976.10	47976.10
इस समय आवश्यक रकम	_	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	•••	2.06	2.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	•••	48009.06	48009.06
	भारित	Charged:		32.96	32.96
	स्वीकृत	Voted:		47976.10	47976.10

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION				
3		MAJOR HEAD				
4076-रक्षा सेवाओं पर		4076-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	भारित	Defence Services	Charged:		2.06	2.06

कोर्ट डिक्री की वजह से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु इस पूरक विनियोग की मांग की गयी है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is sought to meet additional expenditure arising out of Court decree. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1327.50	143.50	1471.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1.90		1.90
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	60.00	60.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1329.41	203.50	1532.91

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)		0.01
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	60.00 (खb)		60.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	60.01 (GB)	•••	60.01

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। **Note:** The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग CAPITAL SECTION
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी 4552-Capital Outlay on
परिव्यय North Eastern Areas

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से चलाए जा रहे पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबन्धन एकक से संबद्ध स्थापना संबंधी व्यय (1.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि, अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) निम्नलिखित योजनाओं के व्यय के पूर्ति हेतुः
 - (i) अरूणाचल प्रदेश के तेजु में एक नए एयरपोर्ट का अवसंरचना विकास (10 करोड़ रुपए)
 - (ii) अरूणाचल प्रदेश के खुप्पी से तवंग तक 132 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसिमशन लाइन (10 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(-)60.00

(-)60.00

- (a) For meeting establishment related expenditure of the Asian Development Bank assisted North East State Road Project Management Unit (Rs. 1.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For meeting the expenditure of the following schemes:
 - (i) Infrastructure Development of a new airport at Teju in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore).
 - (ii) 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore).

- (iii) पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ें जिलों में 200 पैदल यात्री वाले वायर रोप सस्पेंशन ब्रिजों का निर्माण (10 करोड़ रुपए)।
- (iv) ब्रु जनजाति के पुर्नस्थापना के लिए मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्र का विकास (10 करोड़ रुपए)।
- (v) नागालैंड के मोन, टवेनसांग, किफिरे और लोगलेंग जिलों का विकास (5 करोड़ रुपए)।
- (vi) कर्बी अगलोंग और उत्तरी कचर जिला परिषद् में योजना (5 करोड़ रुपए)।
- (vii) थल सेवा द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं (10 करोड़ रुपए)।

चूंकि उपरोक्त राशि की पूर्ति भारत के लोक लेखा में स्थित 'सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि' से की गई वसूलियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (iii) Construction of 200 Pedastrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States (Rs. 10 crore).
- (iv) Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals (Rs. 10 crore).
- (v) Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng districts of Nagaland (Rs. 5 crore).
- (vi) Scheme in Karbi Anglong and North Kachar District Councils (Rs. 5 crore).
- (vii)Schemes to be implemented in border areas by Army (Rs. 10 crore).

As above said amount will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)। (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			7	राजस्व	पूंजी	जोड़
			R	evenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charge	d:	0.10		0.10
	स्वीकृत	Vote	ed: 54	48.02	424.88	972.90
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Vote	ed:	49.76	0.01	49.77
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vote	ed:	26.75		26.75
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	62	24.63	424.89	1049.52
	भारित	Charge	ed:	0.10		0.10
	स्वीकृत	Vote	ed: 62	24.53	424.89	1049.42

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान		3403-Oceanographic				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	10.22 (কa)		10.22
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	7.42 (खb)	1.29 (чс)	8.71
3455-मौसम विज्ञान		3455-Meteorology	Voted:	0.01 (ਬd)	7.81 (ਵe)	7.82
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	17.65	9.10	26.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for:

- (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना (i) प्रेक्षण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए महासागर प्रेक्षण एवं सूचना प्रणाली (5 करोड़ रुपए); (ii) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई को महासागर गतिविधियों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु (7.59 करोड़ रुपए); (iii) छह और नये केन्द्रों की भागीदारी के साथ समुद्र से औषधि की खोज (1 करोड़ रुपए); (iv) जागरुकता एवं प्रचार के लिए जलीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (0.50 करोड़ रुपए); (v) जलयान के प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु 'सागर निधि' अनुसंधान पोत की अधिप्राप्ति एवं पोत का अनुरक्षण (8 करोड़ रुपए); (vi) वास्तविक समय आंकड़ा की प्राप्ति के लिए भारत के चारों ओर के समुद्र में डाटा बोया कार्यक्रम के प्रचालन एवं चालीस बोया नेटवर्क के अनुरक्षण हेतु (5 करोड़ रुपए); (vii) पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञानों में अनुसंधान और विकास (4 करोड़ रुपए); (viii) अंटाकंटिक अभियान की शुरुआत और स्थाई स्टेशन 'मैत्री' के अनुरक्षण हेत् ध्रुव विज्ञान (16 करोड़ रुपए); (ix) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धातु विज्ञान हेतु बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम (0.47 करोड़ रुपए); (x) विभिन्न समुद्री सजीव संसाधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेत् केन्द्रीय समुद्री सजीव संसाधन (0.74 करोड़ रुपए); तथा (xi) महासागर सूचना सेवा हेत् भारतीय
- providing grants-in-aid to meet additional expenditure for the following purposes: (i) Ocean Observation and Information System for strengthening observation network (Rs.5 crore); (ii) National Institute of Ocean Technology, Chennai for implementation of technology programme regarding ocean activities (Rs.7.59 crore); (iii) Drugs from Sea for exploration of drugs with participation of six more new centres (Rs.1 crore); (iv) Marine Research and Technology Development for awareness and publicity (Rs.0.50 crore); (v) Acquisition of Research Vessel 'Sagar Nidhi' for operation and maintenance of the vessel (Rs.8 crore); (vi) Data Buoy Programme for operating and maintenance of forty buoy network in the sea around India for acquisition of real time data (Rs.5 crore); (vii) Research and Development in Earth and Atmospheric Sciences (Rs.4 crore); (viii) Polar Science for launching of Antarctic expedition and maintenance of the permanent station 'Maitri' (Rs.16 crore); (ix) Polymetallic Nodules Programme for metallurgy to pursue various research and development projects (Rs.0.47 crore); (x) Central Marine Living Resources

राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा अन्तर्वस्तु प्रबन्धित वेबसाइट के विकास हेतु सूचना तकनीकी (1.45 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में 39.53 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और पूंजी भाग से 10.22 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतें करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय उष्णकटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान, पुणे को अल्पाविधक जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु विभिन्नता हेतु (6.57 करोड़ रुपए); तथा (ii) राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम भविष्यवाणी केन्द्र को लघु निर्माण कार्यों हेतु (2 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 1.15 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और 7.42 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतों को करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) भारतीय उष्णकटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान, पुणे को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.53 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में 0.24 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और 1.29 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतों के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) भूकम्पनीयता और भूकम्प पूर्वगामी कार्यक्रमों में गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना (4 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (7.81 करोड़ रुपए)। चूंकि पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

for implementing various Marine Living Resources Programmes (Rs.0.74 crore) and (xi) Information Technology for development of contents managed website by Indian National Centre for Ocean Information Services (Rs.1.45 crore). After utilizing the savings of Rs.39.53 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.10.22 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.

- (b) providing (i) grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management, Pune for short term climate change and climate variations (Rs.6.57 crore) and (ii) National Centre for Medium Range Weather Forecasting for minor works (Rs.2 crore). After utilizing the savings of Rs.1.15 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.7.42 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure on grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management, Pune on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.53 crore). After utilizing the savings of Rs.0.24 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.1.29 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.
- (d) providing grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity and Earthquake Precursors programmes (Rs.4 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.7.81 crore). As an equivalent amount will be surrendered form the Capital Section, there will be no cash outgo.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)। (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 35 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	1676.67	30.33	1707.00	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	T:				
	स्वीकृत		Voted:	27.03	0.70	27.73	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	भारित		Charged:	1.50		1.50	
	स्वीकृत		Voted:	0.06	•••	0.06	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppleme	ntary)	1705.26	31.03	1736.29	
	भारित		Charged:	1.50		1.50	
	स्वीकृत		Voted:	1703.76	31.03	1734.79	
		00 \	0 0 0	O 16 1			

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	0.01 (कa)	0.01(खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)		0.01
3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	स्वीकृत	3435-Ecology and Environment	Voted:	0.01 (ਬd)	0.01(ਵe)	0.02
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	भारित	State Governments Ci	harged:	1.50 (चf)		1.50
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (ছg)		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		1.54	0.02	1.56
	भारित	Ci	harged:	1.50		1.50
	स्वीकृत		Voted:	0.04	0.02	0.06

ये पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.30 करोड़ रूपए), (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (23.28 करोड़ रूपए), (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.55 करोड़ रूपए), (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (1.87 करोड़ रूपए) और (i) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (2.90 करोड़ रूपए) को सहायता अनुदान। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन हेतु (1 करोड़ रूपए) और (ii) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.20 करोड़ रूपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) ग्रामों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण संवेदी बाघ आवास हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की योजना के

The supplementary grant/appropriation are sought for:

- (a) Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Mangment (Rs.0.30 crore), (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs.23.28 crore), (iii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs.0.55 crore), (iv) National Tiger Conservation Authority (Rs.1.87 crore) and (v) Wildlife Institute of India (Rs.2.90 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to (i) Indian Council of Forestry Research and Education on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1 crore) and (ii) Indian Institute of Forestry Management (Rs.0.20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid (i) to Project Tiger for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger

अन्तर्गत सहायता अनुदान (10.80 करोड़ रूपए और (ii) अत्यधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पार्क विकास और अभयारण्य एकीकृत विकास योजना के तहत (1.50 करोड़ रूपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) हिमालय अनुसन्धान एवं विकास (2.75 करोड़ रूपए), (ii) पर्यावरण प्राधिकरण एवं पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना (1.56 करोड़ रूपए), (iii) राष्ट्रीय समुद्र तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम (1.28 करोड़ रूपए), (iv) जोखिम पदार्थ प्रबन्धन (0.40 करोड़ रूपए) को सहायता अनुदान और (v) जीओआई-यूएनडीपी पर्यावरण सहायता कार्यक्रम (0.60 करोड़ रूपए)तथा (vi) गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम को सहायता अनुदान (22 करोड़ रूपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन एवं वेतन हेतु सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (5.04 करोड़ रूपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक प्रक की मांग की गई है।
- (च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केरल और तमिलनाडु में हाथी कारिडार हेतु भूमि की अधिप्राप्ति के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रूपए)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) गांवों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की आतिरिक्त आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण संवेदी बाघ आवास हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को सहायता अनुदान (56 करोड़ रूपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- habitats (Rs.10.80 crore) and (ii) under the scheme of Assistance to Development of National Park and Sanctuaries/Integrated Development to meet the additional requirement of large number of protected areas (Rs.1.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid to (i) Himalayan Research and Development (Rs.2.75 crore), (ii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (Rs.1.56 crore), (iii) National Coastal Management Programme (Rs.1.28 crore), (iv) Hazardous Substances Management (Rs.0.40 crore), (v) GOI-UNDP Environment Support Programme (Rs.0.60 crore) on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation as accepted by the Government and (vi) National River Conservation Programme for additional requirement of setting up of Ganga River Basin Authority (Rs.22 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board on account of Salaries and Pensions on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.5.04 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Grants-in-aid to Project Elephant for acquiring land for Elephant Corridors in Kerala and Tamil Nadu in pursuant to orders of Hon'ble High Court (Rs.1.50 crore). Taking into account the savings available in the voted section of the grant, there will be no cash outgo.
- (g) Grants-in-aid to Project Tiger for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger habitats (Rs.56 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)। (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 36 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	C	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत		Voted:	4216.04	845.93	5061.97
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	778.11		778.11
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	342.39	794.92	1137.31
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)	5336.57	1640.85	6977.42
	भारित		Charged:	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत		Voted:	5336.54	1640.85	6977.39

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061-विदेश		2061-External				
	स्वीकृत	Affairs	Voted:		342.39 (कa)	342.39
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	•••	342.39	342.39
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं		4070-Capital Outlay on Other				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Administrative Services	Voted:		14.92 (खb)	14.92
7605-विदेशी सरकारों को		7605-Advances to Foreign				
अग्रिम	स्वीकृत	Governments	Voted:		780.00 (ਸc)	780.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	•••	794.92	794.92
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	1137.31	1137.31

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

- (क) वेतनों हेतु विशेष राजनय व्यय के संबंध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (69.75 करोड़ रुपए) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के विकास निधि की सोशल विंडो हेतु भारत के अंशदान का भुगतान संतुलन खर्चे (272.64 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेत्। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) भूटान (300.00 करोड़ रुपए) और मालदीव (480.00 करोड़ रुपए) के लिए तत्काल ऋण सुविधा। अनुदान के राजस्व भाग से 109.00 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित करने का बाद, इसमें 671 करोड़ रुपए निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) For meeting additional requirement of funds for Special Diplomatic Expenditure for salaries (Rs. 69.75 crore) and expenses of balance payment of India's contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Development Fund (SDF) (Rs. 272.64 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) For meeting additional requirement of funds for capital works. This will entail net cash outgo.
- (c) For Standby Credit Facility to Bhutan (Rs. 300.00 crore) and Maldives (Rs. 480.00 crore). After surrendering an amount of Rs. 109.00 crore from the Revenue Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 671 crore.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	4124.84	599.12	4723.96
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRAN	/ T :			
	स्वीकृत		Voted:	204.43	1000.60	1205.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
ζ, σ	स्वीकृत	1	Voted:	149.62	376.61	526.23
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supple	ementary) Voted:	4478.89	1976.33	6455.22

- I. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य		2052-Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	0.01 (কa)	0.01
3075-अन्य परिवहन		3075-Other Transport				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	149.60 (खb)	149.60
3475-अन्य सामान्य		3475-Other General				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	•••	0.01 (чc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section				
_	स्वीकृत		Voted:	•••	149.62	149.62
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण		4046-Capital Outlay on				
और टकसाल पर		Currency, Coinage				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Mint	Voted:		376.60 (ਬd)	376.60
7605-विदेशी सरकारों		7605-Advances to Foreign				
को अग्रिम	स्वीकृत	Governments	Voted:		0.01 (ਵe)	0.01
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section				
	स्वीकृत		Voted:	•••	376.61	376.61
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	•••	526.23	526.23

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में घटाकर समायोजित किया गया है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction in expenditure.

-385.20

-385.20

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण	4046-Capital Outlay on
और टकसाल पर	Currency, Coinage
पूंजी परिव्यय	and Mint

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

- (क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, (0.10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान को उसी भाग में बचतें उपलब्ध है अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में अतिरिक्त सब्सिडियां (27.48 करोड़ रुपए) प्रदान करने और रेलवे को सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के प्रचालन पर होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (27.48 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 23.88 करोड़ रुपए की बचतों के समायोजन के पश्चात इसमें 149.60 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) भारत के राजकोषीय संबंधों पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) नेटवर्क में शामिल होने की सदस्यता शुक्क के रूप में 0.13 करोड़ रुपए के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की खरीद के लिए सिक्योरिटी प्रिटिंग एंड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु (385.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 8.60 करोड़ रुपए की बचतों के समायोजन और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समतुल्य राशि के क्रेडिट की प्रतिसंतुलित वसूली के पश्चात कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।
- (ड) दावों की प्रतिपूर्ति के लिए श्रीलंका सरकार को दी गई भारत सरकार ऋण सहायता के तहत अग्रिम (10.51 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक प्रक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary Grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting additional establishment expenditure (Rs. 0.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 27.48 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 146.00 crore). After adjusting savings of Rs. 23.88 crore available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 149.60 crore.
- (c) For making payments of Rs. 0.13 crore as membership fee of India's joining the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) network on fiscal relations. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) (Rs. 385.20 crore) for purchase of coins to be supplied to Reserve Bank of India. After adjusting savings of Rs. 8.60 crore available in the same Section of the Grant, and matching recovery of an equivalent amount of credit received from Reserve Bank India, there will be no net cash outgo.
- (e) For making advances (Rs. 10.51 crore) under Government of India Line of Credit extended to Government of Sri Lanka for reimbursement of claims. As savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

वित्तीय संस्थाओं को भुगतान PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)। (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 39 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Croi		Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	7263.64	2809.23	10072.87
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
-	स्वीकृत	Voted:	40668.40	4996.23	45664.63
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	3143.09	656.90	3799.99
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	51075.13	8462.36	59537.49
	भारित	Charged:			•••
	स्वीकृत	Voted:	51075.13	8462.36	59537.49

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य		2075-Miscellaneous				
सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:	•••	175.00 (কa)	175.00
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security				
और कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted:	•••	0.01 (खb)	0.01
2416-कृषि संबंधी		2416-Agricultural Financial				
वित्त संस्थाएं	स्वीकृत	Institutions	Voted:	•••	1278.30 (गc)	1278.30
2885-उद्योगों और खनिजों		2885-Other Outlays on				
पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	Industries and Minerals	Voted:	•••	1062.08 (ঘd)	1062.08
3465-सामान्य वित्तीय एवं	_	3465-General Financial				
व्यापारिक संस्थाएं	स्वीकृत	and Trading Institutions	Voted:	•••	625.00 (ਵe)	625.00
3466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय		3466- International Financial				
. संस्थाएं	स्वीकृत	Institutions	Voted:	•••	2.70 (चf)	2.70
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	•••	3143.09	3143.09
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4885-उद्योगों और खनिजों		4885-Other Capital Outlay on				
पर अन्य पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Industries and Minerals	Voted:	•••	500.00 (छg)	500.00
5465-सामान्य वित्तीय		5465-Investments in				
और व्यापारिक		General Financial				
संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	and Trading Institutions	Voted:		0.01 (जh)	0.01
5466-अंतरराष्ट्रीय		5466-Investments in				
वित्तीय संस्थाओं		International Financial				
में निवेश	स्वीकृत	Institutions	Voted:		156.89 (झi)	156.89
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	•••	656.90	656.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	3799.99	3799.99

टिप्पणीः (क) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: (a) The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

 पूंजी भाग
 CAPITAL SECTION

 मुख्य शीर्ष
 MAJOR HEAD

 6885-अन्य उद्योगों और
 6885-Loans for other

 खनिजों के लिए ऋण
 स्वीकृत

 Industries and Min

6885-Loans for other स्वीकृत Industries and Minerals Voted: ... (-)1500.00 (-)1500.00

- यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:
- (क) गारंटी मोचन विधि की आधारभूत निधि को, इसमें अतिरिक्त 175 करोड़ रुपए अंतरित कर बढ़ाने हेत्। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के प्रतिपूर्ति योग्य दावों की पहली किस्त के लिए प्रदत्त अस्थायी नकदी सहायता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति संबंधी भुगतान हेतु, (149.79 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) (i) रबी 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को नकदी सहायता प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 130 करोड़ रुपए के भुगतान हेत्।
 - (ii) वर्ष 2008-09 के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान हेतु।
 - (iii) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (27.97 करोड़ रुपए)।
 - (iv) अल्पावधिक सहकारी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु (418.26 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 1278.30 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (घ) प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के संबंध में (1500 करोड़ रुपए) और सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (आईडब्ल्यूआरएफसी) की स्थापना के संबंध में (3 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों और एसएएसएफ) से प्राप्त अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान हेतु (625 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (च) (i) गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य देशों को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान हेतु (2.54 करोड़ रुपए), (ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्यांकन प्रभारों के संबंध में विनिमय परिवर्तन के लिए भुगतान हेतु (0.12 करोड़ रुपए) (iii) अफगानिस्तान पुनर्निर्माण ट्रस्ट निधि में अंशदान हेतु (0.04 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा (2.70 करोड़ रुपए)।
- (छ) भारत के निर्यात-आयात बैंक को अपनी शेयर पूंजी के अंशदान के लिए भुगतान (200 करोड़ रुपए) और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड को इक्विटी-सहायता हेतु भुगतान (300 करोड़ रुपए)। इसमें 500.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ज) राष्ट्रीयकृत बैंकों के टियर-1 लिखतों में अपनी पूँजीगत निधियों के संवर्धन के लिए अभिदान करने हेतु (1900 करोड़ रुपए)। चूँकि आयोजना पक्ष में अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (झ) भारत के पूँजीगत भुगतानों के कोटे के संवर्धन के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु (156.89 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

- The supplementary grant is sought for the following purposes:
- (a) For enhancing the corpus of Guarantee Redemption Fund by transfer of additional Rs.175 crore to the Fund. This will entail cash outgo.
- (b) For payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs.149.79 crore) towards reimbursement of interest paid by them to Reserve Bank of India against the temporary liquidity support provided against the first instalment of reimbursable claims of Regional Rural Banks and Cooperative Banks under the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme. After taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) For payment of Rs.130 crore to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) against interest subvention for providing liquidity support to Regional Rural Banks and Cooperative Credit Institutions during Rabi-2008-09.
 - (ii) For additional payment of Rs.1000 crore to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) towards interest subvention for providing short term crop loan to farmers for the year 2008-09.
 - (iii) For meeting additional expenditure (Rs.27.97 crore) towards contribution to International Fund for Agricultural Development.
 - (iv) For payment of additional amount (Rs.418.26 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for strengthening the short term co-operative credit structure.
 - After taking into account savings available in the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.1278.30 crore.
- (d) For meeting expenditure (Rs.1500 crore) towards redemption of securities issued to Stressed Asset Stabilisation Fund (SASF) and for meeting expenditure (Rs. 3 crore) towards setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited (IWRFC). After taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant and additional recoveries from SASF, this will not entail cash outgo.
- (e) For contribution to Securities Redemption Fund (Rs.625 crore) towards redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity shares of State Bank of India. This will entail cash outgo.
- (f) (i) For payment (Rs.2.54 crore) to International Monetary Fund (IMF) towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) to Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) eligible member countries (ii) For Payment (Rs.0.12 crore) for exchange variation towards assessment charges to IMF. (iii) For contribution (Rs.0.04 crore) to Afghanistan Reconstruction Trust Fund. This will entail cash outgo of Rs.2.70 crore.
- (g) For payment (Rs.200 crore) to Export-Import Bank of India towards subscription to its share Capital and for making payment (Rs.300 crore) to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) towards equity support. This will entail cash outgo of Rs.500.00 crore.
- (h) For subscribing (Rs.1900 crore) in Tier-I Instruments of Nationalised Banks to augment their capital funds. As savings are available within the same Section of the Grant under Plan side, a token supplementary is sought.
- For making additional payment to International Monetary Fund (Rs.156.89 crore) on account of enhancement of the quota of India's capital payments. This will entail cash outgo.

वित्तीय सेवाएं विभाग DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)। (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 41 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
₹	स्वीकृत		Voted:	59.98	0.02	60.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
₹	स्वीकृत		Voted:	9.00		9.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	8.41		8.41
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
₹	स्वीकृत		Voted:	77.39	0.02	77.41

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ 2052-सचिवालय-आर्थिक	स्वीकृत	2047-Other Fiscal Services 2052-Secretariat-General	Voted:	•••	2.21 (কa)	2.21
सेवाएँ 2070-अन्य प्रशासनिक	स्वीकृत	Services 2070- Other Administrative	Voted:	•••	3.40 (खb)	3.40
सेवाएँ	स्वीकृत	Services	Voted:		2.80 (чc)	2.80
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	8.41	8.41

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु है:

- (क) अभिरक्षक कार्यालय के अतिरिक्त स्थापन व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) सरकार द्वारा यथारवीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर अतिरिक्त व्यय (1.19 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (ii) किसानों के लिए कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के 'विज्ञापन' तथा 'प्रचार' अभियान से सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय (2.21 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली/अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के कार्यालय के वेतन पर अतिरिक्त व्यय (3.13 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के समायोजन के बाद और और अनुदान के पूंजी भाग में 0.01 करोड़ रुपए की बचतों जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को देखते हुए इसमें 2.79 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting additional establishment expenditure of office of Custodian. This will entail cash outgo.
- (b) (i) For meeting additional expenditure (Rs.1.19 crore) on salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
 - (ii) For meeting additional expenditure (Rs.2.21 crore) relating to 'advertisement' and 'publicity' campaign for Debt Waiver and Debt Relief Scheme for farmers. This will entail cash outgo.
- (c) For meeting additional expenditure on salary (Rs.3.13 crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. After adjusting savings available within the same Section of the Grant and also savings of Rs.0.01 crore in the Capital Section of the Grant which will be surrendered, this will entail a net cash outgo of Rs.2.79 crore.

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण TRANSFER TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42, और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	34392.42	4867.50	39259.92
	स्वीकृत	Voted:	52083.34		52083.34
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	•••	2000.00	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	12205.36		12205.36
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	•••	1161.50	1161.50
	स्वीकृत	Voted:	2917.10		2917.10
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	101598.22	8029.00	109627.22
	भारित	Charged:	34392.42	8029.00	42421.42
	स्वीकृत	Voted:	67205.80		67205.80
		म राम मार्क अस्त्रास /विक्रियोग का विसाद विस्तरित	नित्र गाला कीर्घी के	राज्यांच क्रिकार	T .21111111.

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	2817.10 (কa)	100.00 (खb)	2917.10
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को		7601-Loans and Advances to				
ऋण और अग्रिम	भारित	State Governments	Charged:	1161.50 (गc)		1161.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		3978.60	100.00	4078.60
	भारित		Charged:	1161.50	•••	1161.50
	स्वीकृत		Voted:	2817.10	100.00	2917.10

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:-

- (क) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (500 करोड़ रुपए),
 - (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1429.50 करोड़ रुपए),
 - (iii) अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (200.00 करोड़ रुपए),
 - (iv) वर्ष 2005-06 के दौरान बाढ़ में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण (561.63 करोड़ रुपए)।
 - (v) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (125.97 करोड़ रुपए)।
- (ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को एकबारगी आयोजना-भिन्न अनुदान।
- (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

चूंकि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation/grant is required for:-

- (a) (i) Normal Central Assistance (Rs.500 crore),
 - (ii) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects (Rs.1429.50 crore),
 - (iii) Additional Central Assistance (ACA) for Other Projects (Rs.200.00 crore),
 - (iv) Reconstruction of Assets damaged in Floods during 2005-06 (Rs.561.63 crore).
 - (v) Tsunami Rehabilitation Programme (Rs.125.97 crore).
- (b) One time Non-Plan grant to Government of Arunachal Pradesh.
- (c) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects.

This supplementary does not entail any cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant.

संख्या NO.37 विनियोग (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)। (See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 44 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित	Charged:		1745574.44	1745574.44
पूरक विनियोगः		SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित	Charged:		8622.63	8622.63
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:		433970.64	433970.64
जोड़ (मूल और पूरक)	0	Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged:	•••	2188167.71	2188167.71

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6001-केन्द्र सरकार		6001-Internal Debt				
के आन्तरिक		of Central				
ऋण	भारित	Government	Charged:		432216.15 (कa)	432216.15
6002-विदेशी ऋण	भारित	6002-External Debt	Charged:		1754.49 (खb)	1754.49
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:	•••	433970.64	433970.64

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है:

- (क) सामान्य बाजार उधारों के तहत 91-दिवसीय राजकोषीय बिलों (58831.45 करोड़ रुपए), 182-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (5308 करोड़ रुपए), 14-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (323769 करोड़ रुपए) तथा अर्थोपाय अग्रिमों (143026 करोड़ रुपए) का उन्मोचन, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत दिनांकित प्रतिभूतियां (59544.22 करोड़ रुपए), अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) (12.00 करोड़ रुपए), अफ्रीकी विकास निधि (२.०३ करोड़ रुपए), अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) (५३१५.२३ करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बॉड, 1993 (0.20 करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बाँड 1995 (5.24 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बाँड 1987 (1.92 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बाँड, 1993 (0.81 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बाँड 1994 (14.31 करोड़ रुपए), 6.50 प्रतिशत बचत बाँड 2003 (करेतर) (777.45 करोड़ रुपए)। चूँकि 164391.71 करोड़ रुपए की बचतें विनियोग में उपलब्ध हैं, अतः 432216.15 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक की मांग की गई है।
- (ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

- (a) Discharge of 91 day Treasury Bills (Rs. 58831.45 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.5308 crore), 14 day Treasury Bills (Rs.323769 crore) and Ways and Means Advances (Rs.143026 crore) under normal market borrowings, Dated Securities under Market Stabilisation Scheme (MSS) (Rs.59544.22 crore), International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) (Rs.12.00 crore), African Development Fund (Rs.2.03 crore), International Monetary Fund (IMF) (Rs.5315.23 crore), 10% Relief Bond, 1993 (Rs.0.20 crore), 10% Relief Bond, 1995 (Rs. 5.24 crore), 9% Relief Bond, 1987 (Rs.1.92 crore), 9% Relief Bond, 1993 (Rs.0.81 crore), 9% Relief Bond, 1999 (Rs. 14.31 crore), 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-taxable) (Rs.777.45 crore). As savings of Rs.164391.71 crore is available within the Appropriation, supplementary for the balance amount of Rs. 432216.15 crore is sought.
- (b) Repayment of External Debt. There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

व्यय विभाग DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)। (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 45 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	41.86	6.00	47.86
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	7.18	•••	7.18
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	9.92	•••	9.92
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	58.96	6.00	64.96

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-		2052-Secretariat-				
सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:		3.61 (কa)	3.61
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		6.31 (खb)	6.31
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	9.92	9.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) अतिरिक्त संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु (3.61 करोड़ रुपए)।
- (ख) केन्द्रीय अभिलेखन अभिकरण की क्षमता में राष्ट्रीय प्रतिभृति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को पेंशन निधि योजनाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए अभिलेखन, लेखा कार्य, प्रशासन और ग्राहक सेवाओं के कार्यों को पूरा करने हेतु सेवा प्रभारों के सम्बन्ध में शुल्क (6.31 करोड़ रुपए) भुगतान हेतु।

चूंकि अनुदान के पूंजी भाग (आयोजना) के तहत 3.00 करोड़ रुपए की व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional establishment expenditure (Rs.3.61 crore).
- (b) For payment of fee (Rs.6.31 crore) to National Securities Depository Limited (NSDL) in the capacity of Central Record Keeping Agency, towards service charges for performing the functions of record keeping, accounting, administration and customer services for subscribers to the schemes of pension fund.

As savings of Rs.3.00 crore under Capital Section (Plan) of बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इसमें 6.92 करोड़ रुपए का निवल नगद the Grant will be surrendered, this will entail net cash outgo of Rs.6.92 crore.

पेंशन PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 46 of the Fist Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	35.38		35.38
	स्वीकृत	Voted:	7930.76		7930.76
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2050.00		2050.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	28.22		28.22
	स्वीकृत	Voted:	585.17		585.17
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	10629.53	•••	10629.53
	भारित	Charged:	63.60		63.60
	स्वीकृत	Voted:	10565.93		10565.93

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन एवं अन्य		2071-Pensions and Other				
सेवानिवृत्ति लाभ	भारित	Retirement Benefits	Charged:		28.22 (कa)	28.22
	स्वीकृत		Voted:		585.17 (खb)	585.17
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	613.39	613.39
	भारित		Charged:	•••	28.22	28.22
	स्वीकृत		Voted:		585.17	585.17

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मुख्यतः निम्नलिखित वर्णित पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु:
 - (i) अधिवार्षिकी (5.50 करोड़ रुपए);
 - (ii) परिवार पेंशन (4.00 करोड़ रुपए);
 - (iii) पेंशन की परिकलित मूल्य (3.00 करोड़ रुपए);
 - (iv) अवकाश नगदीकरण (2.00 करोड़ रुपए);
 - (v) उपदान (9.50 करोड़ रुपए);
 - (vi) नई पेंशन योजना (0.17 करोड़ रुपए);
 - (vii) पूर्व राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति की पेंशन (0.55 करोड़ रुपए); तथा
 - (viii) उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पेंशन/परिवार पेंशन (3.50 करोड़ रुपए)

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure mainly on account of Pensions and other Retirement Benefits mentioned below on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:
- (i) Superannuation (Rs. 5.50 crore);
- (ii) Family Pension (Rs. 4.00 crore);
- (iii) Commuted Value of Pension (Rs. 3.00 crore);
- (iv) Leave Encashment (Rs. 2.00 crore);
- (v) Gratuity (Rs. 9.50 crore)
- (vi) New Pension Scheme (Rs. 0.17 crore);
- (vii) Pension on account of ex-President/Vice President (Rs. 0.55 crore); and
- (viii) Pension/Family Pension on account of High Court Judges (Rs. 3.50 crore).

This will entail cash outgo.

- (ख) (i) सरकार यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्यन पर पेंशन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (544.02 करोड़ रुपए)।
 - (ii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु
 (1) पेंशन भोगियों को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति (40.00 करोड़ रुपए) (2) भविष्य निधि को अंशदान (0.15 करोड़ रुपए);
 तथा (3) अनुग्रह भुगतान (1.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नगद व्यय होगा।

- (b) (i) For meeting additional expenditure on account of Pensions on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 544.02 crore).
 - (ii) For meeting additional expenditure on account of (1) Meidcal Reimbursement of Pensioners (Rs. 40.00 crore); (2) Contribution to Provident Fund (Rs. 0.15 crore); and (3) Ex-gratia Payment (Rs. 1.00 crore).

This will entail cash outgo.

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 47 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged.	36.85		36.85
	स्वीकृत	Voted	: 1243.70	2.95	1246.65
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged.	6.58		6.58
	स्वीकृत	Voted	: 344.97	•••	344.97
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged.	7.51		7.51
	स्वीकृत	Voted	265.28	0.29	265.57
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1904.89	3.24	1908.13
	भारित	Chargea	<i>!:</i> 50.94	•••	50.94
	स्वीकृत	Voted	l: 1853.95	3.24	1857.19

- II. इस पुरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शार्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2016-लेखा परीक्षा	भारित	2016- Audit	Charged:		7.51 (कa)	7.51
	स्वीकृत		Voted:		265.28 (खb)	265.28
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों		4059-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:		0.29 (गc)	0.29
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	273.08	273.08
	भारित		Charged:		7.51	7.51
	स्वीकृत		Voted:	•••	265.57	265.57

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) और (ख) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और छात्रावास की निर्माण अविध के विस्तार के लिए मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) & (b) For meeting additional establishment related expenditure. This will entail cash outgo.
- (c) For making additional payments to Mumbai Mahanagar Regional Development Authority (MMRDA) for extension of construction period for Regional Training Institute (RTI) and Hostel building. This will entail cash outgo.

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)। (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 48 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राज	जस्व	पूंजी	जोड़
			Rev	enue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charge	d: 0	0.02		0.02
	स्वीकृत	Vote	d: 6196	5.98	0.82	6197.80
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Vote	d: 40).49		40.49
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vote	d: 483	3.48	•••	483.48
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	6720	.97	0.82	6721.79
	भारित	Charge	ed: 0	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत	Vote	ed: 6720).95	0.82	6721.77

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय		2047-Other Fiscal				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	8.89 (কa)	8.89
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	0.71 (खb)	0.71
3601-राज्य सरकारों		3601-Grants-in-aid to				
को सहायता	स्वीकृत	State Governments	Voted:	•••	473.88 (лс)	473.88
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	483.48	483.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (क) (i) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (8.89 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के संबंध में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (3.69 करोड़ रुपए)। चूँकि इसकी पूर्ति अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरों के वेतनों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.71 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) मूल्य वर्द्धित कर (वैट) आरंभ करने के कारण राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (515.37 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों (41.49 करोड़ रुपए) और अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों (0.12 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक अनुदान में 473.76 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) For meeting additional establishment expenditure (Rs.8.89 crore). This will entail cash outgo.
 - (ii) For providing additional Grants-in-aid (Rs.3.69 crore) to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and additional building grant. As this will be met from the savings available in the same Section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (b) For meeting additional expenditure on salaries (Rs.0.71 crore) on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government in respect of Central Bureau of Narcotics. This will entail cash outgo.
- (c) For meeting additional requirement for compensation to State Governments (Rs.515.37 crore) for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT). After taking into account the savings (Rs.41.49 crore) available in the same Section of the Grant and under Capital Section of the Grant (Rs.0.12 crore), the net cash outgo on account of this supplementary will be Rs.473.76 crore.

प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)। (See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 49 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	1771.98	203.00	1974.98
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	303.55		303.55
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	251.58	•••	251.58
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2327.13	203.00	2530.13
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	2327.11	203.00	2530.11

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2020-आय और व्यय		2020-Collection of Taxes				
संबंधी करों		on Income and				
का संग्रहण	स्वीकृत	Expenditure	Voted:	•••	204.13 (কa)	204.13
2031-संपदा शुल्क,		2031-Collection of Estate				
संपत्ति कर और		Duty, Taxes on Wealth				
उपहार कर का संग्रहण	स्वीकृत	and Gift Tax	Voted:		47.45 (खb)	47.45
•						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	251.58	251.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) आयकर विभाग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर के संग्रहण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (47.45 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 12.50 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः 34.95 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting establishment related expenditure in respect of Income Tax Department. This will entail cash outgo.
- (b) For meeting additional expenditure (Rs.47.45 crore) for collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax. As savings of Rs.12.50 crore in Capital Section of the Grant will be surrendered, this will entail a net cash outgo of Rs.34.95 crore.

अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)। (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 50 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.20		1.20
	स्वीकृत	Voted:	1804.60	315.20	2119.80
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	373.29		373.29
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	506.91	•••	506.91
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2686.00	315.20	3001.20
	भारित	Charged:	1.20	•••	1.20
	स्वीकृत	Voted:	2684.80	315.20	3000.00

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2037-सीमा		2037-Customs				
शुल्क	स्वीकृत		Voted:		113.75 (কa)	113.75
2038-केन्द्रीय उत्पाद		2038-Union Excise				
शुल्क	स्वीकृत	Duties	Voted:		393.16 (खb)	393.16
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	506.91	506.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) सीमा शुल्क कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसे अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 39.20 करोड़ रुपए की बचतों से पूरा किया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें 353.96 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices. This will entail cash outgo.
- (b) For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices. This will be matched by savings of Rs.39.20 crore in Capital Section of the Grant, which will be surrendered and hence will entail a net cash outgo of Rs.353.96 crore.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुवानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2008-2009 की अनुवानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)। (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 53 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	17955.03	931.68	18886.71
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	T :			
	स्वीकृत		Voted:	378.30	0.01	378.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	8.79	0.01	8.80
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supple		18342.12	931.70	19273.82

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा ओर सार्वजनिक	स्वीकृत	2210-Medical and				
स्वास्थ्य		Public Health	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2211-परिवार कल्याण	स्वीकृत	2211- Family Welfare	Voted:	8.75 (गc)		8.75
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ਬd)		0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:		0.01(ਵe)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	8.77	0.02	8.79
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक	स्वीकृत	4210-Capital Outlay on Medical				
स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय		and Public Health	Voted:	0.01 (चf)	•••	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	8.78	0.02	8.80

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगें गए हैं:-

The supplementary grants are required for the following purposes:

- (क) (i) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को आधारभूत ढाँचे के रखरखाव, उपकरणों की खरीद और आवासों और अस्पताल भवनों तथा प्रयोगशाला भवनों के नवीकरण/उन्नयन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (23.30 करोड़ रुपए)।
 - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विभिन्न बहुमूल्य उपस्करों आदि संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (80.00 करोड़ रुपए)।
- (a) (i) Grants-in-aid to Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi to meet the expenditure on maintenance of infrastructure, purchase of equipments and renovation/ upgradation of residences & hospital buildings and laboratory buildings. (Rs.23.30 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to All India Institute of Medical Sciences to meet expenditure on various high end equipments etc. (Rs.80.00 crore).

- (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बैंगलोर को नये भवन व वार्डी तथा उपस्करों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान (12.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर वर्धित व्यय के लिए सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।
- (v) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भूगतान के लिए सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)।
- (vi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमः हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड को डीडीटी की आपूर्ति के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेत् (4.00 करोड़ रुपए)।
- (vii) राष्ट्रीय आरोग्य निधिः गरीबी रेखा से नीचे के कैंसर पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेत् (75.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुवानः
 - वलभ्भ भाई पटेल वक्ष संस्थान नई दिल्ली (1.09 करोड़ रुपए);
 - चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (2.77 करोड़ रुपए);
 - 3. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (130.00 करोड़ रुपए);
 - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर (9.00 करोड़ रुपए);
 - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ (36.96 करोड़ रुपए);
 तथा
 - 6. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.24 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राष्ट्रीय आरोग्य निधिः गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र को परिक्रामी निधि के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को आइएनआर की तुलना में डालर की वर्धित दर के कारण हुए वर्धित व्यय की पूर्ति हेतु अंशदान (2.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (iii) Grants-in-aid to National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore for addition of new building & wards and maintenance of equipments (Rs. 12.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh for increased expenditure on ongoing capital works (Rs. 10.00 crore).
- (v) Grants-in-aid to National Academy of Medical Sciences for making the payment on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 0.15 crore)
- (vi) National Vector Borne Disease Control Programme: To provide subsidy to Hindustan Insecticides Limited for supply of DDT (Rs. 4.00 crore)
- (vii) Rashtriya Arogya Nidhi: To provide financial assistance to patients below poverty line suffering from Cancer (Rs. 75.00 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
 - Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi (Rs. 1.09 crore);
 - 2. Chitaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 2.77 crore);
 - 3. All India Institute of Medical Sciences (Rs. 130.00 crore);
 - 4. National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore (Rs. 9.00 crore);
 - Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh (Rs. 36.96 crore);
 and
 - 6. National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.24 crore).
 - (ii) Rashtriya Arogya Nidhi: To provide financial assistance to patients below poverty line and to Union Territory of Andaman & Nicobar Islands towards revolving fund (Rs. 1.00 crore).
 - (iii) Contribution to World Health Organisation (WHO) to meet increased expenditure on account of enhanced rate of Dollar against INR (Rs. 2.00 crore)

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- (i) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को सरकार द्वारा (c) (i) यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी भुगतान हेतु सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए)।
 - (ii) मिशन फ्लेक्सी पूल (जीसी): उपयोग की गति अधिक होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (8.75 करोड़ रुपए)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1.35 करोड़ रुपए की बचत को प्रयोग करने के बाद और पूंजी भाग से 8.75 करोड़ रुपए की बजट अभ्यार्पित करने से कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् सहायता अनुदानः
 - क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (35.63 करोड़ रुपए);
 - क्षेत्रीय पैरामेडीकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (2.24 2. करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ड) राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता (e) Grants-in-aid to State Governments to provide financial प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए)।
 - चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाः भारत के उपराष्ट्रपति के लिए (f) (i) (च) (i) एम्बूलेंस की अधिप्राप्ति हेतु (1.23 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्लीः चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (16.07 करोड़ रुपए)।
 - (iii) केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांचीः चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर वचनबद्ध देयता की पूर्ति हेत् (2.98 करोड़ रुपए)।
 - (iv) क्षेत्रीय रनातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल रनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुदुचेरीः चालू निर्माण परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु (62.07 करोड़ रुपए)।
 - एम्स (एआईआईएमएस) जैसी परम विशिष्ट अस्पतालें-सह-अध्ययन संस्थानों की स्थापनाः बारह चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों हेत् हाइएंड मशीनरियों तथा उपस्करों की केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति से सम्बन्धित व्यय की पूर्ति हेतु (198.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- Grants-in-aid to National Institute of Health & Family Welfare for making the payment on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 1.35 crore).
 - (ii) Mission Flexi Pool (GC): To meet the additional requirement due to higher pace of utilization (Rs.8.75 crore).

After utilizing the savings of Rs.1.35 crore available within the same Section of the grant and surrender of savings of Rs.8.75 crore from the Capital Section, there will be no cash outgo.

- (d) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
 - Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.35.63 crore); and
 - Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizwal (Rs.2.24 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

assistance to patients below poverty line (1.35 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- Central Government Health Scheme: For procurement of ambulance for Vice President of India (Rs. 1.23 crore).
 - (ii) Safdarjung Hospital, New Delhi: To meet additional expenditure on ongoing Major Works (Rs. 16.07 crore).
 - (iii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi: To meet committed liability on ongoing capital works (Rs. 2.98 crore).
 - (iv) Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Puducherry: To meet expenditure on ongoing construction projects (Rs. 62.07 crore).
 - (v) Establishment of AIIMS type Super-speciality Hospitalscum-Teaching Institutions: To meet expenditure relating to centralized procurement of high-end machineries and equipments for twelve Medical College Institutions (Rs. 198.00 crare).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) विभाग DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)। (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			-	
	स्वीकृत		Voted:	621.00	2.00	623.00
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRAN	/ T :			
	स्वीकृत		Voted:	35.60		35.60
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	656.62	2.00	658.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

- The supplementary grant is required for the following purposes :
- (क) (i) लखनऊ, थ्रिसूर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरोग्य के संचालन हेतु 'सूचना शिक्षा और संचार पर व्यय' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय। (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय होमियौपैथी परिषद को सहायता अनुदान (0.02 करोड़ रुपए)।
 - (iii) 'आयुष अस्पताल' योजना के अंतर्गत व्यय (25.00 करोड़ रुपए)।
 - (iv) आयुष के प्रोत्साहन संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु सहायता योजना के लिए व्यय (1.46 करोड़ रुपए)।
 - (v) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त भुगतान हेतु सीएसएमडीआरआईए, चेन्नई, सीआरआई, भुवनेश्वर, सीआरआई, कोलकता में निर्माण कार्य हेतु 'केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (7.95 करोड़ रुपए)।

- (a) (i) Additional expenditure under the scheme 'Expenditure on Information Education and Communication' for conducting AROGYA at Lucknow, Thrissur and North East (Rs. 1.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Central Council of Homoeopathy for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 0.02 crore).
 - (iii) Additional expenditure under the scheme 'AYUSH Hospitals' (Rs. 25.00 crore).
 - (iv) Additional expenditure under the scheme 'Assistance for International Co-operation' for activities relating to promotion of AYUSH (Rs. 1.46 crore).
 - (v) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Ayurveda and Siddha' for construction works at CSMDRIA, Chennai, CRI, Bhuvabeswarm, CRI, Kolkatta and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 7.95 crore).

- (vi) आरआरआई(एच) मुम्बई, सीआरआई(एच), नोएडा, आरआरआई(एच), गुडीवड़ा में निर्माण कार्यों के लिए 'केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' योजना के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त व्यय और सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान (5.60 करोड़ रुपए)।
- (vii) मशीनरी और उपस्कर की खरीद, निर्माण कार्यों के लिए 'केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय और सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान (8.46 करोड़ रुपए)।
- (viii) निर्माण कार्यों के अंतर्गत 'केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' योजना के लिए अतिरिक्त व्यय (5.05 करोड़ रुपए)।
- (ix) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान हेतु राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय (2.61 करोड़ रुपए)।
- (x) 'आयुष पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम'/सतत चिकित्सा शिक्षा' योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (1.00 करोड़ रुपए)।
- (xi) आयुष शिक्षा/औषिध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक औषिध-आदि में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में मान्यताप्राप्त उत्कृष्टता केन्द्रों को सहायता' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (6.02 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (I) मध्यप्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में सीसीआईएम चुनाव विपन्न करने हेतु है। (0.10 करोड़ रुपए)।
 - (II) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के लिए है।
 - (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद-संस्थान, जयपुर (0.95 करोड़ रुपए);
 - (ii) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (7.43 करोड़ रुपए);
 - (iii) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (3.95 करोड़ रुपए), और
 - (iv) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (0.03 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है।

- (vi) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Homeopathy New Delhi', for construction works at RRI (H), Mumbai, CRI (H), Noida, RRI (H), Gudivada and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 5.60 crore).
- (vii) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Unani Medicines, New Delhi', for procurement of machinery and equipment, construction works and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 8.46 crore).
- (viii) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Yoga and Naturopathy New Delhi', for construction works (Rs. 5.05 crore).
- (ix) Additional expenditure for National Institute of Siddha, Chennai, for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 2.61 crore).
- (x) Additional expenditure under the schemes 'Reorientation Training Programme of AYUSH'/ 'Continuing Medical Education' (Rs. 1.00 crore).
- (xi) Additional expenditure under the scheme 'Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in nongovernment/private sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.' (Rs. 6.02 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (I) For conducting Central Council of Indian Medicine election in the States of Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu (Rs. 0.10 crore).
 - (II) For making payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government, to the following institutions:
 - (i) National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.95 crore);
 - (ii) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi (Rs. 7.43 crore);
 - (iii) Central Council for Research in Unani Medicine New Delhi (Rs. 3.95 crore); and
 - (iv) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi (Rs. 0.03 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grant for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	531.75	•••	531.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.07		0.07
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	35.19		35.19
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	y)			
	स्वीकृत		Voted:	567.01	•••	567.01

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	0.01(কa)	35.18(खb)	35.19
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	35.18	35.19

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:-

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सहायता अनुदान (104.18 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सहायता अनुदान (64.00 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 28.82 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 35.18 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा। The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research (ICMR) for meeting the additional requirement on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.104.18 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research (ICMR) for meeting the additional requirement on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.64.00 crore).

As savings of Rs.28.82 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.35.18 crore.

भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 59 देखिए)। (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 59 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	214.96	592.24	807.20
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	813.99	0.01	814.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	864.07	56.51	920.58
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementa	ry)Voted:	1893.02	648.76	2541.78

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़ Takal
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		Plan	Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2 852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		864.07 (कa)	864.07
. 0						
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों		4858- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Engineering Industries	Voted:	0.01 (खb)	56.48 (गc)	56.49
4860-उपभोक्ता उद्योगों	· ·	4860-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Consumer Industries	Voted:	0.01 (ਬd)		0.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों	स्वीकृत	6858-Loans for Engineering				
के लिए ऋण		Industries	Voted:		0.01 (ਵe)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.02	56.49	56.51
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	920.56	920.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) (i) वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक की अवधि के लिए दांडिक गारंटी शुल्क सिहत आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे, वर्ष 2006-07 के लिए एण्डू युले एंड कंपनी लि. (0.35 करोड़ रुपए) संबंधी गारंटी शुल्क की माफी, वर्ष 2008-09 के लिए एचएमटी लि. (2.14 करोड़ रुपए), वर्ष 2008-09 के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि. (1.50 करोड़ रुपए) और टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (1.82 करोड़ रुपए) को क्रियान्वित करने हेतु। चूंकि इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) दिनांक 31.03.2008 को भारत सरकार के ऋण पर 547.09 करोड़ रुपए के ब्याज की माफी तथा कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में संचित घाटे की तुलना में इक्विटी (266.68 करोड़ रुपए) को घटाकर लिखने हेतु। चूंकि इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Ltd. (Rs.0.35 crore) for the year 2006-07, HMT Ltd. (Rs.2.14 crore) for the year 2008-09, Heavy Engineering Corporation Ltd. (Rs.1.50 crore) for the year 2008-09 and Tyre Corporation of India Ltd. (Rs.1.82 crore) including penal guarantee fee for the period 1999-2000 to 2007-08. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
 - (ii) for waiver of interest of Rs.547.09 crore as on 31.3.2008 on Government of India loan and write down of equity (Rs.266.68 crore) against the accumulated losses in respect of Tyre Corporation of India Ltd., as part of approved restructuring plan of the company. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo.

- (iii) भारत सरकार के ऋण (30.97 करोड़ रुपए) तथा कम्पनी के अनुमोदित पुनर्सरचना योजना के भाग के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज (13.52 करोड़ रुपए) की माफी को बट्टे खाते डालने हेतु। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे भारत सरकार के ऋण (108.04 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन, के कार्यान्वयन के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) आवश्यक लेखा समायोजनों अर्थात् 31.3.2009 तक का बकाया ऋण एवं दाण्डिक ब्याज (56.48 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन को क्रियान्वित करने हेतु। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (घ) आवश्यक लेखा समायोजनों अर्थात 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया (202.86 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के रूप में टायर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन के क्रियान्वयन के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ड) कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को आयोजना-भिन्न ऋण (60 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (iii) for write off of Government of India loan (Rs.30.97 crore) and waiver of interest (Rs.13.52 crore) in respect of Nagaland Pulp and Paper Company Ltd., a subsidiary of Hindustan Paper Corporation Ltd. as part of approved restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
- (b) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs.108.04 crore) into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of approved restructuring plan of the company.
- (c) for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of outstanding interest and penal interest (Rs.56.48 crore) till 31.3.2009 into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of approved restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
- (d) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan outstanding (Rs.202.86 crore) as on 31.3.2008 into equity in respect of Tyre Corporation of India Ltd., as part of approved restructuring plan of the company.
- (e) for providing non-Plan loan (Rs.60 crore) to Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of the approved restructuring plan of the company. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सरकारी उद्यम विभाग DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)। (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 61 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	14.50		14.50
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.79	•••	0.79
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1.21	•••	1.21
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	16.50	•••	16.50

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-		3451-Secretariat-				
अर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:		1.21	1.21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	1.21	1.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेत् अपेक्षित हैः

- (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.11 करोड़ रुपए)।
- (ii) बकाया चिकित्सा बिल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.02 करोड़ रुपए)।
- (iii) समझौता ज्ञापन टास्क फोर्स, अनुसंधान समिति और सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) के सदस्यों को टीए/डीए भुगतान संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.45 करोड़ रुपए)।
- (iv) कार्यालय व्यय एवं अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.21 करोड़ रुपए)।
- (v) व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के तहत समझौता ज्ञापन टास्क फोर्स, अनुसंधान समिति और सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड के विभिन्न सदस्यों को भुगतान संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.42 करोड़ रुपए)।

इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- Requirement on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.11 crore).
- (ii) Requirement for pending medical bills (Rs.0.02 crore).
- (iii) Requirement for paying TA/DA to the members of Memorandum of Understanding Task Force, Search Committee and Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) (Rs.0.45 crore).
- (iv) Requirement towards Office Expenses and Other Administrative Expenses (Rs.0.21 crore)
- (v) Requirement for payment under Professional and Special Services to the various members of Memorandum of Understanding Task Force, Search Committee and Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) (Rs.0.42 crore).

This will entail cash outgo.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 62 देखिए)। (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत		Voted:	889.17	70.23	959.40
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:	•			
	भारित		Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत		Voted:	255.36		255.36
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)	1144.75	70.23	1214.98
	भारित		Charged:	0.20		0.20
	स्वीकृत		Voted:	1144.55	70.23	1214.78

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय - सामान्य		2052-Secretariat-General				
सेवाएं		Services	Voted:	•••	0.01(कa)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं		Services	Voted:		0.01(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

- (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मोटर वाहनों पर व्यय (1.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति।
- (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के नव स्थापित कार्यालय से सम्बद्ध स्थापना व्यय की पूर्ति (0.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

- (a) meeting the expenditure on Motor Vehicles of Narcotics Control Bureau (NCB) (Rs.1.50 crore).
- (b) meeting the establishment related expenditure of the newly established office of National Investigation Agency (NIA) (Rs.0.50 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

पुलिस POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)। (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित	Cho	arged:	3.89	7.05	10.94	
	स्वीकृत	•	Voted:	16519.82	5344.49	21864.31	
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित	Cho	arged:	0.04	0.80	0.84	
	स्वीकृत	•	Voted:	5065.79	0.02	5065.81	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	74.10		74.10	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplem	nentary)	21663.64	5352.36	27016.00	
	भारित	Cho	arged:	3.93	7.85	11.78	
	स्वीकृत	•	Voted:	21659.71	5344.51	27004.22	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	0.01 (कa)	34.00 (खb)	34.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:		40.09 (чc)	40.09
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	74.09	74.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित की पूर्ति हेतु अपेक्षित है :

- (क) सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लैबोरेट्री का अन्य प्रशासनिक खर्चों संबंधी व्यय (0.10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल-संबंधी स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय।
 - चूंकि अनुदान के स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) जम्मू एवं कश्मीर में (232 करोड़ रुपए), (ii) नक्सल प्रभावित राज्यों (12 करोड़ रुपए) और (iii) पूर्वोत्तर राज्य (78 करोड़ रुपए) में सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 281.91 करोड़ रुपए की बचतें, भारित राजस्व भाग में उपलब्ध 0.44 करोड़ रुपए की बचतें और अनुदान के स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध 39.65 करोड़ रुपए की बचतें जो अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for meeting:

- (a) expenditure on Other Administrative Expenses of Central Forensic Science Laboratory (Rs. 0.10 crore).
 - As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) additional establishment expenditure in respect of Central Para Military Forces.
 - As equivalent savings available under the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (c) additional requirement under Security Related Expenditure in (i) Jammu and Kashmir (Rs. 232 crore), (ii) Naxal affected States (Rs. 12 crore) and (iii) North Eastern States (Rs. 78 crore).

Taking into account savings of Rs. 281.91 crore available within the same Section of the Grant, savings of Rs. 0.44 crore available in the Revenue Charged Section and Rs. 39.65 crore in Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary will not entail cash outgo.

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	999.03	26.20	1025.23
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	84.35		84.35
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	354.20		354.20
}		Total (Original plus Supplementary)	1427 (0	26.20	1462.00
जोड़ (मूल और पूरक)	0	Total (Original plus Supplementary)	1437.60	26.20	1463.80
	भारित	Charged:	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1437.58	26.20	1463.78

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security					
और कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted:		32.20 (कa)	32.20	
3601-राज्य सरकारों को		3601- Grants-in-aid					
सहायता अनुदान	स्वीकृत	to State Governments	Voted:		322.00 (खb)	322.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	354.20	354.20	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन और अन्य लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (51.58 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 19.38 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध 9.40 करोड़ रुपए जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखने के बाद इस पूरक लेखे में नकद व्यय 22.80 करोड़ रुपए होगा।

- (ख) (i) 2002 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में आवासीय सम्पत्तियों के नुकसान पर अतिरिक्त राहत प्रदान करना (212 करोड़ रुपए)।
 - (ii) भागलपुर, बिहार के साम्प्रदायिक दंगों के पीडितों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना (20 करोड़ रुपए)।
 - (iii) 1984 के दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना (20 करोड़ रुपए)।
 - (iv) जम्मू तथा कश्मीर में राहत और पुनर्वास पर अतिरिक्त व्यय (70 करोड़ रुपए)।

इस पूरक में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a) meeting expenditure on Pension & Other Benefits to the Freedom Fighters (Rs.51.58 crore).

Taking into account savings of Rs.19.38 crore available within the same section of the Grant and Rs.9.40 crore available in the Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.22.80 crore.

- (b) (i) providing additional relief towards damage to residential properties in 2002 Gujarat communal riots (Rs.212 crore).
 - (ii) providing relief and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (Rs.20 crore).
 - (iii) providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.20 crore).
 - (iv) additional expenditure on relief and rehabilitation in J&K (Rs.70 crore).

This supplementary will entail cash outgo.

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिए)। (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 68 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः	स्वीकृत	I. ORIGINAL GRANT:	Voted:	1768.39	72.00	1840.39
पूरक अनुदानः इस समय आवश्यक रकम	स्वीकृत	SUPPLEMENTARY GRANT: Supplementary Estimate of	Voted:	165.00		165.00
का पूरक अनुमान जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	the amount now required: Total (Original plus Supplementa	Voted:	0.01		0.01
	स्वीकृत		Voted:	1933.40	72.00	2005.40

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की		3602-Grants-in-aid to				
सरकारों को सहायता		Union Territory				
अनुदान		Governments				
	स्वीकृत		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान पॉडिचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अनुदान प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (128.89 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs.128.89 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

साक्षरता और स्कूली शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 70 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	40667.00		40667.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	282.35	761.54	1043.89
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	11.58		11.58
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	40960.93	761.54	41722.47

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य		2202-General				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	11.54 (कa)	0.01 (खb)	11.55
2552-पूर्वोत्तर		2552-North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	0.01 (ਬd)		0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकार		3602-Grants-in-aid to Union				
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (se)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	11.57	0.01	11.58

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगे गए हैं:

- The supplementary grants are sought for the following purposes:
- (क) (i) नवोदय विद्यालय समितिः निर्माण संबंधी गतिविधियों आदि पर व्यय के लिए (336.00 करोड़ रुपए).
 - (ii) प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थाओं/एसआरसी को सहायता - संशोधित योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (19.71 करोड़ रुपए)।
 - (iii) अभिगम एवं इक्विटी:- स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिपूर्ति मामलों के भुगतान हेतु (0.05 करोड़ रुपए)।
 - (iv) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (v) राष्ट्रीय साधन-सह-योजना छात्रवृत्ति योजनाः- छात्रवृत्ति संवितरण संबंधी व्यय की पूर्ति हेत् (11.54 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 356.76 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के पूंजी भाग से 11.54 करोड़ रुपए की राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: For expenditure on construction activities etc. (336.00 crore).
 - (ii) Support to NGO's/Institutions/SRC's for Adult Education & Skill Development: To meet the additional expenditure on the revised scheme (Rs. 19.71 crore).
 - (iii) Access & Equity:- To make payment of reimbursement cases to the voluntary Organisations (Rs. 0.05 crore).
 - (iv) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 1.00 crore).
 - (v) National Means cum Merit Scholarship Scheme:-To meet expenditure on disbursement of scholarships (Rs. 11.54 crore)

Taking into account the savings of Rs. 356.76 crore available within the same section of the grant and surrender of Rs. 11.54 crore from the Capital Section of the grant, there will be no cash outgo.

- (ख)(i) नवोदय विद्यालय समितिः वेतन/पेंशन/बोनस के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15.74 करोड़ रुपए)।
 - (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठनः वेतन/पेंशन/बोनस के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (188.53 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान क उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (ग) (i) नवोदय विद्यालय समिति : भवन-निर्माण संबंधी गतिविधियों पर व्यय हेतु (59.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (24.53 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (घ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (169.59 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।
- (ङ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (5.43 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (b) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: To meet additional expenditure on account of revision of salary /pension/bonus (Rs. 15.74 crore).
 - (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan: To meet additional expenditure on account of revision of salary/pension/bonus (Rs. 188.53 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: For expenditure on construction activities etc. (Rs.59.00 crore).
 - (ii) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 24.53 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs.169.59 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 5.43 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)। (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	10852.87		10852.87
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	554.68	•••	554.68
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.08	•••	0.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	11407.63	•••	11407.63

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (ਬd)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (se)	0.01 (चf)	0.02
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01 (ছg)	0.01 (जh)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.04	0.08

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन हेतु हैः

- (क) (i) मुम्बई विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए); कलकत्ता विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए); और मद्रास विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए) को उत्कृष्ट संस्थानों की योजना तहत सहायता अनुदान;
 - (ii) ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना योजना के तहत सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए);
 - (iii) हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा योजना के तहत सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपए); और
 - (iv) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग योजना के तहत, लघु निर्माण कार्यों और रखरखाव हेतु सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदानः
 - (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (120.63 करोड़ रुपए);
 - (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (252.39 करोड़ रुपए);

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-Aid under the scheme Institutions of Excellence to the University of Mumbai (Rs.20.00 crore); University of Calcutta (Rs.20.00 crore); and University of Madras (Rs.20.00 crore);
 - (ii) Grants-in-Aid under the scheme establishment of Rural University (Rs.0.25 crore);
 - (iii) Grants-in-Aid under the scheme Hindi Shiksha, Mandal, Agra (Rs.0.60 crore);
 - (iv) Grants-in-Aid under the scheme Commission for Scientific and Technical Technology for minor works and maintenance (Rs.0.30 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- b) 1. Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
 - (i) University Grants Commission (Rs.120.63 crore);
 - (ii) Grants-in aid to Central Universities (Rs.252.39 crore);

- (iii) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (0.50 करोड़ रुपए);
- (iv) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना (0.31 करोड़ रुपए);
- (v) भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान शिमला (0.33 करोड़ रुपए);
- (vi) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (0.16 करोड़ रुपए); और
- (vii) राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (2.43 करोड़ रुपए)।
- (2) 'यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर तथा सीमा शुल्क की वापसी' योजना के तहत सहायता अनुदान (0.92 करोड़ रुपए);
- (3) 'विदेश में शैक्षणिक संस्थान' योजना के तहत, स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु सहायता अनुदान (1.13 करोड़ रुपए); और
- (4) 'विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय स्कॉलर' योजना के तहत, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति यू.के. हेत् सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

- (ग) (i) 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (29.97 करोड़ रुपए);
 - (ii) 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (39.54 करोड़ रुपए);
 - (iii) 'भारतीय शिक्षा अनुसंधान विज्ञान संस्थान' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए); और
 - (iv) 'तीन नए आईआईटी की स्थापना' योजना के तहत सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (घ) 1. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु;
 - (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (191.39 करोड़ रुपए);
 - (ii) भारतीय प्रबन्ध संस्थान (0.70 करोड़ रुपए);
 - (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (30.30 करोड़ रुपए);
 - (iv) राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरिंग संस्थान, मुम्बई (1.66 करोड़ रुपए);
 - (v) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान(2.13 करोड़ रुपए);
 - (vi) संत लोंगोवाल इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (1.00 करोड़ रुपए); और
 - (vii) भारतीय खान स्कूल, धनबाद (5.15 करोड़ रुपए)।
 - 2. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा चेन्नई (0.70 करोड़ रुपए); और
 - 3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (49.70 करोड़ रुपए)।

- (iii) Indian Council of Historical Research (0.50 crore);
- (iv) Establishment of Rural Universities (Rs.0.31 crore);
- (v) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (Rs.0.33 crore):
- (vi) Indian Council of Philosophical Research (Rs.0.16 crore);
- (vii)National University of Education Planning & Administration (Rs.2.43 crore).
- Grants-in-aid under the scheme 'Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India' (Rs.0.92 crore);
- Grants-in-aid under the scheme 'Education Institutions Abroad for establishment related expenditure' (Rs.1.13 crore);
- Grants-in-aid under the scheme 'Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organisations' for Commonwealth Scholarship UK (Rs.0.11 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid under the scheme 'All India Council for Technical Education' on account of ongoing activities (Rs.29.97 crore);
 - (ii) Grants-in-aid under the scheme 'National Institute of Technology' on account of ongoing activities (Rs.39.54 crore);
 - (iii) Grants-in-aid under the scheme 'Indian Institutes of Science for Education Research' on account of ongoing activities (Rs.25.00 crore);
 - (iv) Grants-in-aid under the scheme 'Setting of three new IITs' (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- d) 1. Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
 - (i) Indian Institutes of Technology (Rs.191.39 crore);
 - (ii) Indian Institutes of Management (Rs.0.70 crore);
 - (iii) Indian Institute of Science, Bangalore (Rs.30.30 crore);
 - (iv) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai (Rs.1.66 crore);
 - (v) National Institute of Technical Teachers Training and Research (Rs.2.13 crore);
 - (vi) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (Rs.1.00 crore);
 - (vii) Indian School of Mines, Dhanbad (Rs.5.15 crore).
 - 2. Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai (Rs.0.70 crore);
 - 3. National Institutes of Technology (Rs.49.70 crore).

- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ड) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 'क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' योजना के तहत मदरसा को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
 - चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) सरकार द्वारा यथस्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को सहायता अनुदान (6.50 करोड़ रुपए)।
 - चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (छ) 'क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' योजना के तहत (g) Grants-in-aid to State Governments under the scheme' Area राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (18.00 करोड़ रुपए)।
 - चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ज) 'विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमान में सुधार' योजना के तहत, सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनों के कारण राज्यों को देय भारत सरकार की देयता की पूर्ति हेतु, सहायता अनुदान (५९.५३ करोड़ रुपए)।
 - चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid to Madarasa under the scheme' Area Intensive and Madarasa Modernization Programme' for NER (Rs.2.00 crore).
 - As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.6.50 crore).
 - As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- Intensive and Madarasa Modernization Programme' (Rs. 18.00
 - As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (h) Grants-in-aid under the scheme 'Improvement in the Scale of University and College Teachers' to meet Government of India's share of liability payable to States on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.59.53

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)। (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत	Voted:	1497.71	412.33	1910.04
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	238.19		238.19
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required: Voted:	0.03	•••	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1735.96	412.33	2148.29
	भारित	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत	Voted:	1735.93	412.33	2148.26

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2220-सूचना एवं प्रचार	स्वीकृत	2220-Information and Publicity	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गс)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेत् अपेक्षित है :

- (क) "भारत निर्माण" हेतु विकास संचार अभियान के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (27.42 करोड़ रुपए)।
- (ख) साम्प्रदियक सौहार्द्र एवं राष्ट्रीय एकीकरण वृद्धि सम्बन्धी मल्टी मीडिया अभियान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15 करोड़ रुपए)।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा में सुधार हेतु प्रसार भारती को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना (15.64 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध है, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है। The supplementary grants are sought:

- (a) For meeting additional expenditure under Development Communication Campaign for 'Bharat Nirman' (Rs. 27.42 crore).
- (b) For meeting additional expenditure for multimedia Campaign on Communal Harmony and National Integration enhancement (Rs. 15 crore).
- (c) For providing additional grants-in-aid to Prasar Bharati for improvement in Network facility in North Eastern Areas (Rs. 15.64 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 75 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	2368.36	129.65	2498.01
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	117.38	625.00	742.38
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	148.62	2.50	151.12
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2634.38	757.15	3391.53
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	2634.36	757.15	3391.51

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
-मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230-श्रम तथा		2230-Labour and				
रोजगार	स्वीकृत	Employment	Voted:		148.62 (कa)	148.62
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6250-अन्य सामाजिक		6250-Loans for other				
सेवाओं हेतु ऋण	स्वीकृत	Social Services	Voted:	2.50 (खb)		2.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2.50	148.62	151.12
			कता के उपरोक्त अनु र समायोजित किया उ		गई वसूलियां शामि	नेल नहीं हैं, जिन्हें
		Note: The above estimates	nates of additional r reduction of expend	equirements do n	ot include the rec	coveries, which
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
<u>2</u> 230-श्रम तथा		2230-Labour and				
रोजगार	स्वीकृत	Employment	Voted:		(-)14.50	(-)14.50
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6250-अन्य सामाजिक		6250-Loans for other				
सेवाओं हेत् ऋण	स्वीकृत	Social Services	Voted:	(-)2.50		(-)2.50

इस पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grants are required for the following purposes:

(क) (i) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सम्बन्ध में सरकार के अंशदान के हिस्से की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (200 करोतड़ रुपए)।

(a) (i) For meeting additional requirement on Govenment's share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs.200 crore).

- (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन एवं वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए)।
- (iii) केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन एवं पेंशन के लिए वर्धित व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करना (3.00 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के उसी भाग में 68.88 करोड़ रुपए की बचतों तथा श्रम कल्याण निधि के तहत उपकर संग्रहण से प्राप्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले 14.50 करोड़ रुपए के व्यय का उपयोग करने के बाद, इसमें 134.12 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संस्थान प्रबन्धन समिति (आईएमसी) को एक आईटीआई कवर करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को 2.50 करोड़ रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए)। इस प्रस्तावित व्यय की भारतीय लोक लेखा में स्थित "सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि" से प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

- (ii) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling(Rs.14 .50 crore).
- (iii) Release of additional grants-in-aid to Central Board for Workers Education (CBWE) for meeting enhanced expenditure on account of salaries and pension on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government (Rs.3.00 crore).

After utilizing the savings of Rs.68.88 crore within the same section of the Grant and expenditure of Rs.14.50 crore matched by recoveries from cess collection under the Labour Welfare Fund, this will entail a net cash outgo of Rs.134.12 crore.

(b) For providing interest free loan, upto Rs.2.50 crore per Industrial Training Institute(ITI) to Institute Management Committee(IMC) of the concerned ITI for covering one ITI(Rs.2.50 crore). The proposed expenditure will be matched by recoveries from the "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Accounts of India.

चुनाव आयोग ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिए)। (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	15.50		15.50
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1.87		1.87
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1.96		1.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	19.33	•••	19.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2015-चुनाव	स्वीकृत	2015-Elections	Voted:	•••	1.96	1.96

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता आयोग की वेबसाइट के अनुरक्षण और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण सहित निर्वाचन आयोग के संस्थापन सम्बन्धी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on establishment related expenditure of the Election Commission including maintenance of the Commission's website and National voters Awareness Campaign/Training.

This will entail cash outgo.

विधि एवं न्याय

LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)। (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 78 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT				
	स्वीकृत		Voted:	685.84	0.03	685.87
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	208.28		208.28
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	894.14	0.03	894.17

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.01 (কa)	0.01
2052-सचिवालय -		2052-Secretariat -				
सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निन्मलिखित अद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) फरवरी/मार्च, 2009 में अन्तरराष्ट्रीय विधि संघ (आईएलए) के क्षेत्रीय सम्मेलन, 2009 के आयोजन हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए) जारी करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी
- (ख) (i) सांविधिक और संसदीय अध्ययन संस्थान की उसके भवन की ड्राइंग/नक्शे तैयार करने हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए) जारी करने हेत्।
 - (ii) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विधायी विभाग के राजभाषा स्कन्ध को वेतन बकाया राशियों, एल.टी.सी., तथा मानदेय के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय (0.18 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है। The Supplementary grants are required for the following purposes:

- (a) For release of additional grants-in-aid to International Law Association (ILA) for organizing Internal Law Association's Regional Conference 2009 in February/March 2009 (Rs.1.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) For release of additional grants-in-aid to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies for preparation of drawings/maps of the Institute's building (Rs.0.15 crore).
 - (ii) For meeting additional expenditure to Official Language Wing of the Legislative Department on account of salaries, arrears, LTC and honorarium on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.0.18 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.63 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)। (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIA	TION:			
	भारित		Charged:	58.57		58.57
पूरक विनियोगः		SUPPLEMENTARY APPRO	PRIATION:			
	भारित		Charged:	12.41	•••	12.41
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित		Charged:	8.32	•••	8.32
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ntary)			
	भारित		Charged:	79.30	•••	79.30

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	1	REVENUE SECTION	V			
मुख्य शीर्ष	N	MAJOR HEAD				
2014-न्याय	2	2014- Administration of	of			
प्रशासन	भारित	Justice	Charged:		8.32	8.32

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता यात्रा व्यय एवं व्यावसायिक सेवाओं के तहत प्रतिबद्ध देयताओं सम्बन्धी व्यय सिहत भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on account of revision of salaries of Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Judges, officers and staff members of the Supreme Court of India including expenditure on committed liabilities under Travel Expenses and Professional Services.

This will entail cash outgo.

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)। (See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 81 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1931.11	8.31	1939.42
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	53.63	•••	53.63
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	1984.76	8.31	1993.07

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग		2851-Village and Small				
	स्वीकृत	Industries	Voted:	0.01 (कa)		0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी है:

- (क) योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, अर्थात् अन्य प्रशासनिक खर्चों पर गुणवत्ता प्रौद्योगिक सहायता संस्थान और कार्यक्रम (1.64 करोड़ रूपए), सब्सिडियों पर ऋण सम्बद्ध पूंजी योजना (16.85 करोड़ रूपए), ऋण सहायता कार्यक्रम- (i) अंशदान (10.43 करोड़ रूपए), (ii) अनुसूचित उप-आयोजना-अंशदान (13.50 करोड़ रूपए), और (iii) जनजातीय उप-आयोजना-अंशदान (8.25 करोड़ रूपए), और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. को सब्सिडियों पर विपणन सहायता योजना (1.60 करोड़ रूपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई ग्रोथ पोल्स के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजना के लिए प्रावधान बढ़ाना और अंशदान के सम्बन्ध में ऋण सहायता कार्यक्रम। (6.73 करोड़ रूपए) चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) to meet additional expenditure under the schemes viz. Quality of Technology Support Institution and Programme on Other Administrative Expenses (Rs. 1.64 crore), Credit Linked Capital Subsidy Scheme on subsidies (Rs. 16.85 crore), Credit Support Programme- (i) Contribution (Rs. 10.43 crore), (ii) SC Sub Plan- Contribution (Rs. 13.50 crore) and (iii) Tribal Sub Plan- Contribution (Rs. 8.25 crore) and Marketing Assistance Scheme on Subsidies (Rs. 1.60 crore) to National Small Industries Corporation Ltd. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) augmentation of provisions for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in respect of MSME Clusters Development Programme and MSME Growth Poles (Rs.1.55 crore) and Credit Support Programme towards contribution (Rs.6.73 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)। (See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 83 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.14		0.14
	स्वीकृत	Voted:	387.06	51.80	438.86
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	77.02		77.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	26.61		26.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	490.83	51.80	542.63
	भारित	Charged:	0.14		0.14
	स्वीकृत	Voted:	490.69	51.80	542.49

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	1	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	N	MAJOR HEAD				
2853-अलौह खनन	2	2853-Non-ferrous Mining				
तथा धातुकर्मीय		and Metallurgical				
उद्योग	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	26.61	26.61

यह पूरक अनुदान भारतीय भू सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए) एवं भारतीय खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। 35.36 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता में से 8.75 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता में से 8.75 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता में से 8.75 करोड़ रुपए अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा अतः शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है। अनुदान के पूंजी भाग में 11 करोड़ रुपए को लेखे में लेने के बाद जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, इस पूरक अनुदान में 15.61 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs.32 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs.3.36 crore). Out of the total requirement of Rs.35.36 crore, an amount of Rs.8.75 crore will be met from savings available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. After taking into account savings of Rs.11 crore under the Capital Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary Grant will entail net cash outgo of Rs.15.61 crore.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)। (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 85 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	593.89	30.20	624.09
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	3.55	•••	3.55
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03	•••	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	597.47	30.20	627.67
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम	नलिखित मुख्य १	गिर्षों के अन्तर्गत दिख	खाया जाएगा <u>ः</u>	
		II. This Supplementary Grant w	ill be accounted	ed for under the f	following Major	r Heads:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2810-गैर-पारम्परिक		2810- Non-Conventional				
उर्जा स्रोत	स्वीकृत	Sources of Energy	Voted:	0.01 (खb)		0.01
3451-सचिवालय-		3451-Secretariat-Economic				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (गट)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••`	0.03

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैः
- (क) राज्य सरकारों को बायोगैस तथा राष्ट्रीय विकास निधि के तहत राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के लिए पूर्व वर्षों के लेखों के निपटान हेतु व्यय की पूर्ति (7.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्रों को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो तथा राष्ट्रीय जांच प्रत्यायन बोर्ड एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं द्वारा जांच सुविधाओं के प्रत्यायन सम्बन्धी (0.15 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सौर उर्जा केन्द्र के तहत उपस्कर अधिप्राप्ति एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास कार्य (0.20 करोड़ रुपए)।
 - (iii) फोटो वोल्टिक प्रदर्शन एवं तकनीकी के तहत पुरानी वचनबद्ध देयताएं (0.05 करोड़ रुपए)।
 - (iv) विन्ड पम्प कार्यक्रम सहायता के तहत पुरानी वचनबद्ध देयताएं (0.85 करोड़ रुपए)।
 - (v) शहरी एवं कृषि मलबा (नगर मलबा) उर्जा के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (0.30 करोड़ रुपए) का संवितरण।
 - (vi) अरुणा चल प्रदेश की राज्य सीमा पर स्थित सभी गाँवों को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के तहत सौर विद्युत एवं लघु पनविद्युत परियोजनाओं को बिजली प्रदान करना (25.00 करोड़ रुपए)।
- (ग) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्धित वेतन के लिए अतिरिक्त निधियाँ (1.88 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grants are sought for:

- (a) Meeting expenses for settlement of accounts of previous years to the State Governments (Rs.7.00 crore) for National Project on Bio-Gas Development under the Biogas and National Development Fund.
- (b) (i) Regional Test Centres (Rs.0.15 crore) on accreditation of test facilities by the National accreditation bodies such as Bureau of Indian Standards and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.
 - (ii) Procurement of equipment and other R&D works under Solar Energy Centre (Rs.0.20 crore).
 - (iii) Old committed liabilities (Rs.0.05 crore) under Photovoltaic Demo & Tech.
 - (iv) Old committed liabilities (Rs.0.85 crore) under Assistance to Wind Pump Programme.
 - (v) Disbursement for R&D Projects (Rs.0.30 crore) under Energy from Urban & Agricultural Wastes (Municipal Wastes).
 - (vi) Providing electricity through Solar power as well as small hydro power projects (Rs.25.00 crore) under the package announced by the Prime Minister to all villages along the state border of Arunachal Pradesh.
- (c) Additional funds (Rs.1.88 crore) on account of enhanced salary on implementation of Sixth Pay Commission recommendations.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

प्रवासी भारतीय कार्य मन्त्रालय MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)। (See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 86 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	55.00	10.00	65.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1.38		1.38
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)	56.40	10.00	66.40

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य		2052-Secretariat General				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.01 (কa)	0.01
2061-विदेशी		2061-External				
मामले	स्वीकृत	Affairs	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान अपेक्षित है:-

- (क) 'उत्प्रवासी महासंरक्षक' के कार्यालय का संस्थापन (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्य (0.01 करोड़ रुपए) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) संबंधी व्यय।
- (ख) निम्नलिखित के संबंध में व्ययः अन्य योजनाओं की योजना के तहत 'अन्य प्रभार' (0.10 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय नागरिकता (1.60 करोड़ रुपए), 'भारत को जानिए' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), प्रवासी बाल छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), प्रवासी बच्चों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना (0.02 करोड़ रुपए), जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), भारत विकास संस्थान (0.10 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (0.95 करोड़ रुपए), प्रवासी मजदूर संसाधन केन्द्र (0.25 करोड़ रुपए), प्रवासी मजदूर संसाधन केन्द्र (0.25 करोड़ रुपए), प्रवासी मजदूरों का प्रस्थान पूर्वाभिमुखीकरण और दक्षता उन्नयन (5.00 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय केन्द्र (0.50 करोड़ रुपए) तथा एनआरआई विवाह से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता (0.02 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is sought for:-

- (a) Expenditure on establishment (Rs. 3.57 crore), Minor Works (Rs. 0.01 crore) and Information Technology (Rs. 0.78 crore) of the Office of "Protector General of Emigrants" (PGE).
- (b Expenditure towards 'Other Charges' under the schemes of Other Schemes (Rs. 0.10 crore), Overseas Citizenship of India (Rs.1.60 crore), Know India Programme (Rs.0.80 crore), Scholarship Schemes for Diaspora Children (Rs.3.08 crore), Promotion of Cultural ties with Diaspora Children (Rs. 0.02 crore), Awareness Campaign/Media Plan (Rs.7.23 crore), Indian Development Foundation (Rs. 0.10 crore), Overseas Indian Facilitation Centre (Rs. 0.95 crore), Overseas Workers Resource Centre (Rs.0.25 crore), Pre-Departure Orientation and Skill Up-gradation of Emigrant Worker (Rs.5.00 crore), Overseas Indian Centres (Rs.0.50 crore), Setting up Council for Promotion of Overseas Employment (Rs.0.50 crore) and Legal Assistance to women facing problems in NRI Marriage (Rs.0.02 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought in each case.

पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)। (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 87 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	4780.50	•••	4780.50
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.74	•••	0.74
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	4781.25	•••	4781.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान की मांग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना के अतिरिक्त व्यय (11.85 करोड़ रूपए) और कार्रवाई अनुसंधान तथा अनुसंधान अध्ययन (1 करोड़ रूपए) के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana (Rs. 11.85 crore) and Action Research and Research Studies (Rs. 1 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिए)। (See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 89 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:	8.27	9.00	17.27
	स्वीकृत	Voted:	378.72	47.01	425.73
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	4.45		4.45
	स्वीकृत	Voted:	142.55		142.55
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
-	भारित	Charged:	0.18		0.18
	स्वीकृत	Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	534.17	56.02	590.19
	भारित	Charged:	12.90	9.00	21.90
	स्वीकृत	Voted:	521.27	47.02	568.29

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative	;			
सेवाएं	भारित	Services	Charged:		0.18 (कa)	0.18
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर		4059-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	0.19	0.19
	भारित		Charged:		0.18	0.18
	स्वीकृत		Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः

The supplementary grant/appropriation is required for :

व्यय।

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विज्ञापन तथा प्रचार से सम्बद्ध स्थापना (a) establishment expenditure relating to Advertising and Publicity of Central Vigilance Commission.

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समकक्ष राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

करोड़ रुपए)।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय हेतु भूमि खरीद (0.72 (b) purchase of land for North Eastern Region office of the Staff Selection Commission (Rs.0.72 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 90 देखिए)। (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2938.00	•••	2938.00
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	65944.54	•••	65944.54
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	10000.00	242.47	10242.47
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	78882.54	242.47	79125.01

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
				Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2802-पेट्रोलियम	स्वीकृत	2802- Petroleum	Voted:		10000.00(কa)	10000.00	
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	•••	10000.00	10000.00	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी		4802- Capital Outlay on					
व्यय	स्वीकृत	Petroleum	Voted:		242.47(खb)	242.47	
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section		•••	242.47	242.47	
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted	•••	10242.47	10242.47	
		टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
		Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					

8012- Special Deposits and

Accounts

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:-

8012-विशेष जमा और

- (क) (i) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में तेल-विपणन कम्पनियों की विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (10,000 करोड़ रुपए), और
 - (ii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल) के एपीएम अविध संबंधी आकास्मिक देयता दावों के निपटान हेतु (10.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों और प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों में तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश (242.47 करोड़ रुपए) हेतु। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी और इसमें नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:-

(a) (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs.10,000 crore), and

(-)10000.00

(-)10000.00

(ii) Settlement of contingent liability claims of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) pertaining to APM period (Rs. 10.30 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant and also taking into account the receipts, there shall be no cash outgo.

(b) Additional equity investment (Rs.242.47 crore) in the bonus shares issued by Gas Authority of India Ltd. (GAIL) This will be matched by receipts and shall not entail cash outgo.

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 92 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 92 of First Supplementary Demands for Grants and page 11 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	6089.20	306.56	6395.76
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	29.80	103.00	132.80
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	2.05	0.01	2.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	6121.05	409.57	6530.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2801-Power	Voted:	2.04 (কa)	0.01 (खb)	2.05
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 4801-विद्युत परियोजना पर पुंजी परिव्यय	स्वीकृत	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4801-Capital Outlay for Power Projects	Voted:	0.01 (गट)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2.05	0.01	2.06

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित हेतु है:

- (क) (i) टिहरी-पन बिजली विकास निगम लिमिटेड को विष्णुगढ़ पिपाकोटी विद्युत परियोजना के अध्ययन हेतु जापान नीति तथा मानव संसाधन विकास निधि के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की प्रतिपूर्ति (2.04 करोड़ रुपए)।
 - (ii) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता इनाम तथा चित्रकला प्रतिस्पर्धा योजना (18.70 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 18.70 करोड़ रुपए की बचतें और 2.04 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) पेंशन निधि को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन के रंगानदी पन विद्युत के चरण को इक्विटी में परिवर्तन के समय पूर्व समायोजन हेतु (36.10 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होना, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। ांकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary is sought for :-

- (a) (i) Reimbursement of aid received from World Bank under Japan Policy and Human Resource Development Fund (PHRD) to Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC) for studies for Vishnugad Pipakoti Hydro Electric Project (Rs. 2.04 crore).
 - (ii) Scheme of Energy Conservation Awareness Awards and Painting Competition (Rs. 18.70 crore).

Taking into account savings of Rs. 18.70 crore within Revenue Section of the grant and receipts of Rs. 2.04 crore, there will be no cash outgo.

- (b) To provide Grants-in-aid to the National Power Training Institute (NPTI) for strengthening of Pension Fund (Rs. 2.22 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For carrying out prior period adjustment of conversion of loan into equity (Rs. 361.10 crore) of Ranganadi Hydro Electric Power of North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.75 विनियोग (APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)। (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 93 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:	•			
	भारित	Char	rged:	20.00		20.00
पुरक विनियोगः		SUPPLEMENTARY APPROPRIA	TION:			
ci .	भारित	Char	rged:	3.08		3.08
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित	Char	rged:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)				
	भारित	Char	rged:	23.09	•••	23.09

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/	2012-President, Vice-President/				
राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों	Governor, Administrator				
के प्रशासक	of Union Territories				
	भारित	Charged:	•••	0.01	0.01

इस पुरक विनियोग की आवश्यकता माननीया राष्ट्रपति महोदया द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है (0.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary appropriation is required for meeting जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को दिए जाने वाले दान के सम्बन्ध में अनुदानों पर additional expenditure on grants towards donations by Hon'ble President to needy poor persons (Rs.0.30 crore).

> As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक सभा LOK SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)। (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 94 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	e Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged	<i>l</i> : 0.44		0.44
	स्वीकृत	Voted	1: 323.49		323.49
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted	1: 24.89		24.89
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged	l: 0.20		0.20
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	349.02	•••	349.02
	भारित	Charged	<i>l</i> : 0.64		0.64
	स्वीकृत	Voted	1: 348.38		348.38

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	R	EVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	N	IAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/	2	011- Parliament/State/				
संघ राज्य क्षेत्र		Union Territory				
विधान सभाएं	भारित	Legislatures	Charged:		0.20	0.20

इस पूरक विनियोग की अपेक्षा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के सम्बन्ध में घरेलू यात्राओं के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for expenditure on travel in respect of the Speaker and the Deputy Speaker, Lok Sabha.

As an equivalent amount shall be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिए)। (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 95 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.59		0.59
	स्वीकृत	Voted:	113.98		113.98
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	10.28		10.28
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.35		0.35
	स्वीकृत	Voted:	7.58	•••	7.58
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	132.78	•••	132.78
	भारित	Charged:	0.94		0.94
	स्वीकृत	Voted:	131.84		131.84

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/	2011 - Parliament/State/				
संघ राज्य क्षेत्रों के	Union Territory				
विधान मंडल	Legislatures				
	भारित	Charged:		0.35 (কa)	0.35
	स्वीकृत	Voted:		7.58 (खb)	7.58

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) दिनांक 1.1.2006 से अध्यक्ष, राज्य सभा के वेतन के संशोधन और अध्यक्ष के अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure on account of revision of salary of the Chairman, Rajya Sabha, w.e.f. 1.1.2006 and Other Administrative Expenses of the Chairman. This will entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

संख्या NO.78 (विनियोग) (APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 तथा अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिए)। (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
भारित	Charged:	77.81		77.81
	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
भारित	Charged:	11.54		11.54
	Supplementary Estimate of			
	the amount now required:			
भारित	Charged:	6.34	•••	6.34
	Total (Original plus Supplementary)			
भारित	Charged:	95.69	•••	95.69
	भारित	भारित Charged: SUPPLEMENTARY APPROPRIATION: भारित Charged: Supplementary Estimate of the amount now required: भारित Charged: Total (Original plus Supplementary)	Revenue I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित Charged: 77.81 SUPPLEMENTARY APPROPRIATION: भारित Charged: 11.54 Supplementary Estimate of the amount now required: भारित Charged: 6.34 Total (Original plus Supplementary)	I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित Charged: 77.81 SUPPLEMENTARY APPROPRIATION: भारित Charged: 11.54 Supplementary Estimate of the amount now required: भारित Charged: 6.34 Total (Original plus Supplementary)

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2051-लोक सेवा आयोग	भारित	2051-Public Service Commission	Charged:		6.34	6.34

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यन्वयन पर वेतनों और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस का भुगतान, दि.9.1.2009 के राजपत्र अधिसूचना के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वर्धित वेतन/बकायों के भुगतान तथा आयोग द्वारा आयोजित की गयी परीक्षाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting expenditure on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and payment of bonus based on enhanced ceiling, payment of enhanced salaries/arrears to the Chairman/Members, Union Public Service Commission consequent upon the Gazette Notification dated 9.1.2009 and for examinations conducted by the Commission.

This will entail cash outgo.

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ ९७ देखिए)।

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 97 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1.69		1.69
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.30	•••	0.30
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.06		0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	y)			
	स्वीकृत		Voted:	2.05	•••	2.05

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2012-राष्ट्रपति, उप-		2012-President, Vice-				
राष्ट्रपति, राज्यपाल,		President, Governor,				
संघ राज्य क्षेत्र		Administrator of				
के प्रशासक	स्वीकृत	Union Territories	Voted:		0.06	0.06

यह पूरक अनुदान उपराष्ट्रपति के आवास और सचिवालय परिसरों में गया है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional स्वच्छता संबंधी संविदात्मक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा expenditure on contractual services in the Vice President's House and Secretariat premises towards sanitation.

This will entail cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 98 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 98 of first Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 12 of second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	51569.81	0.50	51570.31
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	39360.57		39360.57
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.04	•••	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementar	y)Voted:	90930.42	0.50	90930.92

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवास निर्माण	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	0.01 (কa)		0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	0.01 (खb)		0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत	2515-Other Rural Develop-				
कार्यक्रम		ment Programmes	Voted:	0.01 (गc)		0.01
3054-सड़क और पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.01 (ਬd)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	•••	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) ग्रामीण आवास निर्माण के तहत इन्दिरा आवास योजना पर अतिरिक्त व्यय (1.67 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय (194.84 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत्।
- (ग) डीआरडीए प्रशासन पर अतिरिक्त व्यय (42 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर अतिरिक्त व्यय (232.64 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) for meeting the additional expenditure on Indira Awaas Yojana (Rs.1.67 crore) under Rural Housing;
- (b) for meeting the additional expenditure on National Rural Employment Guarantee Schemes (Rs.194.84 crore);
- (c) for meeting the additional expenditure on DRDA Administration (Rs.42 crore); and
- (d) for meeting the additional expenditure on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs.232.64 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 103 देखिए)। (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 103 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	e Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Chargea	<i>d</i> : 0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted	d: 1723.48	66.90	1790.38
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted	d: 118.15		118.15
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted	d: 0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1841.67	66.91	1908.58
	भारित	Chargea	d: 0.02	•••	0.02
	स्वीकृत	Voted	d: 1841.65	66.91	1908.56

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण		5425-Capital Outlay on other				
संबंधी अनुसंधान पर पूँजी		Scientific and Environmen	tal			
परिव्यय स्व	वीकृत	Research	Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक) स्व	वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान हेत मांगा गया है:

- (क) (i) 1:10000 के मापक्रम में नई मानचित्र श्रृंखला हेतु भारतीय सर्वेक्षण को (10 करोड़ रुपए), (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (6 करोड़ रुपए), (iii) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम; उपस्कर विकास कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन हेतु (8 करोड़ रुपए), (iv) राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को अतिरिक्त सहायता (4 करोड़ रुपए) और (v) सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्जैक्शन्स एंड सिक्योरिटी चेन्नई के तहत सूचना सुरक्षा और बीज लेखन विज्ञान के लिए उन्नत सुविधा और सिनर्जी परियोजनाओं के तहत डेवलपमेंट ऑफ क्वाटम वेल इन्फ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स ऐरे के लिए (8 करोड़ रुपए)।
- (ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों के लिए भारतीय सर्वेक्षण को (1.10 करोड़ रुपए)।
- (ग) मरम्मत सहित प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण के (3 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उन्हीं भागों में बचतों उपलब्ध है; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant is sought for additional grants-inaid to:

- (a) (i) Survey of India for new map series in the scale of 1:10000 (Rs.10 crore), (ii) Science and Technology Entrepreneurship Development Programme (Rs.6 crore), (iii) Technology Development Programme for Natural Resources Data Management System, Instrument Development Programme and Disaster Management (Rs.8 crore), (iv) additional assistance to various State Councils for Science and Technology Programme (Rs.4 crore) and (v) for the Advanced Facility for Information Security and Cryptology under the Society for Electronics Transactions and Security, Chennai and development of 'Quantum Well Infrared Photo Detectors' array under Synergy Projects (Rs.8 crore).
- (b) Survey of India for two Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad (Rs.1.10 crore).
- (c) Survey of India for major works including repairs (Rs.3 crore).

As savings are available within the same sections of the Grant, token supplementaries are sought.

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 104 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 104 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2071.40	6.60	2078.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	207.09	•••	207.09
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	114.91	•••	114.91
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	2393.40	6.60	2400.00

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451-Secrretariat-				
	स्वीकृत	Economic Services	Voted:		0.74 (কa)	0.74
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (खb)	114.16 (чс)	114.17
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	114.90	114.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (38 करोड़ रुपए) और बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिक प्रबंधन (5 करोड़ रूपए) को सहायता अनुदान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंघान परिषद् (142 करोड़ रूपए) और राष्ट्रीय प्रयोगशाला (202 करोड़ रूपए) को वेतन और पेंशन सहायता संबंधी सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 229.84 करोड़ रूपए की बचतों के समायोजन और पूंजी भाग से 2.00 करोड़ रूपए की बचतों के अभ्यर्पण के पश्चात, इसमें 112.16 करोड़ रूपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

- (a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (b) providing grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure of National Laboratories (Rs.38 crore) and Intellectual Property and Technology Management (Rs.5 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing grants-in-aid on account of salaries and pension assistance to Council for Scientific and Industrial Research (Rs.142 crore) and National Laboratories (Rs.202 crore). After adjusting savings of Rs. 229.84 crore available within the same section of the Grant and surrender of savings of Rs. 2 crore from Capital Section, this will entail a net cash outgo of Rs. 112.16 crore.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 105 देखिए)। (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 105 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	919.00		919.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	12.32		12.32
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	931.33	•••	931.33

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान की मांग (i) स्नाकोत्तर शिक्षण से सम्बद्ध जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और शिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीआईटीपी) के कार्यान्वयन और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण (6 करोड़ रुपए) तथा (ii) निधिपोषित अनुमोदित परियोजनाओं सम्बन्धी पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the grants-in-aid under (i) Biotechnology Education and Training Programme for Post Graduation Teaching, Implementation of Biotechnology Industrial Training Programme (BITP) and strengthening of various universities (Rs.6 crore) and (ii) Environmental Biotechnology Programme for funding approved projects (Rs.3 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पोत परिवहन विभाग

DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 106 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 106 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT				
	स्वीकृत	Vot	ted:	1052.51	415.24	1467.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Vot	ted:	17.20	1.30	18.50
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vot	ted:	0.04	0.02	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)			
	स्वीकृत	Vot	ted:	1069.75	416.56	1486.31

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (কa)		0.01
3051-पोत और दीप		3051-Ports and Light				
स्तम्भ	स्वीकृत	Houses	Voted:		0.01 (खb)	0.01
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:		0.01 (गट)	0.01
3451- सचिवालय -		3451-Secretariat -				
ं आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	•••	0.01 (ঘd)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.03	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इन्जीनियरिंग वस्तुओं		4858-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Engineering				
	स्वीकृत	Industries	Voted:	0.01 (ਵe)	•••	0.01
5051-पत्तन तथा दीप स्तम्भों		5051-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Ports and Light Houses	Voted:	0.01 (ਬf)	•••	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.03	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेत् मांगा गया है:-

- (क) पोत परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) हिन्दिया चैनल के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए (31.19 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (1.90 करोड़ रुपए) और नवसृजित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure on account of computerisation in the Department of Shipping (Rs.0.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For providing additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust for Haldia Channel (Rs. 31.19 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For providing additional Grants-in-aid to Indian Institute of Maritime Studies (Rs.1.90 crore) and Grants-in-aid to the newly

- को सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) सेतुसमुद्रम शिप केनाल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कोर्ट केस के समर्थन हेतु (d) To meet the cost of Professional Services towards lawyers' अधिवक्ताओं के शुल्क हेतु व्यावसायिक सेवाओं की लागत की पूर्ति हेतु (2.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ड) पोत निर्माण उद्देश्यों हेतु 70 टन एलएल क्रेन की अधिप्राप्ति लागत की पूर्ति हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निवेश (10.90 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सिविल निर्माण कार्यों आदि (f) की अतिरिक्त लागत (9.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- created Indian Maritime University (Rs.1.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- fees, etc., for defending the court case in respect of Sethusamudram Ship Canal Project (Rs.2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Towards investment in Hindustan Shipyard Ltd., for meeting procurement cost of 70 Tonne LL Crane for shipbuilding purposes (Rs 10.90 crore). As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.
- To meet additional cost of civil works, etc., (Rs.9.00 crore) in respect of Indian Maritime University. As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 107 तथा वर्ष 2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 107 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.50	7.00	7.50
	स्वीकृत	Voted:	12956.73	13346.26	26302.99
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	513.22	500.00	1013.22
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.30	3.84	4.14
	स्वीकृत	Voted:	454.28	49.50	503.78
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	13925.03	13906.60	27831.63
	भारित	Charged:	0.80	10.84	11.64
	स्वीकृत	Voted:	13924.23	13895.76	27819.99

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054-सड़कें एवं पुल		3054-Roads and Bridges				
	स्वीकृत		Voted:	•••	212.41 (কa)	212.41
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.72 (खb)	0.72
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान		State Governments				
	भारित		Charged:		0.30 (чс)	0.30
	स्वीकृत		Voted:	•••	241.15 (ਬd)	241.15
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section		•••	454.58	454.58
	भारित		Charged:		0.30	0.30
	स्वीकृत		Voted:		454.28	454.28
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552-पूर्वीत्तर क्षेत्रों पर		4552-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	North Eastern Areas	Voted:	5.00 (ਵe)	•••	5.00
5054-संड़कों एवं पुलों पर		5054-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय		Roads and Bridges				
	भारित		Charged:	3.64 (चf)	0.20 (vg)	3.84
	स्वीकृत		Voted:		44.50 (जh)	44.50
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section		8.64	44.70	53.34
	भारित		Charged:	3.64	0.20	3.84
	स्वीकृत		Voted:	5.00	44.50	49.50
जोड़ (पूरक)	-	Total (Supplementary)		8.64	499.28	507.92
	भारित		Charged:	3.64	0.50	4.14
	स्वीकृत		Voted:	5.00	498.78	503.78

आयोजना Plan आयोजना-भिन्न Non-Plan जोड़ Total

-50.50

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5054-सड़कों एवं पुलों पर पंजी परिव्यय

CAPITAL SECTION
MAJOR HEAD

5054-Capital Outlay on Roads and Bridges

annronriation is sought for t

-50.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :

- (क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क स्कंध (156.44 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क स्कंध (30.32 करोड़ रुपए) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य; (ii) सामरिक महत्व और सीमा सड़क अनुरक्षण कार्य (0.11 करोड़ रुपए); तथा (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों हेतु सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए)। उसी मुख्य शीर्ष में उपलब्ध 0.50 करोड़ रुपए की बचत तथा पूंजी (स्वीकृत) भाग से 50.50 करोड़ रुपए की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें 161.91 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.72 करोड़ रुपए)। चूंकि 5.00 करोड़ रुपए की बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः इसमें 0.72 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु (0.30 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सड़क कार्य (227.89 करोड़ रुपए); (ii) सड़क अनुरक्षण और मरम्मत कार्य (0.84 करोड़ रुपए); (iii) सुरक्षा आवरण (11.73 करोड़ रुपए); तथा (iv) एयरलिफ्ट प्रभार (0.69 करोड़ रुपए) इसमें नकद व्यय होगा।
- (ड) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में "पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" के तहत कवर न की गई सड़क विस्तारों के सम्बन्ध में सड़क विकास कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6.00 करोड़ रुपए)। चूंकि 1.00 करोड़ रुपए की बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः इसमें 5.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (च) वाराणासी मुगलसराय बाइपास के सम्बन्ध में पिरिनिर्णय के भुगतान हेतु (3.64 करोड़ रुपए)। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) न्यायालयीन मामलों/न्यायाधिकरण निर्णयों में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ज) राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्यों पर वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (44.50 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure on (i) Maintenance and repairs of national highways undertaken by Roads Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Roads Wing (Rs. 30.32 crore); (ii) Strategic & Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore); and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Roads Development Board in Bhutan (Rs. 26.04 crore). After taking into account savings of Rs. 0.50 crore available in the same major head and enhanced recoveries of Rs. 50.50 crore from Capital (Voted) Section, this will entail a net cash outgo of Rs.161.91 crore.
- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations (Rs. 5.72 crore). As saving of Rs. 5.00 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo Rs. 0.72 crore.
- (c) For payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case (Rs. 0.30 crore). This will entail cash outgo.
- (d) For meeting additional expenditure on (i) road works undertaken by Border Roads Development Board (Rs. 227.89 crore); (ii) Maintenance and repairs of Road (Rs. 0.84 crore); (iii) Security cover (Rs. 11.73 crore); and (iv) Air lift charges (Rs. 0.69 crore). This will entail cash outgo.
- (e) For meeting additional expenditure on account of Road Development works in the North Eastern Region and Sikkim in respect of road stretches not covered under the "Special Accelerated Road Development Programme in the North East" (Rs. 6.00 crore). As saving of Rs. 1.00 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo Rs. 5.00 crore.
- (f) For payment of arbitral award in respect of Varanasi Mughalsarai Bypass (Rs. 3.64 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Voted Section of the grant, the supplementary will not entail cash outgo.
- (g) For payment of compensation in Cases of Court/Tribunal Verdicts. This will entail cash outgo.
- (h) For meeting committed expenditure on development works of National Highways (Rs. 44.50 crore). This will entail cash outgo.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 108 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 108 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2320.00	139.00	2459.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	12.72		12.72
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	3.30	9.00	12.30
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	2336.02	148.00	2484.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 Ian	rton-i ian	Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति,		2225-Welfare of Scheduled				
अनुसूचित जनजाति,		Castes, Scheduled				
तथा अन्य पिछड़ा वर्ग		Tribes and other				
का कल्याण	स्वीकृत	Backward Classes	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security				
एवं कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted:		3.28 (чc)	3.28
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	3.29	3.30
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
४२३५-सामाजिक सुरक्षा		4235-Capital Outlay on				
तथा कल्याण पर		Social Security				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Welfare	Voted:	9.00 (घd)		9.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	9.01	3.29	12.30

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृति (12.94 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान (0.31 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक की मांग की गई है।
- (ग) द्विपक्षीय समझौतों के तहत शुल्क मुक्त प्रेषण के संचालन समाशोधन योजना में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि 0.52 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें 3.28 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (घ) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को अतिरिक्त इक्विटी जारी करने हेतु। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा

This Supplementary Grant is sought for:

- (a) Grants-in-aid to Rajiv Gandhi National Fellowship (Rs.12.94 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes (Rs.0.31 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For the scheme of Handling Clearance of duty free consignment under Bilateral Agreements (Rs.3.80 crore). As savings of Rs. 0.52 crore are available in the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs. 3.28 crore.
- (d) For releasing additional equity to the National Handicapped Finance and Development Corporation. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90वर्ष 2008-09 के पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 111 देखिए)। (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 111 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1874.72	24.28	1899.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	56.89	•••	56.89
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1931.62	24.28	1955.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3454-जनगणना सर्वेक्षण		3454-Census Surveys and				
और सांख्यिकी	स्वीकृत	Statistics	Voted:		0.01	0.01

ये पूरक अनुदान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अपेक्षित है । (4.78 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान की उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for release of grants-in-aid to Indian Statistical Institute, Kolkata (Rs. 4.78 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 112 देखिए)। (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 112 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	104.02	15.50	119.52
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2.88		2.88
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	400.20	252.05	652.25
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	507.10	267.55	774.65

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		400.20 (कa)	400.20
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4852-लौह और इस्पात उद्योगों		4852-Capital Outlay on Iron				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Steel Industries	Voted:	0.01 (खb)	252.04 (गc)	252.05
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	652.24	652.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. के स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. के साथ विलयन के पश्चात कम्पनी के अनुमोदित वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन के भाग के रूप में आवश्यक लेखा समायोजनों, जैसे आयोजना-भिन्न ऋण (175.46 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना और इक्विटी (226.04 करोड़ रुपए) को कम करके दिखाना को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 1.30 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं अतः शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। चूँकि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों के द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा;
- (ख) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. के अनुमोदित पूँजी पुनर्व्यवस्थापन के भाग के रूप में आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे भारत सरकार ऋण (16.50 करोड़ रुपए) के इक्विटी में रूपांतरण और समतुल्य राशि के 7 प्रतिशत गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मोचन के संबंध में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी (12.05 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु; और
- (ग) एनएमडीसी लि. द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों (260.04 करोड़ रुपए) के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु। चूँकि अनुदान के पूँजी भाग में 8 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। इसकी प्रतिपूर्ति पूँजी प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) for carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of Non-Plan loan (Rs.175.46 crore) and write down of equity (Rs.226.04 crore) in respect of Bharat Refractories Ltd., as part of approved financial restructuring of the company following its merger with the Steel Authority of India Ltd. As savings of Rs.1.30 crore are available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo;
- (b) for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs.16.50 crore) into equity and fresh issue of fully paid up equity (Rs.12.05 crore) towards redemption of 7% non-cumulative preference shares of equivalent amount, as part of approved capital restructuring of Bharat Refractories Ltd., a token supplementary is sought for this purpose; and
- (c) additional equity investment in the form of bonus shares (Rs.260.04 crore) issued by the NMDC Ltd. As savings of Rs.8 crore are available within the Capital Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. As this will be matched by Capital Receipts, there will be no cash outgo.

कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 113 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 15 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
स्ट	वीकृत		Voted:	3064.53	258.98	3323.51
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्ट	वीकृत		Voted:	1645.05	0.01	1645.06
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
स्ट	वीकृत		Voted:	955.24	107.43	1062.67
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)	5664.82	366.42	6031.24

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 1411	Non-1 lan	Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)		0.01
2851-ग्रामीण तथा लघु	स्वीकृत	2851-Village and Small				
उद्योग		Industries	Voted:	0.01 (खb)	17.45 (गc)	17.46
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	14.76 (ਬd)	908.01 (इ.e)	922.77
3601-राज्य सरकारों को	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान		State Governments	Voted:	•••	15.00 (चf)	15.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	14.78	940.46	955.24
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर	स्वीकृत	4860-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय		Consumer Industries	Voted:		0.01 (ছg)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों	स्वीकृत	6860-Loans for Consumer				
हेतु ऋण		Industries	Voted:	•••	107.42 (जh)	107.42
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	•••	107.43	107.43
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	14.78	1047.89	1062.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजना (5.17 करोड़ रुपए), विविधीकृत हथकरघा विकास योजना (0.85 करोड़ रुपए), कल्याण और अन्य योजना (11.93 करोड़ रुपए), रेशम उद्योगों का विकास (6 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (6 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पूर्वोत्तर तथा सिक्किम लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत निधियों की बढ़ोतरी के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(a) for augmentation of funds under lumpsum provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in order to meet the additional expenditure on Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (Rs. 5.17 crore), Diversified Handloom Development Scheme (Rs. 0.85 crore), Welfare and other Scheme (Rs. 11.93 crore), Development of Silk Industries (Rs. 6 crore) and National Institute of Fashion Technology (Rs. 6 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन (2.77 करोड़ रुपए), मिल गेट मूल्य योजना (4.59 करोड़ रुपए), केन्द्रीय रेशम बोर्ड (10 करोड़ रुपए) और पावरलूम उद्योग (2 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक प्रक मांगा गया है।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान (17.45 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) निरीक्षण समिति की विद्यार्थियों की वर्धित संख्या की आवश्यकता की पूर्ति सम्बन्धी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु निफ्ट केन्द्र में मौजूदा आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पर अतिरिक्त व्यय (40 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 25.24 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 14.76 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक मांग गया ह, इसमें नकद व्यय होगा।
- (ड.) (i) ब्रिटिश इंडिया कोरपोरेशन लि. के सम्बन्ध में कम्पनी के अनुमोदित पूंजी पुनर्संचना के भाग के रूप में दि. 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार आवश्यक लेखांकन समायोजनों का निष्पादन अर्थात् ब्याज माफी (390.80 करोड़ रुपए)। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा समतुल्य किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा; और
 - (ii) ऊन अनुसंधान संघ को बाजार समर्थन प्रचालन और अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.71 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय कपास निगम (508.90 करोड़ रुपए) और भारतीय पटसन निगम (6.60 करोड़ रुपए) की सब्सिडी। इसमें 517.21 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (च) संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दर के अनुदान हेतु योजना पर अतिरिक्त व्यय (15 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (छ) ब्रिटिश इंडिया कोरपोरेशन लि. के सम्बन्ध में अनुमोदित पूंजी पुनर्संचना आयोजना के भाग के रूप में आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात् दि. 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण को इक्विटी में बदलने जैसे आवश्यक लेखांकन समायोजन को निष्पन्न करने के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ज) बकाया वेतन तथा मजदूरी के भुगतान हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम को संसाधन अन्तराल की पूर्ति हेतु (144.99 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत 37.57 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 107.42 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

- (b) to meet the additional expenditure on Design and Technical Upgradation (Rs. 2.77 crore), Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.59 crore), Central Silk Board (Rs. 10 crore) and Powerloom Industries (Rs. 2 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) grants-in-aid (Rs. 17.45 crore) to Central Silk Board to meet the additional expenditure on salaries on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (d) to meet the additional expenditure on National Institute of Fashion Technology (NIFT) (Rs. 40 crore) towards upgradation of existing infrastructure at NIFT centre for implementation of Oversight Committee's recommendations for meeting the requirement of enhanced number of students. As savings of Rs. 25.24 crore are available within the same Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of Rs. 14.76 crore. This will entail a cash outgo.
- (e) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of interest (Rs. 390.80 crore) as on 31.12.2001 in respect of British India Corporation Ltd., as part of approved capital restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo; and
 - (ii) subsidy to Cotton Corporation of India (Rs. 508.90 crore) and Jute Corporation of India (Rs. 6.60 crore) to meet the additional expenditure on Market Support Operation and additional grants-in-aid (Rs. 1.71 crore) to Wool Research Association. This will entail a cash outgo of Rs. 517.21 crore.
- (f) to meet the additional expenditure (Rs. 15 crore) on the scheme for grant of special rebate at the rate of 10% on sale of accumulated handloom stock. This will entail cash outgo.
- (g) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs. 249.62 crore) as on 31.12.2001 into equity in respect of British India Corporation Ltd., as part of approved capital restructuring plan of the company.
- (h) to meet the gap-in-resouces of National Textile Corporation (Rs. 144.99 crore) towards payment of outstanding salaries and wages. As savings of Rs. 37.57 crore is available within the Capital Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of Rs. 107.42 crore. This will entail net cash outgo.

पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 115 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 115 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	486.00	561.00	1047.00	
पूरक अनुदान	_	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	5.70		5.70	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	0.01	12.00	12.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)				
•	स्वीकृत		Voted:	491.71	573.00	1064.71	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	0.01(कa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5452-पर्यटन पर पूंजी		5452-Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	Tourism	Voted:	12.00 (खb)		12.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	12.01	***	12.01

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगे गए हैं:
- (क) इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल नैनेजमेंट (आईएचएम)/फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (एफसीआई)/इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिजम एंड मैनेजमेंट (आईआईटीटीएम)/नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी (एनसीएचएमसीटी) को सहायता के अंतर्गत चालू योजनाओं/परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है (12 करोड़ रुपए)।
- (ख) गन्तव्यों और सर्किटों के उत्पाद/ढांचागत विकास के अंतर्गत चालू योजनाऐं/परियोजनाऐं अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 11.32 करोड़ रुपए की बचतों के उपयोग के पश्चात् शेष राशि की पूर्ति अनुदान के राजस्व भाग से 12.00 करोड़ रुपए अभ्यर्पित करके की जाएगी। अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are sought for;

- (a) Central Financial Assistance for on-going schemes/ projects under assistance to Institutes of Hotel Management (IHMs)/Food Craft Institute (FCI)/India Institute of Tourism & Travel Management (IITTM)/ National Council of Hotel Management Catering Technology (NCHMCT). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought (Rs. 12 crore).
- (b) Ongoing schemes/projects under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits. After utilising savings of Rs.11.32 crore within the same Section of the Grant, balance amount will be met by surrendering Rs.12.00 crore from the Revenue section of the Grant. Hence, there will be no cash outgo.

जनजातीय कार्य MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 116 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 116 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1820.49		1820.49
	स्वीकृत	Voted:	263.05	50.01	313.06
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4.27		4.27
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.01		0.01
	स्वीकृत	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2087.83	50.01	2137.84
	भारित	Charged:	1820.50		1820.50
	स्वीकृत	Voted:	267.33	50.01	317.34

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		1 Ian	Non-1 lan	iotai
2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित		2225-Welfare of Scheduled				
जनजाति और अन्य		Castes, Scheduled Tribe	S			
पिछड़े वर्गों		and Other Backward				
का कल्याण	स्वीकृत	Classes	Voted:	0.01(কa)		0.01
23601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहयात अनुदान		Governments				
	भारित		Charged:	<i>0.01</i> (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02	•••	0.02
	भारित		Charged:	0.01		0.01
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनओं कार्यान्वयन के लिए क्रीचिंग और संबद्ध योजनाएं और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (3.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनूदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
 - (ii) अनुश्रवण और मूल्यांकन योजना के तहत मूल्यांकन उद्ययनों के संचालन के लिए विशिस्टीकृत एजीन्सियों को सहायता अनुदान प्रदान करने (0.25 करोड़ रुपए) और सूचना ओर मास मीडिया योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाओं को व्यापक कवरेज देने संबंधी विज्ञापन के व्यय पूर्ति हेतु (0.25 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant /appropriation is sought for the following purposes:

- (a) (i) For providing Grants-in-aid to Non-Governmental Organisations for Scheduled Tribes including Coaching and Allied Schemes and Award for Exemplary service for implementing the various schemes for the welfare of Scheduled Tribes(Rs. 3.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (ii) For providing Grants-in-aid to specialized agencies for conducting Evaluation Studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation' (Rs.0.25 crore)and to meet the expenditure of advertisement to give wider coverage to the Schemes for the welfare of Scheduled Tribes under the scheme of Information and Mass Media (Rs.0.25 crore).

चूँकि अनुदान के उसि भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- (ख) (i) मूल जनजातीय समूहो(पीटीजी) का विकास योजना के तहत विभिन्न राज्यों की संरक्षण तथा विकास (सीसीडी) योजना को आवश्यकता की पूर्ति हेतु (16.00 करोड़ रुपए)
 - (ii) अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए की चिंग और संबद्ध योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.01 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसि भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) To meet the requirement of Conservation-cum-Development (CCD) Plan of different States under the scheme 'Development of Primitive Tribal Groups (PTGs)(Rs.16.00 crore).
 - (ii) To meet the additional requirement under Coaching and Allied Schemes for the welfare of Scheduled Tribes(0.0l crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 117 देखिए)। (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 117 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	C	harged:	0.01		0.01
	स्वीकृत		Voted:	1234.01	750.83	1984.84
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	116.14	205.00	321.14
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	243.98	183.95	427.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	y)	1594.14	1139.78	2733.92
	भारित	C	harged:	0.01		0.01
	स्वीकृत		Voted:	1594.13	1139.78	2733.91

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014- Administration of Justice	Voted:	0.53 (कa)	•••	0.53
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	0.45 (কa)	24.58 (কa)	25.03
2056-कारावास	स्वीकृत	2056- Jails	Voted:	0.64 (কa)	0.36 (কa)	1.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं		2245-Relief on account of				
संबंधी राहत	स्वीकृत	Natural Calamities	Voted:		34.00 (खb)	34.00
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	•••	4.75 (কa)	4.75
2402-मृदा एवं जल		2402-Soil and Water				
संरक्षण	स्वीकृत	Conservation	Voted:	•••	1.33 (কa)	1.33
2403-पशु पालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	0.93 (कa)	5.71 (কa)	6.64
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	•••	1.18 (কa)	1.18
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425-Co-operation	Voted:	0.54 (जh)	0.55 (কa)	1.09
ग्रामिण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural				
		Development				
2029-भू-राजस्व	स्वीकृत	2029-Land Revenue	Voted:	•••	1.39 (কa)	1.39
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता		2215-Water Supply and				
	स्वीकृत	Sanitation	Voted:		1.80 (чс)	1.80
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	3.17 (ਵe)		3.17
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	9.60 (कa)	7.90 (কa)	17.50
पर्यावरण और वन मंत्रालय		Ministry of Environment				
		and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	1.97 (чс)	2.60 (чc)	4.57
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		Ministry of Food Processing				
मंत्रालय		Industries				
2408-खाद्य, भंडारण और		2408-Food, Storage and				
भांडागारण	स्वीकृत	Warehousing	Voted:		7.77 (ਬd)	7.77

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribut	ion			
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted:	1.10 (कa)	0.43 (गc)	1.53
रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण	c	Ministry of Health and Family		()	(-)	
मंत्रालय		Welfare				
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक		2210-Medical and Public				
स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	3.80 (कa)	6.61 (কa)	10.41
स्कूली शिक्षा और साक्षरता	c	Department of School Education				
विभाग		and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	13.29 (कa)	8.66 (कa)	21.95
उच्च शिक्षा विभाग	c	Department of Higher Education		()	· /	
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.10 (ਵe)	0.80 (ਵe)	0.90
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	0.80 (कa)	0.75 (कa)	1.55
महिला एवं बाल विकास		Ministry of Women and		*****	(10)	
मंत्रालय		Child Development				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं		2235- Social Security and				
कल्याण	स्वीकृत	Welfare	Voted:		0.39 (ਵe)	0.39
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	c	Ministry of Micro, Small and				
मंत्रालय		Medium Enterprises				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.12 (ਵe)		0.12
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	c	Ministry of Labour and Employ				
2230-श्रम एवं रोजगार	स्वीकृत	2230- Labour and Employment	Voted:		0.73 (কa)	0.73
सड़क परिवहन और राजमार्ग		Department of Road Transport			(10)	****
विभाग		and Highways				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		2070- Other Administrative				
2010 11 11 11 11 11 11 11 11	स्वीकृत	Services	Voted:		1.20 (কa)	1.20
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	3.67 (झi)	3.44 (чс)	7.11
3055-सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055- Road Transport	Voted:	3.31 (aj)	2.34 (কa)	5.65
पोत परिवहन विभाग	5	Department of Shipping	votea.	3.31 (-9)	2.3 ()	2.02
3051-पत्तन एवं दीपस्तंभ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	0.50 (कa)	6.54 (कa)	7.04
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:	9.12 (चf)	35.00 (चf)	44.12
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत	3056-Inland Water Transport	Voted:		0.60 (কa)	0.60
नागर विमानन मंत्रालय	5	Ministry of Civil Aviation	votea.	•••	0.00 (444)	0.00
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	1.39 (ছg)	1.00 (ছ্ব)	2.39
संस्कृति मंत्रालय	(41.5.7)	Ministry of Culture	voica.	1.57 (56)	1.00 (0g)	2.37
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.30 (झां)		0.30
शहरी विकास मंत्रालय	(412/11	Ministry of Urban Development		0.50 (311)	•••	0.50
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	0.74 (कa)	18.88 (ਵk)	19.62
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation		0.74 (474)	0.82 (чс)	0.82
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	•••	0.82 (गट) 3.80 (गट)	3.80
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217- Urban Development	Voted:	 2.00 (झi)		2.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	58.07	 185.91	243.98
-	रवाष्ट्रारा		voicu.	30.07	103.71	243.70
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता	•	4215-Capital Outlay on Water				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Supply and Sanitation	Voted:	7.25 (ਰੀ)	•••	7.25
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर		4801-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Power Projects	Voted:	17.55 (ਰੀ)		17.55
सड़क परिवहन और राजमार्ग		Department of Road				
विभाग		Transport and Highways				
5054-सड़कों और पुलों पर		5054-Capital Outlay on Roads				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Bridges	Voted:	7.40 (ਗ)		7.40
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on Housing	Voted:	150.00 (ਗ)		150.00

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
जल संसाधन मंत्रालय		Ministry of Water Resources				
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं		4711- Capital Outlay on Flood				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Control Projects	Voted:	1.75 (ਗ)		1.75
जोड़ पूंजी	स्वीकृत	Total Capital	Voted:	183.95		183.95
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	242.02	185.91	427.93

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2055-पुलिस	2055-Police		-0.07	-0.07
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		-0.22	-0.22
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture			
2405-मात्स्यिकी	2405-Fisheries		-0.01	-0.01
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801-विद्युत	2801-Power		-0.02	-0.02
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries			
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing		-7.77	-7.77
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		-0.01	-0.01
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education			
	and Literacy			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	0.01
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information & Broadcasting			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity		0.01	0.01
पोत परिवहन विभाग	Department of Shipping			
3051-पत्तन और दीपस्तंभ	3051-Ports and Light Houses		-0.07	-0.07
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works		-18.88	-18.88
जोड़ (वसूलियाँ)	Total (Recoveries)	•••	-27.03	-27.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

- The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :
- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु (107.56 करोड़ रुपए)।
- (ख) अस्थाई शरण स्थलों में निवास कर रहे सुनामी प्रभावित लोगों को मुफ्त (b) Supply of free ration to Tsunami affected people residing in

राशन की आपूर्ति हेतु (34.00 करोड़ रुपए)।

- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक एवं वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को मजदूरियों के भुगतान हेतु (14.86 करोड़ रुपए)।
- (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद हेतु। वसूलियों में बढ़ोत्तरी की समतुल्य राशि को देखते हुए व्यय में कोई निवल वृद्धि नहीं हुई है (7.77 करोड़ रुपए)।
- (ङ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और अन्य सदस्यता प्राप्त संस्थाओं को (4.58 करोड़ रुपए)।
- (च) मेनलैंड द्वीप और अंतर द्वीप जलयानों के प्रचालन और रखरखाव हेतु (f) (9.12 करोड़ रुपए) और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को भुगतान हेतु (35.00 करोड़ रुपए)।

- expenditure on :(a) Payment of salaries on the implementation of the Sixth Central
- Payment of salaries on the implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (107.56 crore).
- Supply of free ration to Tsunami affected people residing in temporary shelters (Rs.34.00 crore).
- (c) Payment of wages to Temporary Status Mazdoors, Industrial and Workcharged employees due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations, as accepted by the Government (Rs.14.86 crore).
- (d) Procurement of foodgrains for the Public Distribution System. After taking into account equal amount of increase in recoveries, there is no net increase in expenditure (Rs.7.77 crore).
- (e) Panchayati Raj Institutions and other aided institutions (Rs.4.58 crore) for Salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (f) The operation and maintenance of mainland-Island and interisland vessels (Rs.9.12 crore) and payment to Shipping Corporation of India Ltd. (Rs.35.00 crore).

- संबधी भुगतान हेत्।
- (ज) सहकारी संस्थाओं को सब्सिडियों के भ्गतान हेत्।
- (झ) पंचायती राज संस्थाओं (3.67 करोड़ रुपए), स्नामी प्नर्वास कार्यक्रम के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद (2.00 करोड़ रुपए) और विज्ञान केन्द्र के रखरखाव के लिए विज्ञान केन्द्र (0.30 करोड़ रुपए) को भुगतान हेतु।
- (ञ) सड़क परिवहन विभाग के लिए हाई स्पीड डीजल के लम्बित बिलों के (j) Pending bills of HSD oil for Road Transport Department. लिए।
- (ट) स्टॉक प्रयोजन के लिए स्टोरों की खरीद हेतु। वसूलियों में वृद्धि की समतुल्य राशि को देखते हुए व्यय में कोई निवल वृद्धि नहीं हुई है।
- (ठ) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति, ग्रामीण जलापूर्ति (७.25 करोड़ रुपए), विद्युत परियोजनाओं (१७.55 करोड़ रुपए), सड़कें और पूल (7.40 करोड़ रुपए), सुनामी प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी शरणस्थलों का निर्माण (150.00 करोड़ रुपए) और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (1.75 करोड़ रुपए)।

वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटाया गया है, के समायोजन के पश्चात् इस पूरक अनुदान में 400.90 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (छ) मेसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. को हेलीकॉप्टरों के किराया लागत (g) Payment to M/S Pawan Hans Helicopters Ltd towards chartering cost of helicopters.
 - (h) Payment of Subsidies to Co-operatives.
 - Panchayati Raj Institutions (Rs.3.67 crore), Port Blair Municipal Council (Rs.2.00 crore) for undertaking Tsunami Rehabilitation Programmes and Science Centre (Rs.0.30 crore) for maintenance of Science Centre.

 - (k) Procurement of Stores for stock purpose. After taking into account equal amount of increase in recoveries, there is no net increase in expenditure.
 - (l) Accelerated progress of works under Tsunami Rehabilitation Programmes, Rural Water Supply (Rs.7.25 crore), Power Projects (Rs.17.55 crore) Roads and Bridges (Rs.7.40 crore), Construction of permanent shelters for Tsunami affected peoples (Rs.150.00 crore) and Flood Control Projects (Rs.1.75 crore).

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a cash outgo of Rs.400.90 Crores.

चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिए)। (See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

				(करोड़ रुपए R	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	40.29	0.35	40.64
	स्वीकृत	Voted:	1277.34	229.67	1507.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	8.57	•••	8.57
	स्वीकृत	Voted:	130.42	165.51	295.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1456.62	395.53	1852.15
	भारित	Charged:	48.86	0.35	49.21
	स्वीकृत	Voted:	1407.76	395.18	1802.94

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- $II. \ \ This \ Supplementary \ Grant/Appropriation \ will be accounted for under the following \ Major \ Head:$

<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice				
	भारित		harged:		8.17(कa)	8.17
	स्वीकृत		Voted:		3.00(खb)	3.00
2030- स्टाम्प और पंजीकरण	स्वीकृत	2030-Stamps				
		and Registration	Voted:		0.46(чс)	0.46
2039- राज्य उत्पाद शुल्क	स्वीकृत	2039-State Excise	Voted:		0.02(ঘd)	0.02
2040- बिक्री, व्यापार आदि	स्वीकृत	2040- Taxes on Sales,				
पर कर		Trade etc.	Voted:		0.17(ৰ.e)	0.17
2052- सचिवालय-सामान्य		2052-Secretariat-General				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.44(चf)	0.44
2053- जिला प्रशासन		2053-District				
	स्वीकृत	Administration	Voted:		0.35(ছg)	0.35
2055- पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	1.20(झi)	7.15(जh)	8.35
2056- जेल	स्वीकृत	2056-Jails	Voted:		0.86(ञj)	0.86
2070- अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.11(ਵk)	0.11
2225- अनुसूचित जाति,		2225-Welfare of Scheduled				
अनुसूचित जनजाति और		Caste, Scheduled Tribes and	1			
अन्य पिछड़ा वर्ग	स्वीकृत	Other Backward Classes	Voted:		0.40(ਰੀ)	0.40
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2403- पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:		0.09(ৰ্ডm)	0.09
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Developme	ent			
2029- भू-राजस्व	स्वीकृत	2029-Land Revenue	Voted:		0.08(ਫ.n)	0.08
2515- अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Developmen	t			
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	2.98(গ্ৰত)	0.08(तp)	3.06
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:		51.53 (थq)	51.53

				आयोजना Plan	(करोड़ रुपए Ri आयोजना-भिन्न Non-Plan	upees in Crore) जोड़ Total
पर्यावरण और वन		Ministry of Environment				
मंत्रालय		and Forests				
2406- वानिकी और वन्य		2406-Forestry and				
जीव	स्वीकृत	Wild Life	Voted:		0.12 (ব্লা)	0.12
स्वास्थ्य और		Ministry of Health				
परिवार कल्याण मंत्रालय		and Family Welfare				
2210- चिकित्सा और		2210-Medical and Public				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	4.86 (दr)	2.83(ভm)	7.68
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता		Department of School				
विभाग		Education and Literacy				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.61(ঘs)	8.67(नt)	12.28
2236- पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted:	2.00(чu)	•••	2.00
उच्च शिक्षा		Department of Higher				
विभाग		Education				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.67(फv)	7.66(aw)	8.33
2203- तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:		0.72(भx)	0.72
महिला तथा बाल विकास		Ministry of Women and				
मंत्रालय		Child Development				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा	स्वीकृत	2235-Social Security and	Voted:		0.14(яу)	0.14
कल्याण		Welfare				
युवा मामले और		Ministry of Youth Affairs				
खेल मंत्रालय		and Sports				
2204- खेलकूद और युवा मामले	स्वीकृत	2204-Sports and Youth Service	s Voted:		0.54(यz)	0.54
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture				
2205- कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:		0.76(ককaa)	0.76
सूचना तथा प्रसारण		Ministry of Information				
मंत्रालय		and Broadcasting				
2220- सूचना तथा प्रचार		2220-Information and				
	स्वीकृत	Publicity	Voted:		0.16(इn)	0.16
श्रम और रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and				
		Employment				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:		0.15(ভ্রm)	0.15
2230- श्रम और रोजगार		2230-Labour and				
	स्वीकृत	Employment	Voted:		0.17(ভm)	0.17
सड़क परिवहन और		Ministry of Road				
राजमार्ग मंत्रालय		Transport and Highways				
2041- वाहनों पर कर	स्वीकृत	2041-Taxes on Vehicles	Voted:		0.29(दn)	0.29
3055- सड़क परिवहन	भारित	3055-Road Transport	Charged:		0.40(खखbb)	0.40
			Voted:		7.95(गगcc)	7.95
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism				
3452- पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	1.48(ਬਬdd)		1.48
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:		7.45 (ਭ.ਭ.ee)	7.45
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and				
	-	Sanitation	Voted:		2.52 (चचff)	2.52
2216- आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:		2.20(ভভgg)	2.20
	-				-	

				आयोजना Plan	<i>(करोड़ रुपए R</i> आयोजना-भिन्न Non-Plan	lupees in Crore) जोड़ Total
2217- शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:		4.61(जजhh)	4.61
संचार और सूचना		Ministry of Communication	n			
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		and Information Technolog	gy			
3451- सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat - Economic	2			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	1.95(झझii)		1.95
जोड़ - राजस्व भाग	C	Total - Revenue Section		18.74	120.25	138.99
•	भारित		Charged:	•••	8.57	8.57
	स्वीकृत		Voted:	18.74	111.68	130.42
पूंजी भाग	c	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
4055-पुलिस		4055-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Police	Voted:	2.90(সস্jj)	0.25(टटkk)	3.15
विद्युत मंत्रालय	173-11-7	Ministry of Power	votea.	2.50(01011)	0.23(cckk)	3.13
4801-विद्युत परियोजनाओं		4801-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Power Projects	Voted:	11.50 (झझ11)		11.50
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	रपापटूरा	Ministry of Environment	voica.	11.50 (जना)	•••	11.50
नपायरण राया यग गत्राराय		and Forests				
4406-वानिकी तथा वन्य जीव			acteri			
पर पूंजी परिव्यय	चनी क न	4406-Capital Outlay on Fore	-	5 00 (5.00
पर पूजा पारव्यय रवास्थ्य और	स्वीकृत	and Wile Life	Voted:	5.00 (ভ্ৰভ্ৰmm)		5.00
		Ministry of Health				
परिवार कल्याण मंत्रालय		and Family Welfare				
4210- चिकित्सा और जन स्वा		4210-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Medical and Public Health	Voted:	6.00(ਫਫnn)	•••	6.00
उच्च शिक्षा		Department of Higher				
विभाग		Education				
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला		4202-Capital Outlay on				
और संस्कृति पर पूंजी		Education, Sports,				
परिव्यय	स्वीकृत	Art and Culture	Voted:	3.64(णण००)		3.64
महिला तथा बाल विकास		Ministry of Women and				
मंत्रालय		Child Development				
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा	स्वीकृत	4235-Capital outlay on				
कल्याण पर पूंजी		Social Security and				
परिव्यय		Welfare	Voted:	1.69(ततpp)		1.69
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
4216- आवास पर पूंजी	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on				
परिव्यय		Housing	Voted:	89.88(धघqq)		89.88
4217- शहरी विकास	स्वीकृत	4217-Capital Outlay				
पर पूंजी परिव्यय		on Urban Development	Voted:	41.65(ददाrr)		41.65
सामाजिक न्याय तथा अधिकारि	ता	Ministry of Social Justice				
मंत्रालय		and Empowerment				
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा	स्वीकृत	4235-Capital outlay on				
कल्याण पर पूंजी	·c ··	Social Security and				
परिव्यय		Welfare	Voted:	3.00(ঘঘss)	•••	3.00
जोड़ - पूंजी	स्वीकृत	Total - Capital	Voted:	165.26	0.25	165.51
4	14/2/1	zoui Capitai	, sicu.	184.00	120.50	304.50
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:		8.57	8.57
and (2,an)	स् वीकृत	total (Supplementally)	_	184.00		
	स्वाकृत		Voted:	184.00	111.93	295.93

	(करोड़ रुपए Ru	pees in Crore)
आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
Plan	Non-Plan	Total

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

		DEVENUE CECTION				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs	**		4.7.00	45.00
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:		-17.08	-17.08
स्वास्थ्य और		Ministry of Health				
परिवार कल्याण मंत्रालय		and Family Welfare				
2210- चिकित्सा और		2210-Medical and Public				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:		0.75	0.75
श्रम और रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and				
		Employment				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:		-1.00	-1.00
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	•••	-3.56	-3.56
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and				
		Sanitation	Voted:		-0.61	-0.61
जोड़ - राजस्व भाग	स्वीकृत	Total - Revenue Section	Voted:	•••	-21.50	-21.50
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
4217- शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on				
परिव्यय		Urban Development	Voted:		-25.50	-25.50
जोड़ - पूंजी भाग	स्वीकृत	Total - Capital Section	Voted:	•••	-25.50	-25.50
कुल जोड़ (वसूलियां)		Total (Recoveries)		•••	-47.00	-47.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है:-

- (क) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.80 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.02 करोड़ रुपए); ध्यान, समझौता केन्द्र, विधिक सेवा समिति, कार्यालय व्यय के तहत पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीशों हेतु स्टाफ कार की नेटवर्किंग तथा खरीद (2.75 करोड़ रुपए); प्रकाशन सम्बन्धी लम्बित बिलों की निकासी (0.60 करोड़ रुपए);
- (ख) स्थापना सम्बन्धी व्यय (1.55 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.40 करोड़ रुपए); बिजली, जल तथा टेलिफोन के लम्बित बिल (0.75 करोड़ रुपए) और एएसटीए में कार्यरत स्टाफ के लिए बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.20 करोड़ रुपए);
- (ग) न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक स्टाम्पों की खरीद।
- (घ) अन्तरंग उपचार के लम्बित बिल।
- (ङ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.15 करोड़ रुपए); अन्तरंग उपचार के लम्बित बिल (0.02 करोड़ रुपए)।
- (च) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.29 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे/बिल (0.09 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (छ) स्थापना सम्बन्धी व्यय में बढ़ोतरी (0.02 करोड़ रुपए); संविदा पर रखे स्टाफ की मजदूरी का भुगतान (0.09 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.24 करोड़ रुपए)।

The Supplementary Grant/Appropriation is sought for meeting additional expenditure on:-

- (a) Establishment related expenditure (*Rs* 4.80 crore); T.A.(Rs. 0.02 crore), Meditation, Conciliation Centre, Legal Services Committee, networking and purchase of staff cars for the Judges of Punjab and Haryana High Court under Office Expenses (Rs. 2.75 crore); clearance of pending bills of Publication (Rs. 0.60 crore).
- (b) Establishment related expenditure (Rs.1.55 crore); T.A.(Rs. 0.40 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.75 crore) and payment of arrears of Pay and allowances for the staff working in ST A (Rs. 0.20 crore).
- (c) Purchase of judicial/non judicial stamps.
- (d) Pending bills of indoor treatment.
- (e) Establishment related expenditure (Rs. 0.15 crore); pending bills of indoor treatment (Rs. 0.02 crore).
- (f) Establishment related expenditure (Rs. 0.29 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.09 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.06 crore)
- (g) Increase in establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.09 crore) Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.24 crore).

- (ज) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.80 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे/ बिल (0.50 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.10 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.15 करोड़ रुपए); सचिवालय सेवाओं के अन्तर्गत आसूचना संग्रहण उपकरण की मजबूती तथा स्रोतों का विकास (0.47 करोड़ रुपए); पीओएल (0.20 करोड़ रुपए); वकीलों के लम्बित भुगतान (0.07 करोड़ रुपए); वाहनों के संचालन हेतु 100 कॉप्स और 100 वाहन चालकों की आउटसोर्सिंग और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सुरक्षा हेतु 61 कॉप्स का नियोजन (0.86 करोड़ रुपए)।
- (झ) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को स्पेकट्रम प्रभारों का भुगतान और यातायात पुलिस के लिए हस्तधारित कम्प्यूटरों की खरीद (1.20 करोड़ रुपए);
- (ञ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.19 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.22 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.04 करोड़ रुपए); जेल फैक्ट्री का आधुनिकीकरण और मशीनरी की खरीद (0.40 करोड़ रुपए);
- (ट) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.05 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (ठ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (०.०९ करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में मासिक ३०/-रु. से बढ़ोतरी कर २५०/-रु. करना और लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (०.३१ करोड़ रुपए)।
- (ड) स्थापना सम्बन्धी व्यय।
- (ढ़) विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल ।
- (ण) गांव मक्खनमाजरा में जंज घर का निर्माण, गन्दा नाला की आरसीसी दीवार और गांव मौली जागरण में गंदा नाला पर पुल निर्माण और खेल परिसर हेत्।
- (त) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.02 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (थ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.42 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान(0.04 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); वात्रा भत्ता पर अतिरिक्त व्यय (0.01 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.05 करोड़ रुपए); ऊर्जा के लम्बित बिल और नए पावर कनेक्शन की खरीद कारण ऊर्जा तथा ऊर्जा इनपुट में बढ़ोतरी (49.50 करोड़ रुपए); पुराने एलडी सिस्टम का रख रखाव और नई आधारभूत संरचना का जुड़ाव (1.50 करोड़ रुपए);
- (द) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.30 करोड़ रुपए); विभिन्न औषधालयों में सरकारी मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल में दवाओं तथा अन्य सामग्री की खरीद और सरकारी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल की नेटवर्किंग (4.00 करोड़ रुपए); सेवा प्रयोक्ता के जिरए संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ को भुगतान (0.47करोड़ रुपए); और विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान (0.08 करोड़ रुपए)।
- (घ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (1.34 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (1.20 करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में प्रतिमाह 30/-रु. से 250/-रुपए की बढ़ोतरी तथा लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (0.27 करोड़ रुपए); सर्विशक्षा अभियान के तहत व्यय का वहन (0.80 करोड़ रुपए)।

- (h) Establishment related expenditure (Rs. 4.80 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.50 crore); TA (Rs. 0.10 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.15 crore); strengthening out intelligence gathering apparatus and development of sources under Secret Services (Rs. 0.47 crore); POL (Rs. 0.20 crore); pending payment of lawyers (Rs. 0.07 crores); outsourcing of 100 Cops and 100 Drivers for operation vehicles and employment of 61 Cops for security of Punjab and Haryana High Court (Rs. 0.86 crore).
- (i) Payment of spectrum charges of Rs. 50.00 lacs to the Ministry of Home Affairs, New Delhi and purchase of hand held computers for traffic police (Rs. 1.20 crore).
- (j) Establishment related expenditure (Rs. 0.19 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.22 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.04 crore); modernization of Jail factory and purchase of machinery (Rs. 0.40 crore)
- (k) Establishment related expenditure (Rs. 0.05 crore); Pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.06 crore).
- Establishment related expenditure (Rs. 0.09 crore); enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 0.31 crore).
- (m) Establishment related expenditure.
- (n) Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc.
- (o) Construction of Janj Ghar in village Makhanmajra, construction of RCC walls of Ganda Nallah and bridge on Ganda Nallah in village Mauli Jagran and for sports complex.
- (p) Establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore);Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.06 crore).
- (q) Establishment related expenditure (Rs. 0.42 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.04 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); Additional expenditure on TA (Rs. 0.01 crore); pending bilis of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.05 crore); pending bills of energy and increase in energy input due to purchase of new power connections (Rs. 49.50 crore); maintenance of old LD system and addition of new infrastructure (Rs. 1.50 crore).
- (r) Establishment related expenditure (Rs. 0.30 crore); purchase of medicines and other material in Govt. Multi-Specialty Hospital, in various dispensaries and for networking of Govt. Medical College and Hospital (Rs. 4.00 crore); payment of staff employed on contract basis through service provider (Rs. 0.47 crore) and for Grants-in-aid to various institutions (Rs.0.08 crore).
- (s) Establishment related expenditure (Rs. 1.34 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 1.20 crore); enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 0.27 crore); share of expenditure under Sarv Siksha Abhiyan (Rs. 0.80 crore).

- (न) स्थापना सम्बन्धी व्यय (5.19 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.10 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.23 करोड़ रुपए); खरीद सामग्री के लम्बित बिलों का निपटान (0.40 करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में प्रतिमाह 30/- से बढ़ोतरी कर 250/- रु. करना और लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (2.17 करोड़ रुपए) तथा विभिन्न सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.58 करोड़ रुपए)।
- (प) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत व्यय का वहन।
- (फ) संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.21 करोड़ रुपए); और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.46 करोड़ रुपए);
- (ब) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.15 करोड़ रुपए); चिकित्सा वावे (0.12 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.27 करोड़ रुपए); और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.73 करोड़ रुपए); विभिन्न सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (2.39 करोड़ रुपए);
- (भ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.58 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); वकीलों के लम्बित बिल (0.03 करोड़ रुपए); पंजाब इन्जीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.10 करोड़ रुपए);
- (म) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.02 करोड़ रुपए); सहायता अनुदान की प्राप्ति में लाभग्राहियों की संख्या में बढ़ोतरी (0.03 करोड़ रुपए) और विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.09 करोड़ रुपए);
- (य) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.36 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.18 करोड़ रुपए);
- (कक) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.25 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.03 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.05 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.32 करोड़ रुपए) और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.11 करोड़ रुपए);
- (खख) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार क्षतिपूर्ति का भूगतान (0.40 करोड़ रुपए);
- (गग) स्थापना सम्बन्धी व्यय (3.23 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे बिल (0.10 करोड़ रुपए); पीओएल (1.67 करोड़ रुपए); वाहन चालकों तथा कंडक्टरों हेतु यूनीफार्म की खरीद, कलपूर्जों और टायर/ टयूब की खरीद तथा अन्य लम्बित बिल (2.30 करोड़ रुपए); पार्किंग शुल्क की दरों में बढ़ोतरी, पथकर, अनुज्ञा शुल्क आदि (0.65 करोड़ रुपए);
- (घघ) चंडीगढ़ कार्नीवल, फिल्म कार्नीवल, रोज फेस्टिवल और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- (ङङ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (2.88 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.90 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.11 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लिम्बत बिल (0.14 करोड़ रुपए); प्रशासन के गैर-आवासीय भवनों में विभिन्न रख रखाव निर्माण कार्य (1.90 करोड़ रुपए); केन्द्रीय भंडार हेतु सामग्री खरीद (1.50 करोड़ रुपए); किराए से सम्बद्ध भुगतान (0.02 करोड़ रुपए);

- (t) Establishment related expenditure (Rs. 5.19 crore); Medical Claims (Rs. 0.10 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.23 crore); to clear the pending bills of material purchased (Rs. 0.40 crore), enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 2.17 crore); payment of arrears of Pay and Allowances for the staffworking in various aided schools (Rs. 0.58 crore).
- (u) Sharing of expdnditure under mid-day meal scheme.
- (v) Payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.21 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.46 crore).
- (w) Establishment related expenditure (Rs. 4.15 crore); Medical Claims (Rs. 0.12 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.27 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.73 crore), for the payment of arrears of Pay and Allowances for the staff working in various aided schools (Rs. 2.39 crore).
- (x) Establishment related expenditure (Rs. 0.58 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); pending bills of lawyers (Rs. 0.03 crore); payment of arrears of Pay and Allowances for the staff working in Punjab Engineering College (Rs. 0.10 crore.
- (y) Establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); increase in number of beneficiaries in receipt of Grantsin-aid (Rs. 0.03 crore); pending electricity, water and telephone bills etc. (Rs. 0.09 crore).
- (z) Establishment related expenditure (Rs. 0.36 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. and other pending bills (Rs. 0.18 crore).
- (aa) Establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.03 crore); Medical Claims (Rs.0.05 crore); pending bills.of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.32 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.11 crore).
- (bb) Payment of compensation awarded by Motor Accidents Claims Tribunal (Rs. 0.40 crore);
- (cc) Establishment related expenditure (Rs. 3.23 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.10 crore); POL (Rs. 1.67 crore); purchase of Uniforms for the drivers and conductors, purchase of spare parts and tyre /tubes and other pending bills (Rs.2.30 crore); increase in rates of parking fee, toll tax, permit fee etc. (Rs. 0.65 crore).
- (dd) Promoting tourism and cultural activities by holding Chandigarh Carnival, Film Carnival, Rose Festival and other cultural programmes.
- (ee) Establishment related expenditure (Rs. 2.88 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.90 crore); Medical Claims (Rs. 0.11 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. and other pending payments (Rs. 0.14 crore); various maintenance works in non residential buildings of the Administration (Rs. 1.90 crore); purchase of material for central stores (Rs. 1.50 crore); other payments relating to rents (Rs. 0.02 crore).

- (चच) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.42 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.09 करोड़ रुपए); जलापूर्ति लाइनों तथा मलव्ययन शोधन का रखरखाव (1.51 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय स्टोर सामग्री खरीद (0.50 करोड़ रुपए)।
- (छछ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.06 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.03 करोड़ रुपए); चंडीगढ़ में सरकारी भवनों का रखरखाव (2.10 करोड़ रुपए);
- (जज) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.06 करोड़ रुपए); नगर निगम, चंडीगढ़ को भुगतान किया जाने वाला अनुदान (4.55 करोड़ रुपए)।
- (झझ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नए सम्पर्क केन्द्रों को खोलना।
- (ञञ) विभिन्न पुलिस स्टेशनों का उन्नयन (0.90 करोड़ रुपए) श्रेणी II वर्गों के 76 पुलिस घरों के निर्माण कार्य को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपए)।
- (टट) पुलिस विभाग में प्रचालनात्मक वाहनों की खरीद।
- (ठठ) मौजूदा ट्रांसफार्मरों के स्थान पर आरजीटीपी की ट्रांसफार्मेशन क्षमता का उन्नयन और ट्रांसफार्मरों सिविल सचिवालय, सेक्टर 1 तथा 12 चंडीगढ़ में ट्रांसफार्मरों का पुनःस्थापन।
- (डड) जलीय पार्क के लिए गांव कैम्बवाला में और अधिक भूमि का अधिग्रहण।
- (ढढ) सरकारी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में एमआरआई उपस्कर का अधिग्रहण (2.00 करोड़ रुपए); सरकारी मल्टी-स्पेशालिटी हास्पिटल में कम्प्यूटरीकृत रेडियोलोजी प्रणाली की खरीद (0.50 करोड़ रुपए); सरकारी मेडिकल कालेज और हास्पिटल का कार्य पूरा करना (2.00 करोड़ रुपए); मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल के नए ओपीडी ब्लाक का निर्माण (0.75 करोड़ रुपए) और स्वास्थ्य विभाग में एम्बूलेंस की खरीद (0.75 करोड़ रुपए)।
- (णण) विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों तथा सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण जिसमें प्रसाधनों का सुधार, पेयजलापूर्ति तथा विभिन्न अन्य सम्बद्ध कार्यों को उपलब्ध कराना शामिल है।
- (तत) व्यावसायिक प्राशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र का निर्माण और कामकाजी महिला छात्रावास के चालू निर्माण कार्य को पूरा करना।
- (घघ) विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न श्रेणियों के 180 सरकारी भवनों का निर्माण कार्य पूरा करना (9.35 करोड़ रुपए) और जेएनएनयूआरएम के तहत गन्दी बस्तियों के पुनर्वास की परियोजना सम्बन्धी योजना का कार्यान्वयन (80.53 करोड़ रुपए)।
- (दद) विभिन्न चालू निर्माण कार्यों का निष्पादन अर्थात टैगोर थियेटर भवन का पुनरुद्धार, सड़कों तथा पुलों का रखरखाव राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क और सारंगपुर सांस्थानिक क्षेत्र के विकास हेत्।
- (धध) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के क्षेत्रीय संस्थान के निर्माण हेतु निर्माण कार्यों का निष्पादन।

वसूलियों के समायोजन के बाद व्यय के कटौती के रूप में, इस पूरक में 257.50 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ff) Establishment related expenditure (Rs. 0.42 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.09 crore); maintenance of water supply lines and sewerage treatment lines (Rs. 1.51 crore) and purchase of material for central stores (Rs. 0.50 crore).
- (gg) Establishment related expenditure (Rs. 0.06 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); T.A.(Rs. 0.03 crore); maintenance of Govt. houses in Chandigarh (Rs. 2.10 crore).
- (hh) Establishment related expenditure (Rs. 0.06 crore); grant to be paid to Municipal Corporation, Chandigarh (Rs. 4.55 crore).
- (ii) Opening of new Sampark Centres by the Information Technology Department.
- (jj) Upgradation of various police stations (Rs. 0.90 core) and completion of construction of 76 police houses of type-II categories (Rs. 2.00 crore).
- (kk) Purchase of operational vehicles in police department.
- (II) Upgradation of transformation capacity of RGTP by replacing the existing transformers and reinstallation of transformers at Civil Secretariat, Sector 1 and 12, Chandigarh.
- (mm) Acquisition of more land in village Kaimbwala for Aquatic Park.
- (nn) Acquisition of MRI equipment in Govt. Medical College and Hospital, (Rs. 2.00 crore); purchase of computerized Radiology System in Govt. Multi-Specialty Hospital, (Rs. 0.50 crore); completion of Govt. Medical College and Hospital, (Rs. 2.00 crore); completion of construction of new OPD Block of Multi Specialty Hospital, (Rs. 0.75 crore) and purchase of ambulances in Health Department (Rs. 0.75 crore).
- (00) Completion of construction of various Govt. High Schools and Secondary Schools including renovation of toilets, providing drinking water supply and various other allied works.
- (pp) Construction of Vocational Training-cum-Production Centre, and completion of ongoing works of Working Women Hostel.
- (qq) Completion of construction of 180 number of Govt. houses of various categories in various Sectors (Rs. 9.35 crore) and implementation of scheme "Slum Rehabilitation Project under JNNURM" (Rs. 80.53 crore).
- (rr) Execution of various on-going works i.e. renovation of Tagore Theatre Building, maintenance of roads and bridges, Rajiv Gandhi Technology Park and for development of Sarangpur Institutional Area.
- (ss) Execution of works being carried out for the construction of Regional Institute for Mentally Challenged Children.

After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 257.50 Crores.

मांग संख्या DEMAND NO.97 दादरा और नागर हवेली

दादरा और नागर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पूरक मांगों की पहली बैच का पृष्ठ 119 देखिए)।

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government and page 119 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

,					(करोड़ रुपए Rupees in Crore	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1079.63	31.35	1110.98
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	14.18	•••	14.18
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	361.06	4.00	365.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1454.87	35.35	1490.22

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	•••	1.35 (কa)	1.35
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	1.00 (खb)		1.00
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	0.44 (गc)	338.23 (ਬd)	338.67
पर्यावरण तथा वन		Ministry of Environment				
मंत्रालय		and Forests				
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:		0.40 (কa)	0.40
स्वास्थ्य तथा परिवार		Ministry of Health and				
कल्याण मंत्रालय		Family Welfare				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	1.90 (ड.e)		1.90
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता		Department of School Education	n			
विभाग		and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.95 (चf)	2.65 (কa)	6.60
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग		Ministry of Road Transport				
मंत्रालय		and Highways				
3054-सड़कें तथा पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	11.00 (ছg)	0.14 (কa)	11.14
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	18.29	342.77	361.06
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर		4801-Capital Outlay on Power	Voted:	0.50 (जh)		0.50
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Projects				

					(करोड़ रुपए Rup	ees in Crore)
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्र	ालय	Ministry of Health and Family	Welfare			
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	4210-Capital Outlay on Medical	Voted:	1.00 (झi)		1.00
पर पूंजी परिव्यय		and Public Health				
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्र	ालय	Ministry of Road Transport and	l Highways			
5054-सड़क एवं पुल पर पूंजी	स्वीकृत	5054-Capital Outlay on Roads	Voted:	2.00 (সj)		2.00
परिव्यय		and Bridges				
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Developmen	t			
4059-लोक निर्माण कार्यौं पर	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public	Voted:	0.50 (로k)		0.50
पूंजी परिव्यय		Works				
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	4.00	•••	4.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	22.29	342.77	365.06

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

Voted:

राजस्व भाग		REVENUE SECTION
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् अपेक्षित है:

- (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर वेतन एवं बकाया।
- (ख) जिला पंचायत को विकास भवन निर्माण, विपणन केन्द्र, सामुदायिक भवनों एवं अन्य स्वच्छता कार्यो पर वचनबद्ध व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान।
- (ग) सिलवासा नगर परिषद् को सड़क रोशनी कार्यों के वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और बकाया (0.10 करोड़ रुपए); और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद हेतु (338.13 करोड़ रुपए)।
- (ड.) विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, सिलवासा के लिए दवाइयों, सर्जरी सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री आदि की खरीद हेतु (1.00 करोड़ रुपए) तथा अस्पताल में लगे संविदात्मक डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को बकाया पारिश्रमिक का भगतान (0.90 करोड़ रुपए)।
- (च) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और बकाया (0.95 करोड़ रुपए); सर्विशक्षा अभियान समिति को संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए) तथा जिला पंचायत को इस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों को चालू निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।
- (छ) सिलवासा नगर परिषद् को सड़क, जल निकास, विभाजक आदि के निर्माण हेत् सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए) तथा पंचायत

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :

(a) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government.

-93.13

-93.13

- (b) Grants-in-aid to District Panchayat for meeting the committed expenditure on construction of Vikas Bhavan, Marketing Centre, Community Halls and other Sanitation Work.
- (c) Grants-in-aid to Silvassa Municipal Council for meeting the committed expenditure of street light works.
- (d) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government (Rs. 0.10 crore) and for purchase of Power from Central Power Generating Stations (Rs. 338.13 crore).
- (e) Purchase of medicines, surgical materials, laboratory materials etc. for Vinoba Bhave Civil Hospital, Silvassa (Rs. 1.00 crore) and payment of pending remuneration to contractual Doctors, Specialists, Nurses and other Para Medical staff engaged in the Hospital (Rs. 0.90 crore).
- (f) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government (Rs. 0.95 crore); Grants-in-aid to Sarva Shiksha Abhiyan Society towards the U.T. share (Rs. 2.00 crore) and Grants-in-aid to District Panchayat for completing on-going construction work of Primary schools in the Territory (Rs. 1.00 crore).
- (g) Grants-in-aid to Silvassa Municipal Council for construction of Roads, drainage, dividers etc (Rs. 4.00

को इस संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ग्राम सड़कों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (7.00 करोड़ रुपए)।

- (ज) विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण।
- (झ) एएनएम उपकेन्द्रों में प्रसूति कक्षों का निर्माण सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी भाग का विस्तारण, अस्पताल में टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण आदि।
- (अ) जिला सड़कों एवं पुलों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण।
- (ट) राज्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण।

व्यय की कटौती के रूप में ली गई वसूलियों के समायोजन के बाद इस पूरक में 271.93 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

- crore) and Grants-in-aid to Panchayats for construction of village roads in various villages of this Union Teriitory (Rs. 7.00 crore).
- (h) Construction of Electrical Sub-Stations.
- (i) Construction of Labour Rooms in ANM sub-centres, extension of OPD Section in Civil Hospital, construction of toilet blocks in the Hospital etc.
- (j) Construction, strengthening and widening of District Roads and Bridges.
- (k) Construction of 19 Anganwadi Centres at various places in the Territory.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a cash outgo of Rs. 271.93 crores.

दमन और दीव **DAMAN AND DIU**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पूरक मांगें की पहली बैच का पृष्ठ 122 देखिए)। (See page 113 of the Demands for Grants of Central Government and page 122 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	493.58	47.27	540.85
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :			
	स्वीकृत		Voted:	12.03		12.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	141.72	8.20	149.92
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supple	mentary) Voted:	647.33	55.47	702.80

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II This Supplementary Grant will be accounted for under the following M

	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					or Heads:
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मुख्य शीर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय 2515-अन्य ग्रामीण विकास		MAJOR HEAD Ministry of Rural Development 2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	1.59 (कa)		1.59
विद्युत मंत्रालय 2801-विद्युत	स्वीकृत	Ministry of Power 2801-Power	Voted:		125.50 (खb)	125.50
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय 2210-चिकित्सा एवं जन		Ministry of Health and Family Welfare 2210-Medical and Public				
स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	1.30 (чс)		1.30
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 2202-सामान्य शिक्षा	-11 -	Department of School Education and Literacy	Voted.	0 82 (a d)		0.92
उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2202-General Education Department of Higher	Voted:	0.83 (घd)		0.83
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	Education 2202-General Education	Voted:	0.50 (se)		0.50
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
3054-सड़क एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	6.00 (चf)	0.50 (छ्टु)	6.50
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			0.50(-1.)	0.50
2059-लोक निर्माण 2217-शहरी विकास	स्वीकृत स्वीकृत	2059- Public Works 2217-Urban Development	Voted: Voted:	 3.00 (झi)	0.50 (जh) 2.00 (ञां)	0.50 5.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	13.22	128.50	141.72

पूंजी भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD विद्युत पंरियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय ***सिक्त लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ***सिक्त लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ***सिक्त विकृत सेविकृत सेविकृत विक्त सेविकृत सेव		
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD विद्युत मंत्रालय Ministry of Power 4801-विद्युत परियोजनाओं पर स्वीकृत 4801-Capital Outlay on	जोड़ Total	
विद्युत मंत्रालय 4801-विद्युत परियोजनाओं पर स्वीकृत 4801-Capital Outlay on पूंजी परिव्यय Power Projects Voted: 2.20(द्ये) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय and Medium Enterprises 4885-उद्योग एवं खनिजों स्वीकृत 4885-Capital Outlay on Industries and Minerals पर पूंजी परिव्यय Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय Ambiert Projects Voted: 2.20(द्ये) *** Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 4885-Capital Outlay on Industries and Minerals Voted: 2.00(द्ये)		
4801-विद्युत परियोजनाओं पर स्वीकृत 4801-Capital Outlay on Power Projects Voted: 2.20(चk) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम		
पूंजी परिव्यय Power Projects Voted: 2.20(द्ये) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अ Ministry of Micro, Small अवाम मंत्रालय अविकृत उत्प्रिक्त परिव्यय अविकृत उत्प्रिक्त परिव्यय अविकृत अवि		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		
उद्यम मंत्रालय and Medium Enterprises 4885-उद्योग एवं खनिजों स्वीकृत 4885-Capital Outlay on पर पूंजी परिव्यय Industries and Minerals Voted: 2.00(वी) सड़क परिवहन एवं Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय and Highways	2.20	
4885-उद्योग एवं खनिजों स्वीकृत 4885-Capital Outlay on पर पूंजी परिव्यय Industries and Minerals Voted: 2.00(व) सड़क परिवहन एवं Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय and Highways		
पर पूंजी परिव्यय Industries and Minerals Voted: 2.00(डी) सड़क परिवहन एवं Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय and Highways		
सड़क परिवहन एवं Ministry of Road Transport राजमार्ग मंत्रालय and Highways		
राजमार्ग मंत्रालय and Highways	2.00	
5054-सड़कों एवं पुलों स्वीकृत 5054-Capital Outlay on		
पर पूंजी परिव्यय Roads and Bridges Voted: 4.00 (डm)	4.00	
जोड़ पूजी भाग स्वीकृत Total Capital Section Voted 8.20	8.20	
जोड़ (पूरक) स्वीकृत Total (Supplementary) Voted 21.42 128.50	149.92	

अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शायी गई वसूलियां शामिल नही हैं जिन्हे व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTIO	ON			
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	•••	-41.60	-41.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:-

- (क) जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पंचायत घरों, टॉयलेट ब्लाक्स के निर्माण के लिए सहायता अनुदान।
- (ख) दमन एवं दीव के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए मागरवाडा, रैगनवाडा और डालवाडा, ननी दमन के सब-स्टेशन, सड़क रोशनी की मरम्मत एवं अनुरक्षण (0.50 करोड़ रुपए) तथा उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत स्टेशनों से विद्युत की थोक खरीद (125.00 करोड़ रुपए)। इसमें से 41.60 करोड़ रुपए की राशि कटौती वसूलियों के रूप में पूर्णतः वसूल हो जाएगी तथा 83.40 करोड़ रुपए वर्तमान वित्त वर्ष 2008-09 अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 2008 के प्रथम चार महीनों के दौरान बिजली विभाग द्वारा उठाए गए घाटे के कारण समायोजित किया जाएगा।
- (ग) लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डिजीटल एक्सरे मशीन, दवाइयों, सर्जरी के उपस्कर इत्यादि की खरीद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), मोती दमन तथा सरकारी अस्पताल मारवाड, ननी दमन की गृह-व्यवस्था और सफाई की आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान तथा सरकारी चिकित्सा डिपो को दवाइयां इत्यादि की खरीद के लिए बकाया बिलों का निपटान।
- (घ) जिला पंचायत दमन एवं दीव को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से हेतु सहायता अनुदान।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on:-

- (a) Grants-in-aid to District Panchayat for construction of Panchayat Ghars, toilet blocks under the Sanitation Programme in Rural area.
- (b) Maintenance and repairs of street light, Sub-station of Magarwada, Raiganwada & Dalwada, Nani Daman for uninterrupted power supply to consumers of Daman and Diu (Rs.0.50 crore) and for purchase of bulk power from Central Sector Power stations to meet the requirement of power for Industries and other consumers (Rs.125.00 crore). Out of this, an amount of Rs.41.60 crore will be fully recovered as deduct recoveries and Rs.83.40 crore will be adjusted on account of loss suffered by Electricity Department during the first four months of the current financial year 2008-09 i.e. April to July, 2008.
- equipments etc. for providing better medical facilities to the people; payment for out sourcing of housekeeping and cleaning of Community Health Centre (CHC) and Primary Health Centre (PHC), Moti Daman and Government Hospital, Marwad, Nani Daman; settlement of pending bills for Government Medical Depot for purchase of medicines etc.
- (d) Grants-in-aid to District Panchayat, Daman and Diu for UT share of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).

- (इ) नवीनतम उपस्कर एवं अधिगम सामग्री, फर्निचर इत्यादि प्रदान (e) करने के लिए चार उच्च माद्यमिक विद्यालयों का उन्नयन तथा दमन एवं दीव संघ राज्य में अन्य माध्यमिक विद्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत।
- (च) जिला पंचायत को दमन एवं दीव के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में (f) विभिन्न सड़कों के निर्माण अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु सहायता अनुदान।
- (छ) दमन एवं दीव जिला में विभिन्न मुख्य सड़कों का अनुरक्षण एवं (g)
- (ज) दमन एवं दीव जिलों में विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय (h) भवनों का अनुरक्षण और मरम्मत।
- (झ) नगरपालिकाओं को दमन जिला में मॉडल स्कूल के निर्माण एवं (i) नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए सहायता अनुदान।
- (ञ) नगरपालिकाओं को शहरी क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत (j)
 टॉयलेट ब्वाक का निर्माण, बाजार, बूचड़खाना निर्माण एवं अन्य
 विकास कार्यों आदि के लिए सहायता अनुदान।
- (ट) सम्पूर्ण दमन जिला में भूमिगत केबल विद्युत आपूर्ति वितरण (k) प्रणाली प्रदान करना तथा दमन जिला में 66 केवी संचरण लाइन कार्यों को सुदृढ़ करना।
- (ठ) दमन और दीव के ऑमनी बस औद्योगिक विकास निगम (1) (ओआईडीसी) को संघ राज्य के हिस्से की पूजी।
- (ड) दमन और दीव संघ राज्य में पुलों को सुदृढ़ करना और जिला सड़कों का निर्माण, संवर्धन और चौड़ा करना तथा मोती दमन को ननी दमन से जोड़ते हुए नए दमन गंगा पुल के निर्माण के लिए भुगतान।

व्यय की कटौती के रूप में वसूलियों को समायोजित करने के बाद, इस पूरक में 108.32 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

- e) Upgradation of four Higher Secondary Schools for providing latest equipments and learning materials, furniture etc. and maintenance and repairs of other Secondary Schools in the UT of Daman and Diu
- Grants-in-aid to District Panchayat for construction, maintenance and repairs of various roads in the entire rural area of Daman and Diu.
- Maintenance and repairs of various Major District Roads in Daman and Diu District.
- Maintenance and repairs of various residential and nonresidential buildings in Daman and Diu Districts.
- Grants-in-aid to Municipalities for construction of a model school in Daman District and strengthening and widening of various roads in municipal areas.
- Grants-in-aid to Municipalities for construction of toilet block under Sanitation Programme, construction of Market, Slaughter House and Other Developmental works etc. in Urban area.
- (k) Providing underground cable power supply distribution system in the entire Daman District and strengthening of 66 KV Transmission line works in Daman District.
- UT Share Capital to Omnibus Industrial Development Corporation (OIDC) of Daman and Diu.
- (m) Construction, augmentation & widening of district roads and strengthening of bridges in the UT of Daman and Diu and payment for construction of new Daman Ganga Bridge connecting Moti Daman to Nani Daman.

After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 108.32 Crores.

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और अनुदानों के पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 125 देखिए)। (See page No. 118 of the Demands for Grants of Central Government and page 125 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	385.69	180.07	565.76
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
इस रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of				
जो पहले बैच में पहले ही		the amount already obtained				
प्राप्त हो चुका है		in the 1st batch:				
	स्वीकृत		Voted:	17.73	0.02	17.75
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required				
	स्वीकृत		Voted:	103.01	0.57	103.58
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	y)	506.43	180.66	687.09
	स्वीकृत		Voted:	506.43	180.66	687.09

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग REV	ENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष MAJ	OR HEAD				
गृह मंत्रालय Mini	stry of Home Affairs				
2055-पुलिस स्वीकृत 2055-	-Police	Voted:		2.45 (कa)	2.45
3054-सड़कें और पुल स्वीकृत 3054-	-Roads and Bridges	Voted:		0.08 (खb)	0.08
-	stry of Agriculture				
2401-फसल कार्य स्वीकृत 2401-	-Crop Husbandry	Voted:		2.11 (गc)	2.11
२४०३-पशु पालन स्वीकृत २४०३-	- Animal Husbandry	Voted:		0.41 (ঘd)	0.41
2	- Fisheries	Voted:		1.99 (ਵe)	1.99
C	-Forestry and Wild Life	Voted:		0.35 (खb)	0.35
•	-Co-operation	Voted:	1.00 (चf)		1.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय Mini	stry of Rural Development				
2402-मृदा तथा जल संरक्षण स्वीकृत 2402-	- Soil and Water Conservation	Voted:		0.47 (ভg)	0.47
	-Other Rural Development				
कार्यक्रम स्वीकृत	Programmes	Voted:	0.82 (खb)	2.36 (क, खa,b)	3.18
	stry of Power				
9 _ 6	-Power	Voted:		5.68 (जh)	5.68
	stry of Health				
_	nd Family Welfare - Medical and Public				
स्वास्थ्य स्वीकृत	Health	Voted:	0.40 (झi)	1.80 (সj)	2.20
	rtment of Higher Education	voica.	0.40 (31)	1.00 (<i>∽</i> J)	2.20
_	-General Education	Voted:	1.23 (ਵk)	12.77 (ਗl)	14.00
_	stry of Culture		` '	` ,	
	- Art and Culture	Voted:	0.30 (खb)	0.26 (खb)	0.56
	stry of Labour and				
	mployment	X7 . 1		0.06(1)	0.06
2230-श्रम तथा रोजगार स्वीकृत 2230-	- Labour and Employment	Voted:	•••	0.06 (खb)	0.06

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय		Ministry of Science and Technology	v		- 10	
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	1.00 (sm)	0.10 (कa)	1.10
पोत परिवहन मंत्रालय		Department of Shipping		/	3123 (133)	
3051-पत्तन तथा दीप स्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	•••	0.68 (ਫn)	0.68
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:		57.32 (সত)	57.32
शहरी विकास मंत्रालय	· ·	Ministry of Urban Development				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:		2.30 (तp)	2.30
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:		0.32 (থq)	0.32
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक		2210-Medical and Public				
स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:		0.10(थ $q)$	0.10
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:		0.59 (दr)	0.59
2216-आवास	स्वीकृत	2216- Housing	Voted:		0.24 (থq)	0.24
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	0.65 (घs)		0.65
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:		0.15 (থq)	0.15
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:		0.40 (থq)	0.40
नागरिक विमानन मंत्रालय		Ministry of Civil Aviation				
3053-नागरिक विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:		4.62 (नt)	4.62
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत		Voted:	5.40	97.61	103.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
सड़क परिवहन और राजमार्ग विः	भाग	Department of Road Transport				
		and Highways				
5054-सङ्कों और पुलों पर		5054-Capital Outlay on Roads				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Bridges	Voted:	0.57 (पu)		0.57
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत		Voted:	0.57	•••	0.57
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	5.97	97.61	103.58

टिप्पणीः ऊपर दिए गए अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801-विद्युत स्वीकृत	2801-Power	Voted:		-2.00	-2.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing				
	Indistries				
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	2408-Food, Storage and Warehous	_		0.05	0.05
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
2059-लोक निर्माण कार्य स्वीकृत	2059- Public Works			-1.25	-1.25
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		•••	-3.20	-3.20
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
4425-सहकारिता पर पूँजी परिव्यय	4425-Capital Outlay on Co-operat	ion		0.01	0.01
6425-सहकारिता हेतु ऋण	6425-Loans for Co-operation			0.15	0.15
जोड़ पूँजी भाग	Total Capital Section		•••	0.16	0.16
जोड़ (वसूलियाँ)	Total (Recoveries)		•••	-3.04	-3.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है:-

- (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन।
- (ख) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल शिक्षकों सहित जिला/ ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान।

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure on:-

- (a) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.
- (b) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat, including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations.

- (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.84 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सिहत जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.69 करोड़ रुपए) और अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.58 करोड़ रुपए)।
- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.07 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.14 करोड़ रुपए) और कुक्कुट औषि और कुक्कुट उपस्कर (0.20 करोड़ रुपए)।
- (ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.22 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी विभाग के हाईस्पीड डीजल के लम्बित बिल (1.62 करोड़ रुपए)
- (च) सेवा सहकारी और श्रम संविदा समितियाँ (1.00 करोड़ रुपए)।
- (छ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए) और अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.27 करोड़ रुपए)।
- (ज) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (1.28 करोड़ रुपए); डीजल पावर जेनरेटरों के लिए एचएसडी तेल की खरीद के संबंध में डीजीएसएंडडी बिल (3.40 करोड़ रुपए) और स्टॉक प्रयोजन के लिए स्टोरों की खरीद (1.00 करोड़ रुपए)।
- (झ) औषधियाँ चिकित्सा उपकरण आदि (0.40 करोड़ रुपए)।
- (ञ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (1.49 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.08 करोड़ रुपए) और डिस्पेंसरियों के लिए दवाईयों आदि की खरीद (0.23 करोड़ रुपए)।
- (ट) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.41 करोड़ रुपए) और संविदा आधार पर कार्यरत शिक्षकों को भुगतान (0.82 करोड़ रुपए)।

- (c) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.84 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances (Rs.0.69 crore) and payment of wages to temporary status labourers, Industrial and work charged employees (Rs.0.58 crore) on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations.
- (d) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.07 crore); payment of wages to temporary status labourers, Industrial and work charged employees (Rs.0.14 crore); and poultry medicines and poultry equipments (Rs.0.20 crore).
- (e) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.22 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances (Rs.0.15 crore) and pending bills of HSD Oil of fishery department (Rs.1.62 crore).
- (f) Service Co-operative and Labour Contract Societies (Rs.1.00 crore).
- (g) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations (Rs.0.20 crore) and payment of wages to temporary status labourers, Industrial and workcharged employees (Rs.0.27 crore).
- (h) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.28 crore); DGS&D bills towards procurement of HSD Oil for Diesel Power Generators (Rs.3.40 crore) and procurement of stores for stock purposes (Rs.1.00 crore).
- (i) Medicines, medical equipments, etc. (Rs.0.40 crore).
- (j) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.49 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations (Rs.0.08 crore) and procurement of medicines etc. for dispensaries (Rs.0.23 crore).
- (k) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.41 crore) and payment to teachers working on contract basis (Rs.0.82 crore).

- (ठ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए); विभिन्न द्वीपों में छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा (1.08 करोड़ रुपए) और उच्च अध्ययन के लिए प्रायोजित अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, एकमुश्त अनुदान छात्रावास सब्सिडी (2.69 करोड़ रुपए)।
- (ड) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के लिए तारामंडल उपस्कर की खरीद (1.00 करोड़ रुपए)।
- (ढ) यात्रियों को पोतारोहण/पोतावरोहण के लिए नाव किराया प्रभार (0.68 करोड़ रुपए)।
- (ण) मेनलैंड से द्वीप और अंतर-द्वीप जलयानों के प्रचालन और रखरखाव और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भुगतान (57.32 करोड़ रुपए)।
- (त) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.65 करोड़ रुपए); विभिन्न सरकारी भवनों के रखरखाव और मरम्मत (0.25 करोड़ रुपए) और स्टॉक प्रयोजनों के लिए स्टोरों की खरीद (1.40 करोड़ रुपए)।
- (थ) विभिन्न भवनों का रखरखाव और मरम्मत।
- (द) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.54 करोड़ रुपए); और विभिन्न सरकारी भवनों का रखरखाव और मरम्मत (0.05 करोड़ रुपए)।
- (ध) चिल्ड्रेन पार्क की भूमि का किराया संबंधी लम्बित बिलों का निपटाना (0.65 करोड़ रुपए)।
- (न) मेसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. को हेलीकॉप्टरों की किराया लागत संबंधी भुगतान (4.62 करोड़ रुपए)।
- (ण) विभिन्न द्वीपों के भूस्वामियों को भूमि की क्षतिपूर्ति का भुगतान (1.02 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.04 करोड़ रुपए की बचतों को देखते हुए 0.57 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

व्यय में से घटाकर वसूलियों के समायोजन के पश्चात् पूरक अनुदान में 100.54 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

- (1) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations (Rs.9.00 crore); educational tour for students in various Islands (Rs.1.08 crore) and payment of scholarship, 1umpsum grant, hostel subsidy of Scheduled Tribe students sponsored for higher studies (Rs.2.69 crore).
- (m) Procurement of planetarium equipment for Science and Technology Museum (Rs.1.00 crore).
- (n) Boat hiring charges for embarkation/disembarkation of passengers (Rs.0.68 crore).
- (0) Operation and maintenance of mainland to island and inter-island vessels and payment to the Shipping Corporation of India (Rs.57.32crore).
- (p) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.65 crore); maintenance and repairing of various Govt. buildings (Rs.0.25 crore) and procurement of stores for stock purposes (Rs.1.40 crore).
- (q) Maintenance and repair of various Govt. buildings.
- (r) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.54 crore) and maintenance and repairing of various Govt. buildings (Rs.0.05 crore).
- (s) Clearing the pending bills towards land rent of Children Park (Rs.0.65 crore).
- (t) Payment to M/S Pawan Hans Helicopters Ltd. towards chartering cost of helicopters (Rs.4.62 crore).
- (u) Payment of land compensation to land owners of various islands (Rs.l.02 crore). After taking into account savings of Rs.0.45 crore available in the same section of the Grant, net cash outgo will be Rs.0.57 crore.

After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.100.54 Crores.

शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 128-129, और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 128-129 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	25.55	26.00	51.55
स्वीकृत	Voted:	935.76	2019.38	2955.14
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	12.09	2100.00	2112.09
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
भारित	Charged:	9.85	•••	9.85
स्वीकृत	Voted:	0.01	49.12	49.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	983.26	4194.50	5177.76
भारित	Charged:	35.40	26.00	61.40
स्वीकृत	Voted:	947.86	4168.50	5116.36

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवास	भारित	2216-Housing	Charged:		9.85 (कa)	9.85
2217-शहरी		2217-Urban				
विकास	स्वीकृत	Development	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section		•••	9.86	9.86
	भारित		Charged:		9.85	9.85
	स्वीकृत		Voted:		0.01	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4216-आवास पर		4216-Capital Outlay				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Housing	Voted:	49.11 (чс)	•••	49.11
4217-शहरी विकास		4217-Capital Outlay				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Urban Development	Voted:	0.01 (ਬd)	•••	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	49.12	•••	49.12
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		49.12	9.86	58.98
	भारित		Charged:		9.85	9.85
	स्वीकृत		Voted:	49.12	0.01	49.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेत् अपेक्षित हैः

- (क) अन्य आवास के अंतर्गत राष्ट्रपति की संपदा में स्थापना संबंधी व्यय हेतु। चूंकि अनुदान के पूँजी/भारित भाग में उपबल्ध 4 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के राजस्व/ स्वीकृत भाग से 5.85 करोड़ रुपए की बचतों को इस संबंध में अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड के संस्थापन संबंधी व्यय के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) For establishment related expenses in President's Estate under Other Housing. As the savings of Rs.4 crore are available in the Capital/Charged Section of the Grant and savings of Rs.5.85 crore from the Revenue/Voted Section of the Grant will be surrendered on this account, this will not entail any cash outgo.
- (b) Grants-in-aid towards establishment related expenses of National Capital Regional Planning Board (Rs.0.25 crore).

- चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) जनरल पूल रेजिडेंशल एकामॉडेशन तथा अन्य आवासीय परियोजनाओं के तहत परियोजनाओं में व्यय तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित आवासीय परियोजनाओं में स्थित घरों के उन्नयन पर व्यय हेतु (49.99 करोड़ रुपए)। चूंकि 2 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी तथा अनुदान के उसी भाग में स्थित 0.88 करोड़ रुपए की बचतों को लेखे में लेने के बाद, इसमें 47.11 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (घ) बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (बीएमआरसी) में निवेश (21.99 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For expenditure in projects under General Pool Residential Accommodation and Other Housing Projects and upgradation of existing houses in Housing Projects situated at various places in the country (Rs. 49.99 crore). As savings of Rs.2 crore will be surrendered from the Revenue Section of the Grant and after taking into account the savings of Rs. 0.88 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 47.11 crore.
- (d) Investment in Bangalore Metro Rail Corporation (BMRC) (Rs.21.99 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक निर्माण कार्य PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 130 देखिए)। (See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 130 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	794.12	355.18	1149.30
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	112.65		112.65
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	8.41		8.41
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	916.18	356.18	1272.36
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	915.18	355.18	1270.36

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:		8.41	8.41
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	8.41	8.41

यह पूरक अनुदान कार्यालय भवनों तथा अन्य कार्यालय भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु परिनियोजित कार्य-प्रभारित कर्मचारीवृंद के सम्बन्ध में संस्थापन सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी/स्वीकृत भाग से इस लेखे पर अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for meeting establishment related expenditure in respect of work-charged staff deployed for maintenance and repairs of Office Buildings and Other Office Buildings.

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital/Voted Section of the Grant on this account, this will not entail cash outgo.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 132 देखिए)।

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 132 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		3.00	3.00
	स्वीकृत	Voted:	793.57	109.76	903.33
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	112.70	1.61	114.31
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	906.28	114.37	1020.65
	भारित	Charged:		3.00	3.00
	स्वीकृत	Voted:	906.28	111.37	1017.65

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान		State Governments	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान राज्य सरकारों को लघु सिंचाई गणना कार्य पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करने हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought to provide additional funds under Grants-in-aid to State Governments (Rs.3.00 crore) to complete the Minor Irrigation Census work. As savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 134 देखिए)। (See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 134 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	7262.00		7262.00	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	13.07		13.07	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)				
	स्वीकृत		Voted:	7275.09	•••	7275.09	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Secutiry and				
एवं कल्याण	स्वीकृत	Welfare	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेत् अपेक्षित हैः

- (क) (i) ''एकीकृत बेसहारा बाल योजना'' के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायत अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
 - (ii) ''कामकाजी बाल एवं जरूरत मंद बाल कल्याण एवं संरक्षण योजना'' के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की माँग की गई है।

- (ख) (i) राष्ट्रीय लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.88 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/ पेंशनों आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.16 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की माँग की गई है। The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in aid for meeting the additional requirement under the "Integrated Scheme for Street Children" (Rs.2.50 crore).
 - (ii) Grants-in aid for meeting the additional requirement under the "Scheme for the Welfare of working Children and Children in need of Care and Protection" (Rs.1.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to National Institute of Public Cooperation and Child Development for meeting the additional requirement on account of salaries/pension etc. on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.88 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to National Commission for Women for meeting the additional requirement on account of salaries/pension etc. on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.16 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

यूवा मामले एवं खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 136 देखिए)। (See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 136 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः	स्वीकृत	I. ORIGINAL GRANT:	Voted:	977.29	134.52	1111.81
पूरक अनुदानः इस समय आवश्यक रकम	स्वीकृत	SUPPLEMENTARY GRANT: Supplementary Estimate of	Voted:	551.07		551.07
का पूरक अनुमान जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	the amount now required: Total (Original plus Supplementa	Voted:	0.03	36.50	36.53
(20, 20, 6,40)	स्वीकृत	Tour (Original plus Supplementa	Voted:	1528.39	171.02	1699.41

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 Iaii	Non-1 lan	Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2204-खेल एवं यूवा		2204- Sports and Youth				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2251-सचिवालय		2251-Secretariat-				
सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	Social Services	Voted:		0.01 (गc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा खेल, कला		4202- Capital Outlay on				
एवं संस्कृति पर		Education, Sports,				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Art and Culture	Voted:	1.50 (ਬd)		1.50
6202-शिक्षा, खेल, कला		6202-Loans for Education,				
एवं संस्कृति के		Sports, Art and				
लिए ऋण	स्वीकृत	Culture	Voted:		35.00 (ਵe)	35.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	1.50	35.00	36.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.51	35.02	36.53

यह पूरक मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण/ सीपीडब्ल्यूडी को मूलभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेत् जारी किया जाना है (105.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) (ii) दिल्ली विश्वविद्यालय (50.00 करोड़ रुपए) तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (2.00 करोड़ रुपए) में राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए प्रतियोगिता स्थलों और प्रशिक्षण स्थलों के विकास और उन्नयन/जीर्णोद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
 - (iii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ के तहत लॉन टेनिस के लिए आर.के. खन्ना स्टेडियम के
- (a) (i) For meeting additional requirement for infrastructure to be released to Sports Authority of India/CPWD for Commonwealth Games, 2010 (Rs.105.00 crore).
 - (ii) For meeting additional requirement for development and upgradation/renovation of competition venues and training venues for Commonwealth Games, 2010 at Delhi University (Rs.50.00 crore) and Jamia Millia Islamia University (Rs.2.00 crore).
 - (iii) For meeting additional requirement for upgradation/ renovation of R.K. Khanna Stadium for Lawn

- उन्नयन/जीर्णोंद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अंशदान को पूरा करने के लिए "राष्ट्रीय खेल विकास निधियां" योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (40.76 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) नेहरू यूवा केन्द्र संगठन को बकाया वेतन और पेंशन अंशदान आदि के भुगतान आदि के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (13.24 करोड़ रुपए)
 - (ii) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदानः
 - राजीव गांधी राष्ट्रीय यूवा विकास संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)
 - 2. भारतीय खेल प्राधिकरण (1.74 करोड़ रुपए)
 - 3. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.59 करोड़ रुपए)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(घ) युवा छात्रावास निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.50 करोड़ रुपए)?

चूंकि समतुल्य राशि राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

(ड) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 की आयोजक समिति को आयोजना भिन्न ऋण प्रदान करने हेतु (35.00 करोड़ रुपए)

चूंकि समतुल्य राशि राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- Tennis under All India Tennis Association for Commonwealth Games, 2010(Rs.10.00 crore).
- (iv) For meeting additional requirement under the scheme of 'National Sports Development Funds' to match the contribution of Board of Control for Cricket in India (Rs.40.76 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to Nehru Yuva Kendra Sangathan for making the payment of arrears and Pension Contribution etc. (Rs.13.24 crore).
 - (ii) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government to:
 - 1. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Rs.0.25 crore)
 - 2. Sports Authority of India (Rs.1.74 crore)
 - 3. Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs.0.25 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government (Rs.0.59 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For meeting additional expenditure for construction of Youth Hostel (Rs.1.50 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

(e) For providing Non-plan loan to the Organizing Committee for Commonwealth Games, 2010 (Rs.35.00 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2008-09 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2008-09.

			(करोड़ रुपए Ri	upees in Crore	2)
क .			बजट अनुमान		
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2008-2009	की राशि	टिप्पणियां
S1.	Name of the Ministry/	Scheme	Budget	Amount of	Remarks
No.	Department		Estimates	Re-appro-	
			2008-2009	priation	
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	पशुरोग नियंत्रण (मु.शी.3601)			योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Animal Disease Control (M.H.3601)	64.10	19.00	To meet the additional requirement of fund in the scheme
2.	उर्वरक विभाग	फसल कार्य मु.शी. 2401 (आयोजना भिन्न) देशी विनियंत्रित उर्वरक			निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
	Department of Fertilisers	Crop Husbandry MH: 2401 (Non-Plan) Indigenous Decontrolled			
		Fertilizers	6447.10	3200.00	To meet additional requirement of funds.
3.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	मानव शक्ति विकास कार्यक्रम (मुख्य शीर्ष 2852)			योजना में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
	Department of	Manpower Development			
	Information Technology	Programme (Major Head	4.50	2.60	The seal of the se
		2852)	4.50	2.60	To meet the additional requirement of fund in the scheme.
		एसटीक्यूसी कार्यक्रम (मुख्य शीर्ष 2552) STQC Programme			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
		(Major Head 2552)	0.93	0.39	To meet the additional requirement for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
4.	विदेश मंत्रालय	मु.शी. 2061-विदेशी मामले 00.105-पासपोर्ट एवं उत्प्रवास व्यावसायिक सेवाएं - 01.01.28-अन्य प्रभार			पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रावधान इकाई (जीएमयू) के लिए विशेषज्ञों के वेतन एवं परिलाभों के भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु। (आदेश सं.1) For meeting expenditure on
	Ministry of External Affairs	MH 2061-External Affairs 00.105-Passport and Emigration Professional Services - 01.01.28-Other Charges	0.10	0.49	payment of Salary and emoluments to Experts for Project Management Unit (PMU) for the implementation of the Passport Seva Project (Order
		मु.शी. 2061-विदेशी मामले 00.800-अन्य व्यय			No. 1). हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेज्युएट स्कूल ऑफ आर्टस एण्ड साइंसेज में योग्य भारतीय छात्रों
		00.800-अन्थ व्यय			जाटत एण्ड ताइसज म याग्य मारताय छाः

		(क	राड़ रुपए Rup	ees in Cror	e)
1	2	3	4	5	6
		03-अन्य योजनाएं -			द्वारा डॉक्टरेट अध्ययन हेतु अमर्त्य सेन
		03.03.50-अन्य प्रभार			फेलोशिप के निधियन हेतु भारत सरकार
					का अंशदान।
		MH 2061-External Affairs			Govt. of India's contribution for
		00.800-Other Expenditure			funding the Amartya Sen Fellowship
		03-Other Schemes -			for doctoral studies by deserving
		03.03.50-Other Charges	1.50	22.50	Indian Students at the Graduate
					School of Arts & Sciences at
					Harvard University (Order No. 2).
5.	वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग	राजस्व भाग			सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालयी सामान्य			आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर
		सेवाएं			वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा
		00.090-सचिवालय			पर आधारित बोनस भुगतान के कारण हुए
		10-व्यय विभाग			अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		10.01.01-वेतन			6 3
	Ministry of Finance/	Revenue Section			To meet additional expenditure on
	Department of	MH 2052 - Secretariat General			account of salaries on
	Expenditure	Services			implementation of recommendations
	F · · · · · ·	00.090-Secretariat	19.64	10.11	of the Sixth Central Pay
		10-Department of Expenditure			Commission, as accepted by the
		10.01.01-Salaries			Government and bonus based on
					enhanced ceiling.
		मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
		800-अन्य व्यय			आईडीएफ अनुदान में वचनबद्ध व्यय की
		31-महालेखा नियंत्रक (आईडीएफ अनुदान)			•
					पूर्ति हेतु।
		कार्यालय का आधुनिकीकरण 31.00.12-विदेश यात्रा व्यय			
		31.00.12-1यदश यात्रा व्यय 31.00.28-व्यावसायिक सेवाएं			
		MH 2070 - Other Administrative			
		Services			
		800 - Other Expenditure			To most committed expanditure
		31-Modernisation of Office of			To meet committed expenditure under IDF Grant.
		Controller General of Accounts			under IDF Grant.
		(IDF Grant)	0.20	0.25	
		31.00.12-Foreign Travel Expenses 31.00.28-Professional Services	0.30	0.25	
		31.00.28-Professional Services	0.05	0.25	
3 .	वित्त मंत्रालय/	राजस्व भाग			
	राजस्व विभाग	मु.शी. 2020-आय और व्यय पर कर			
		संग्रहण (मु. शी.)			
		00.001-निर्देश और प्रशासन			
		(मुख्य शीर्ष)			
		01-अन्वेषण			
		01.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	Ministry of Finance/	Revenue Section			
	Department of Revenue	MH 2020 - Collection of Taxes on			
	•	on Income & Expenditure			
		(Major Head)			
		00.001-Direction and			

Administration (Minor Head)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6			
		01-Investigation 01.00.01-Salaries	8.30	3.51	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.			
		02-अनुसंधान सांख्यिकी एवं प्रकाशन 02.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशे के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।			
		02-Research Statistics and Publication						
		02.00.01-Salaries	4.20	1.85	The increase is due to implementation of recommendation of 6th Central Pay Commission.			
		02.00.50-अन्य प्रभार			यह बढ़ोतरी पुरस्कार और ईनाम तथा क्षित पूर्ति इत्यादि के कारण है।			
		02.00.50-Other Charges		0.01	The increase is due to awards and prizes and compensation etc.			
		03-संगठन एवं प्रबन्धन सेवाएं						
		03.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।			
		03-Organisation and Manage- ment Services						
		03.00.01-Salaries	3.60	2.40	The increase is due to im plementation of recommendation of 6th Central Pay Commission.			
		03.00.02-मजदूरी			यह बढ़ोतरी मजदूरी दरों और आकस्मिव मजदूरों की आउटसोर्सिंग में वृद्धि के कारप है।			
		03.00.02-Wages		0.02	The increase is due to hike in wag rates, outsourcing of casual workers			
		03.00.13-कार्यालय व्यय			इस शीर्ष में बढ़ोतरी का कारण 1 प्रतिशव प्रोत्साहन योजना, के तहत प्रचालन वाहर किराये करने सम्बन्धी व्यय सम्मेलन कक्ष का जीर्णोद्वार, आंकड़ा प्रकोष्ठ का सृजन तथा सम्बन्धित आवर्ती व्यय है।			
		03.00.13-Office Expenses	1.50	0.74	The increase in this head is of account of expenditure toward hiring of operational vehicles unde 1% incentive scheme, renovation of conference rooms, creation of a dat cell, meeting telephone bills postage stamps and related recurring expenditure.			
		03.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह बढ़ोतरी फील्ड पे युनिटों के बकार बिलों के भुगतान तथा उच्च रैंक वाले फील अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर हेतु है।			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6			
1		03.00.20-Other Administrative						
		Expenses	0.01	0.01	The increase is to meet the paymer of pending bills of field pay units holding meetings with field officer of higher rank.			
		04-निरीक्षण						
		04.00.01-वेतन 04.1nspection 04.00.01-Salaries	1.40	0.64	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी। The increase is due to im plementation of recommendation of 6th Central Pay Commission.			
		00.101-संग्रहण प्रभार-आयकर						
		(लघु शीर्ष) 01-आयुक्त एवं उनके कार्यालय						
		01.01.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।			
		00.101-Collection Charges-						
		Income Tax (Minor Head)						
		01-Commisioners and their offices 01.01.01-Salaries	917.90	457.25	The increase is due to implementation of recommendation of 6th Central Pay Commission.			
		01.01.13-कार्यालय व्यय			इस शीर्ष के तहत बढ़ोतरी वाहर प्रचालनात्मक फील्ड यूनिटों द्वारा वाह किराये पर लेने एवं आयकर फॉर्मों व छपाई का विकेन्द्रीकरण, आईटीआई संस्था को परिवहन सुविधा, सेवा डाक टिक्त स्टेशनरी एवं कार्यालय उपभोग की वस्तुश की खरीद तथा राजस्व संग्रहण के 1 प्रतिश प्रेरक से सम्बन्धित व्यय के कारण है।			
		01.01.13-Office Expenses	278.78	94.72	The increase in this head is of account of expenditure toward operational vehicles and hiring of vehicles by field unit decentralisation of printing of income-tax forms, conveyance ITIs, service postage stamp purchase of stationery & office consumable and also 1% incentive of incremental revenue collection.			
		02-आयकर एवं सम्पत्ति कर मामले निपटान आयोग						
		02.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।			
		02-Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases						
		02.00.01-Salaries	3.90	1.40	The increase is due to implementation of recommendation of 6th Central Pay Commission.			

	(7	करोड़ रुपए Rup	ees in Crore	e)
1 2	3	4	5	6
	02.00.27-लघु निर्माण कार्य			निर्माणाधीन लघु निर्माण कार्यों की लागत की पूर्ति हेत्।
	02.00.27-Minor Works	0.02	0.02	To meet the cost of minor works which are under execution.
	04- प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय			
	04.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	04- Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts			
	04.00.01-Salaries	18.00	5.60	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	04.00.13-कार्यालय व्यय			यह बढ़ोतरी स्टेशनरी की वस्तुओं, फोटोकॉपी मशीन की एएमसी की दरों, फेक्स, मशीनों, सेवा कर और टेलीफोन बिलों आदि की लागत में वृद्धि के कारण है।
	04.00.13-Office Expenses	1.50	0.70	The increase is due to hike in cost of stationery items, rates of AMC of photocopy machines, fax machines, service tax and telephone bills etc.
	00.800-अन्य व्यय (लघु शीर्ष) 01-विभागीय केन्टीन 01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 00.800-Other Expenditure (Minor Head)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	01-Departmental Canteens 01.00.20-Other Administrative Expenses	5.00	2.00	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	02 - ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग 02.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	02-Authority for Advance Rulings			
	02.00.01-Salaries	0.70	0.35	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	02.00.14-किराया, दर एवं कर			यह बढ़ोतरी किराया दरों में संशोधन के कारण है।
	02.00.14-Rent, Rates & Taxes	0.33	0.51	The increase is on account of revision of rent rates.
	02.00.16-प्रकाशन			राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण समबन्धी मुद्रण/प्रकाशनों की अधिप्राप्ति, आईटीआर ऑनलाइन करारोपण, टेक्समेन ऑनलाइन और ज्यूरिक्स को अंशदान।

			(करोड़ रुपए Rup	pees in Cror	e)
1	2	3	4	5	6
		02.00.16-Publications	0.01	0.01	To meet the expenditure on printing procuring publications on nationa and international taxation subscription to the ITR online taxation, Taxman online and Jurix.
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (सचिवालय)			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि
	Ministry of Health and Family Welfare	2251.00.090.19- Deptt. of H & FW. (Sectt.)	26.00 (Non-Plan)	7.12	हेतु। To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
		स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2210.01.001.03	1.00 (Plan)	0.37	वर्धित संस्थापन सम्बन्धी व्यय Increased Estt. related expenditure
					छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि हेतु।
		2210.01.001.03 D.G.H.S	24.62 (Non-Plan)	5.97	To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
		राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय 2210.01.001.04	14.19 (Plan)	4.98	विदेशी चिकित्सा पत्रिकाओं की अधिप्रापि Procurement of foreign medica journals.
					छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्वि हेतु।
		2210.01.001.04 National Medical Library	3.40 (Non-Plan)	0.27	To meet additional expenditure o implementation of Sixth Central Pa Commission recommendations.
		औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना सीजीएचएस			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों वे कार्यान्वयन के कारण वेतन एवं भत्तों सम्बन्ध अतिरिक्त व्यय एवं दवाओं की खरीद तथ स्थानीय औषध विक्रेताओं की देयताओं वे निपटान हेतु भी अतिरिक्त व्यय की पूर्वि
		2210.01.103.24	35.00 (Plan)	7.62	To meet additional expenditure of Pay and allowances due to implementations of Sixth Central Pay Commission recommendation and prourement of medicines & to clear liabilities of local chemists.
					छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्व हेतु।
		2210.01.103.24 Setting up of Dispensaries/ Hospitals - CGHS	339.00 (Non-Plan)	192.00	To meet additional expenditure o implementation of Sixth Central Pa Commission recommendation.

		(करोड़ रुपए Rup	ees in Crore	2)
1 2	3	4	5	6
	सफदरजंग अस्पताल 2210.01.110.19	30.00	31.00	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और अन्य संस्थापन अतिरिक्त संबंधी व्यय, उपभोज्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति, लघु निर्माण कार्य आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on
		(Plan)		implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation and other Estt. related expenditure, procurmment of consumables, Minor Works etc. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति
	2210.01.110.19 Safdarjung Hospital	95.70 (Non-Plan)	45.4	हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पता	ल		छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और अन्य संस्थापन अतिरिक्त संबंधी व्यय, उपभोज्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति, लघु निर्माण कार्य आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.20	35.00 (Plan)	13.18	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation and other Estt. related expenditure, procurmment of consumables, Minor Works etc.
				छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.20 Dr.R.M.L.Hospital	68.85 (Non-Plan)	23.28	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	केंद्रीय मनोचिकित्सा विज्ञान संस रांची	थान,		छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.21	7.00 (Plan)	0.29	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	2210.01.110.21	13.15	6.05	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Central Institute of Psychiatry, Ranchi	(Non-Plan)	6.05	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	कलावती सरन बाल अस्पताल, न	नई दिल्ली		छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1 2	3	4	5	6		
	2210.01.110.23	12.00 (Plan)	5.00	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
				छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
	2210.01.110.23 Kalawati Saran Children's Hospital,N.Delhi	13.00 (Non-Plan)	8.27	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति		
	2210.05.105.27	15.00 (Plan)	3.50	हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
	2210.05.105.27	54.00	29.37	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, सामग्री की आपूर्ति, वजीफा और छात्रवृत्ति संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on		
	Lady Hardinge Medical College (LHMC)		27.31	implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations, supply & materials, stipened & scholarship.		
	जवाहर लाल चिकित्सा कॉलेज, पुडुचेरी			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
	2210.05.105.32 Jawaharlal Medical College, Puducherry	29.76 (Non-Plan)	18.48	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
	क्षेत्रीय पीजी केन्द्र			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
	2210.05.105.33 Regional P.G. Centre	35.00 (Plan)	21.00	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
	जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
	2210.05.105.33 JIPMER, Pondicherry	30.00 (Non-Plan)	5.62	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		
	क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर	1.50	0.75	छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ।		
	2210.06.003.05 Regional Leprosy Training & Research Institute, Gauripur	1.50 (Plan)	0.75	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.		

			(करोड़ रुपए Rup	ees in Crore	2)
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान 2210.06.101.07	7.00	1.74	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on
			(Plan)		implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश
					के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2210.06.101.07 National Institute of Communicable Disease	14.00 (Non-Plan)	4.57	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
		राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन			एआरवी ड्रग्स की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए सहायता प्राप्त परियोजना ग्लोबल फंड के तहत आपूर्ति एवं सामग्री सम्बन्धी वर्धित मांग की पूर्ति हेतु।
		2210.06.101.33 National Aids Control Organisation	993.00 (Plan)	23.36	To meet the increased demand on supply & materials under Global Fund assisted project in order to facilitate to procure ARV Drugs.
		शिशु देखभाल प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगुर			छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2210.06.112.06 Child Care Training Centre, Singur	7.75 (Non-Plan)	2.80	To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
		तम्बाकू मुक्त पहल			डीएवीपी एवं प्रसार भारती के माध्यम रे तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी प्रभावशाली अभियान के लिए विज्ञापन एवं प्रचार सम्बन्धी वर्धित व्यय
		2210.06.800.19 Tobacco Free Initiative	24.00 (Plan)	9.00	Increased expenditure or Advertisement & Publicity for Massive Campaign on Tabacco Control through DAVP & Prasar Bharti.
		आपातकालीन चिकित्सा राहत ईएमआर (एवियन फ्लू)			एवियन फ्लू हेतु विश्व बैंक को 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधियां प्रदान करने की अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता की पूर्ति हेतु
		2210.06.800.29 Emergency Medical Relief (Avian Flu)	2.30 (Plan)	10.00	To fulfil the international commitment of providing funds of US\$ 2 Million to World Bank for Avian Flu.
		राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 2210.06.101.10			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशे के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		National Filaria Control Programme	0.34 (Non-Plan)	0.13	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.

		(करोड़ रुपए Ruj		·
1 2	3	4	5	6
	रोध्य और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम 2210.06.101.13 Trachoma and Blindness Control Programme	204.80 (Plan)	16.71	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित नई योजनाओं से संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है Additional funds are required to meet expenditure on new scheme approved for 11th Five Year Plan.
	राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम			नियमित मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम की गतिविधियं के सभी संघटकों का जिले में कार्यान्वयन हो; के कारण व्यय की वृद्धि की सूचन जिलों से प्राप्त हुई है। अतः अधिक निधियं की आवश्यकता है।
	2210.06.101.30 National T.B. Control Programme	238.00 (Plan)	21.71	Due to regular monitoring & supervision and ensuring that all component of the programme activities are implemented in the district, there has been increase in the expenditure reported by the districts. Hence necessity of more funds.
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (कन्डोमों के लिए) 2210.06.101.33			एड्स नियंत्रण के लिए कन्डोमों की वर्द्धित आवश्यकता के कारण।
	National AIDS Control Programme (for Condoms)	270.00 (Plan)	24.35	Due to increased requirement of Condoms for AIDS Control.
	मुख्यालय में तकनीकी स्कंध			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि हेतु।
	2211.00.001.01 Technical Wing at Headquarter	6.18 (Non-Plan)	3.06	To meet additional expenditure of implementation of Sixth Central Page Commission recommendation.
	क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्वि हेतु।
	2211.00.001.03 Regional Health Offices	8.94 (Plan)	3.14	To meet additional expenditure of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि हेतु।
	2211.00.003.03 Family Welfare Training and Research Centre	1.35 (Non-Plan)	0.47	To meet additional expenditure o implementation of Sixth Central Pa Commission recommendation.
	विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्वि हेतु।
	2211.00.003.08 Expenditure in UTs without Legislature	0.61 (Plan)	0.21	To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Page Commission recommendation.

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
2	3	4	5	6		
	आईयूडी और फेलोपियन रिगों की परीक्षण सुविधाएं			परीक्षण हेतु अवयवों की उच्च निविष्टि लागत के कारण।		
	2211.00.004.07	0.67	0.28	Due to higher input cost of		
	Testing Facilities for IUD &	(Plan)		ingredients for testing.		
	Fallopian Rings	(")		8		
	विधानमंडल रहित एवं राज्य क्षेत्रों में व्यय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति		
				हेतु।		
	2211.00.101.01	4.11	2.46	To meet additional expenditure or		
	Expenditure in UTs without	(Plan)		implementation of Sixth Central Pay		
	Legislature	` ,		Commission recommendation.		
	जनसमूह डाक योजना			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
	2211.00.106.02	3.14	1.29	To meet additional expenditure or		
	Mass Mailing Scheme	(Non-Plan)		implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.		
	प्रजायी बाल स्वास्थ्य-मुख्यालय में व्य	ाय		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि हेतु।		
	2211.00.109.06	3.00	1.25	To meet additional expenditure or		
	Reproductive Child Health-	(Plan)		implementation of Sixth Central Pay		
	Expenditure at Headquarters	(I Iuii)		Commission recommendation.		
	राज्यों के पीआईपी के लिए प्रजायी व स्वास्थ्य लोचनीय पूल प्रणाली	बाल		चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जननी सुरक्ष योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत उपयोग की उच्च गति, "नसबन्दी के लिए क्षतिपूर्ति और नवजात शिशुओं के लिए नकद वाउचा योजना आरम्भ करने के कारण सहायत अनुदान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकत		
	2211 00 100 08	2225 75	502.54	है।		
	2211.00.109.08 Reproductive Child Health Flexible Pool for State PIPs	2235.75 (Plan)	502.54	Due to higher pace of utilization under Janani Suraksha Youjana (JSY), Compensation fo Sterilization and introduction of Cash Voucher Scheme for Neonate during current financial year additional amount is required in Grants-in-aid.		
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम			अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रमं के संचालन हेतु।		
	2211.00.109.10	551.41	45.92			
		(Plan)		For conducting more number o		
	2211.00.109.10	503.62	49.29	Pulse Polio rounds.		
	Pulse Polio Immunization Programme	(Non-Plan)				
	मिशन लोचनीय पूल प्रणाली			चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग की उच्च गति के कारण है।		

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		2211.00.800.15 Mission Flexible Pool	1950.83 (Plan)	312.42	Due to higher pace of utilization during current financial year.		
		क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं	` /		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूरि		
		2552.00.275.01 Regional Health Offices	1.31 (Plan)	0.56	हेतु। To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Par Commission recommendation.		
		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन	न्द्र		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्वि		
		2552.00.276.03 Health and Family Welfare Training Centre	1.30 (Plan)	0.33	हेतु। To meet additional expenditure or implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.		
		बहुउद्देशीय निर्माण कार्य			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।		
		2552.00.276.04 Multipurpose Workers	0.50 (Plan)	0.52	To meet additional expenditure of implementation of Sixth Central Paracommission recommendation.		
		जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान			पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र मूल्यांकन सर्वेक्षण वे कारण।		
		2552.00.277.01 Demographic and other Communication Research	0.60 (Plan)	0.15	Due to rapid appraisal survey i North-Eastern Region.		
		उपकेन्द्र			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्व हेतु।		
		2552.00.278.01 Sub-Centres	141.16 (Plan)	93.76	To meet additional expenditure of implementation of Sixth Central Parameters and Commission recommendation.		
		शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश् के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्व हेतु।		
		2552.00.279.02 Urban F.W. Centres	3.00 (Plan)	14.58	To meet additional expenditure of implementation of Sixth Central Paracommission recommendation.		
		राज्यों के पीआईपी के लिए आरसीएच लोचनीय पूल प्रणाली			चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जननी सुर योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत उपयो की उच्च गति, "नसबन्दी के लिए क्षतिपू और नवजात शिशुओं के लिए नकद वाउन योजना आरम्भ करने के कारण सहाय अनुदान में अतिरिक्त राशि की आवश्यक है।		
		2552.00.282.01 RCH-Flexible Pool for State PIPs	299.25 (Plan)	38.47	Due to higher pace of utilization under Janani Suraksha Youjar (JSY), Compensation for		

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore			in Crore)	
. 2	3	4	5	6	
				Sterilization and introduction of Cash Voucher Scheme for Neonated during current financial year additional amount is required in Grants-in-aid.	
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)			अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्र के संचालन हेतु।	
	2552.00.282.03 Pulse Polio Immunization Programme (Operating Cost)	13.40 (Plan)	14.27	For conducting more number of Pulse Polio rounds.	
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)			अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रग के संचालन हेतु।	
	2552.00.282.05 Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunization Programme	12.90 (Plan)	7.60	For conducting more number of Pulse Polio rounds.	
	मिशन लोचनीय पूल प्रणाली			चालू वित्तीय वर्ष में के दौरान उच्च गति उपयोग के कारण सहायता अनुदान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।	
	2552.00.284.04 Mission Flexible Pool	334.17 (Plan)	5.82	Due to higher pace of utilization during current financial year additional funds is required Grants-in-aid.	
	राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2552.00.288.01 National Vector Borne Disease Control Programme	45.11 (Plan)	10.29	अधिप्राप्ति और आपूर्ति की वास्तविक स्थि के आधार पर संशोधित दरों के कारण। Due to revised rates on the basis actual position of procurement an supply.	
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम			अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्र	
	3601.04.246.03 Pulse Polio Immunization Programme	469.72 (Plan)	41.69	के संचालन हेतु। For conducting more number Pulse Polio rounds.	
	शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारि के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पृ हेतु।	
	3602.04.236.01 Urban F.W. Centres	4.30 (Plan)	11.69	To meet additional expenditure implementation of Sixth Central P Commission recommendation.	
	शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र की पुनः मरम्मत			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारि के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की प् हेतु।	
	3602.04.236.02 Revamping of Urban F.W. Centres	2.32 (Plan)	5.48	To meet additional expenditure implementation of Sixth Central P Commission recommendation.	
	राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम			वैश्विक निधि और विश्व बैंक के वि	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
					राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय द्वा अधिप्राप्ति में कमी हुई। परिणामस्वरू अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग के लिए वर सहायता में वृद्धि की गई जिससे अतिरिव व्यय हुआ।		
		3606.00.249.01 Material Assistance for National T.B. Control Programme	40.00 (Non-Plan)	8.00	The procurement by United Nation Office for Project Services for Globe and World Bank was reduced on account of delay in the procurement. As a result, the commodity assistance for Department for Internation Development was increased which led to additionality.		
		राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम			बिहार और वर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोज राज्यों के क्षेत्र कामगारों/निगरानी कामगा के लिए 396 दुपहियों वाहनों की अधिप्रार्ि के कारण।		
		4210.04.101.10 National Vector Borne Disease Control Programme	3.05 (Non-Plan)	3.39	Due to procurement of 396 tw wheelers for Bihar and Enhance Malaria Control Project States for Field Workers/Surveilland Workers.		
3.		पोत परिवहन मंत्रालय 5052-पोत परिवहन संबंधी पूंजी			जलयानों के निर्माण हेतु, पोत-कारखा के चरण-बद्ध भुगतानों के लिए।		
	और निकोबार द्वीप समूह	परिव्यय 80-सामान्य 80.796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01-जलपोतों की खरीद 01.00.51-मोटर वाहन					
	Ministry of Home Affairs (UT without legislature) Andaman	Ministry of Shipping 5052-Capital Outlay on Shipping 80-General			For making stage payments shipyards for construction vessels.		
	and Nicobar Islands	80.796-Tribal Area Sub-Plan 01-Purchase of Ships					
		01.00.51-Motor Vehicles	13.66	8.35			
9.	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	मुख्य शीर्ष-2230 01.111.02-कर्मचारी पेंशन योजना, 19	95		पिछले वर्षों का बकाया और चालू वर्ष देयों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों व अपेक्षा थी, अतिरिक्त व्यय हेतु सं.अ. 200 09 चरण में सहमति हुई थी।		
	Ministry of Labour	Major Head -2230					
	and Employmnet	01.111.02-Employees' Pension Scheme, 1995	967.22	200.00	Additional funds were required for payment of arrears of previous years and current year dues. The additionality was agreed at Revise Estimates (RE) 2008-09 stage.		
0.	अल्पसंख्यक मंत्रालय	मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			अन्तिम वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय अधिकांश योजनाएं/कार्यक्रम अनुमोदित		

		(4/)		
1	2	3	4	5	6
		कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 11-अल्पसंख्यकों हेतु मीडिया अभियान			गयी हैं और उनमें से कुछ को इस वा प्रारम्भ भी किया जा चुका है जिसे व्यापट विज्ञापित तथा प्रचार किए जाने क आवश्यकता है, तद्नुसार अतिरिक्त राधि
	Ministry of Minority Affairs	11.00.26-विज्ञापन तथा प्रचार Major Head - 2225 -Welfare of Schedule Caste, Schedule Tribe & Other Backward classes 80- General 800-Other Expenditure			अपेक्षित है।
		11-Media Campaign for Minorities			
		11.00.26 – Advertising and Publicity	2.50	1.25	Most of the schemes/programme of the Ministry have been approved during the last financial year and out of them, some have been launched this year too which need wid advertisement and publicity Accordingly, the additional amount is required.
۱.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3601.4.377.03-मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (पिछड़े वर्ग) 03.00.31- सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हे व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Social	3601.4.377.03-Post Matric			To meet the expenditure for th
	Justice & Empowerment	Matric Scholarship (Backward classe 03.00.31-Grants-in-aid	s) 118.75	1.30	benefit of North Eastern Region an Sikkim.
		4225.80.190.16 कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय वित्त विकास निगम 16.00.54-निवेश 4225.80.190.16-National Finance			पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हे व्यय की पूर्ति हेतु।
		Development Corporation for Weaker Sections			To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and
		16.00.54- Investment	106.50	3.50	Sikkim.
		2225.80.001.08-राष्ट्रीय खानाबदोश अर्द्ध खानाबदोश विमुक्त जनजाति आयोग 08.00.01वेतन			वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		2225.80.001.08-National Commission for De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes			For meeting salary expenditure.
		08.00.01-Salary	0.12	0.17	
		2235.02.001.06-मुख्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय 06.00.01-वेतन			छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वय के कारण वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		2235.02.001.06-Office of the Chief Commissioner for Persons			For meeting salary expenditure du to implementation of 6th Pa
		with Disabilities			Commission Report.

		(कर	ोड़ रुपए Rup	ees in Cror	e)
1	2	3	4	5	6
	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम	राजस्व भाग			
	कार्यान्वयन मंत्रालय	मुख्य शीर्ष-2052			
		- सचिवालय सामान्य सेवाएं			
		00.090-सचिवालय			
		18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग			छठे वेतन आयोग की सिफारिश
		01-स्थापना			कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय
		18.01.01-वेतन			पूर्ति हेतु।
	Ministry of Statistics	Revenue Section			ત્રાંત હતા
	Ministry of Statistics				
	and Programme	Major Head -2052			
	Implementation	- Secretariat General Services			
		00.090- Secretariat			
		18- Deptt. of Programme			
		Implementation			
		01-Establisment			
		18.01.01 -Salaries	1.87	0.59	To meet the expenditure on sala
					due to implementation of
					commendations of VIth CPC.
		मुख्य शीर्ष-3451			
		सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
		00.090-सचिवालय			
		00.090-सायपालप 32-सांख्यिकी विभाग			छठे वेतन आयोग की सिफारिश
					कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय
		01-स्थापना			
		32.01.01-वेतन			पूर्ति हेतु।
		Major Head -3451			
		- Secretariat Economic Services			
		00.090- Secretariat			
		32- Deptt. of Statistics			
		01-Establisment			
		32.01.01 - Salaries	7.14	2.23	To meet the expenditure on sala
					due to implementation of
		51-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग			commendations of VIth CPC.
		01-स्थापना			छठे वेतन आयोग की सिफारिश
		51.01.01-वेतन			कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय
		51- National Statistical Commission			पूर्ति हेतु।
		01-Establisment			
		51.01.01 - Salaries	0.25	0.08	
					To meet the expenditure on sala
					due to implementation of
					commendations of VIth CPC.
		मुख्य शीर्ष-3454			
		जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02.201-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन			छठे वेतन आयोग की सिफारिश
		01-अधीनस्थ कार्यालय			कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय
		32.01.01-वेतन			पूर्ति हेतु और एनआरईजी सर्वेक्षणों
		Major Head -3454			कॉन्ट्रेक्ट अन्वेषकों के वेतन का भुगत
		-Census, Surveys and Statistics			नम ४५० ल बनवम वर वरान वम चुना
		02- Survey and Statistics			
		-			
		02.201- National Sample			
		Survey Organisation			
		01-Subordinate Office	07.1	20 :	
		32.01.01 - Salaries	97.1	30.4	To meet the expenditure on sala:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
					due to implementation of re- commendations of VIth CPC and payment of salaries to the contract investigations for NREG Surveys.		
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक खर्चे			एनआरईजी सर्वेक्षणों हेतु कॉन्ट्रेक्ट अन्वेषणों का प्रशिक्षण		
		01.00.20- Other Admn. Expenses	0.04	0.36	Training of contract investigatiors for NREG surveys.		
		02.202-भारतीय सांख्यिकी संस्थान 01-आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान 01.00.31-सहायता अनुदान 02.202- Indian Statistical Institute 01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata			आईएसआई, कोलकाता के वेतन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।		
		01.00.31- Grants-in-aid	51.96	14.34	To meet the requirement of ISI, Kolkata on salaries and other pensionary benefit.		
		02.203-कम्प्यूटर सेवाएं 01-संबद्ध कार्यालय 01.00.01-वेतन 02.203- Computer Services 01-Attached Office			छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।		
		01.00.01- Salaries	2.52	0.79	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.		
		02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 01-संबद्ध कार्यालय 01-स्थापना 01.00.01-वेतन 02.204- Central Statistical Organisation 01-Attached Office 01-Establishment			छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।		
		01.01.01-Salaries	10.88	3.41	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.		
		02.800-अन्य व्यय 02-विभागीय कैन्टीन 02.00.20-अन्य प्रशासनिक खर्च 02.800- Other Expenditure			छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।		
		02-Departmental Canteen 02.00.20- Other Admn. Expenses	0.53	0.17	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.		
		योजना 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी (मु.शी.) 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					

02.203-कम्प्यूटर विज्ञान

		अनुदानों की पूरक मांगें 2008-2009 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		05-कम्प्यूटर केन्द्र का सुदृढ़ीकरण			छठे वेतन आयोग की सिफारिश के		
		01-स्थापना			कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की		
		05.01.01-वेतन			पूर्ति हेतु।		
		PLAN			8.1. 6.3.		
		3454- Census Surveys and					
		Statistics (MH)					
		02- Survey and Statistics					
		02.203- Computer Services					
		05-Strengthening of Computer					
		Centre					
		01-Establishment					
		05.01.01 - Salaries	0.20	0.20	To meet the expenditure on salaries		
		50.0101	0 .2 0	5. 2 5	due to implementation of recommendations of VIth CPC.		
		204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन					
		19-क्षमता विकास					
		01-स्थापना					
		19.01.12-विदेशी यात्रा खर्चे			यात्रा अनुदान खर्चों की पूर्ति हेतु।		
		204- Central Statistical Organisation					
		19-Capacity Development					
		01-Establishment					
		19.01.12- Foreign Travel Expenses	0.28	0.14	To meet the travel grant expenses.		
		19.99.52-मशीनरी तथा उपस्कर			नासा के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीव		
		19.99.52- Machinery & Equipment	2.20	2.31	Purchase of computer software for NASA.		
		24-स्थानीय स्तर विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी					
		01-स्थापना					
		24.01.20-कार्यालय व्यय			अनुसूचियों के मुद्रण पर व्यय की पूर्ति हेत्		
		24 - Basic Statistics for					
		Local Level Development					
		01-Establishment					
		24.01.20- Office Expenses	1.50	1.00	To meet the expenditure on printing of schedules.		
		24.01.20-अन्य प्रशासनिक खर्चे			राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्चे की पूर्ति हेतु।		
		24.01.20- Other Admn. Expenses	1.00	0.25	To meet the training expenses of state govt. officials.		
		2252-पूर्वोत्तर क्षेत्र 188-सर्वेक्षण और सांख्यिकी आर्थिक					
		परामर्श तथा सांख्यिकी					
		01-सांख्यिकी क्षमता विकास			चालू वर्ष की दूसरी किश्त जारी करन		
		01.00.31-सहायता अनुदान			और पिछले वर्ष की लागत किश्तें		
		2252- North Eastern Areas					
		188-Survey and Statistics -					
		Economic Advice and					
		Statistics					
		01-Statistics-Capacity					
		Development					

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		01.00.31 –Grants –in-aid	2.49	2.00	To release the II installment of current year and pending installments of previous year.	
		पूंजी भाग 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 00.112-सांख्यिकी 01-वाहन/उपस्कर/भवन 27-क्षमता विकास				
		27.00.52-मशीनरी तथा उपस्कर Capital Section 5475- Capital Outlay on Other General Economic Services 00.112- Statistics 01-Vehicles/Equipment/Building 27- Capacity Development			कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति।	
		27.00.52- Machinery & Equipment	4.28	2.81	For procurement of computer hardware/software.	
13.	जल संसाधन मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 03- केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान 786- बाढ़ नियंत्रण-अन्य अनुदान 03- नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं सामी क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य 03.00.31 सहायता अनुदान			बिहार में बाढ़ की आपदा को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य सरकार को कोसी एवं गंडक परियोजना के रखखाव हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधियां जारी की गई।	
	Ministry of Water Resources	3601- Grants-in-aid to State Governments 03- Grants for Central Plan Schemes 786- Flood Control-Other Grants 03- River Management Activities and Works related to Border Areas 03.00.31- Grants-in-aid	43.00	1.00	Additional funds were released as Grants-in-aid to State Government of Bihar for maintenance work of Kosi and Gandak Project in view of flood disaster.	